UPSC DARPAN

शीलं परं भूषणम्

Sheelam param bhushanam · Character is the highest ornament

मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration) का आदर्श वाक्य, भर्तृहरि के शतकत्रय (Bhartrihari's Shatakatraya) से

यूपीएससी सीएसई (UPSC CSE) परीक्षा संसाधनों के लिए आपका एकमात्र समाधान।

Welcome to the Ohana family

Hum jeet ka maja chakh kar rahenge.

आज का उद्धरण

"लूसिलियस, समय के सिवा कुछ भी हमारा नहीं है। प्रकृति ने हमें केवल इसी एक वस्तु का स्वामी बनाया है — और यह इतनी क्षणभंगुर और फिसलन भरी है कि जो चाहे, हमसे इसका अधिकार छीन सकता है।"

— सेनेका, लूसिलियस को पत्र (एपिस्टुले मोरालेस), पत्र 1, अनु. आर.एम. गमेरे (1917)

द हिंदू (मुंबई), द इंडियन एक्सप्रेस (मुंबई) और द इकोनॉमिक टाइम्स (मुंबई) — 11 अक्टूबर 2026

सामान्य अध्ययन (General Studies) · दैनिक समसामयिकी (Daily Current Affairs) · संकल्पना मैट्रिक्स (Concept Matrix) · बिंदुवार विश्लेषण (Point-Wise Analysis)

क्षमता · गुमनामी · सादगी (Ability · Anonymity · Austerity)

निःशुल्क, और हर अभ्यर्थी के लिए — चाहे वे भुगतान कर सकें या न कर सकें।

संपादक की कलम से (A Letter from the Editor)

यह पत्रिका क्यों मौजूद है, और इसे कैसे पढ़ा जाना चाहिए

यह पत्रिका एक वादे के बजाय एक स्वीकृति के साथ शुरू होती है। सिविल सेवा परीक्षा (Civil Services Examination) अंततः यह परीक्षा नहीं है कि आपने कितना एकत्र किया है। पिछले दशक के प्रश्नपत्रों को पढ़ने पर हमारा अपना निष्कर्ष यह है कि यह परीक्षा वास्तव में जो पूछती है — सामान्य अध्ययन (General Studies) के प्रश्नपत्रों, निबंध (essay) और साक्षात्कार (interview) में — उसका साठ प्रतिशत से अधिक हिस्सा कोई ऐसा तथ्य नहीं है जिसे आप खोज सकें। यह एक विवादास्पद मुद्दा (critical issue) है: एक जीवंत सार्वजनिक समस्या जिसके भीतर परस्पर विरोधी हित हों, और जिस पर आपसे सोचने, तौलने और किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की अपेक्षा की जाती है। जिस अभ्यर्थी ने हज़ार तथ्य याद कर लिए हों और उनमें से किसी के बारे में भी न सोचा हो, वही वह अभ्यर्थी है जो चार सौ अंक लिखता है और समझ नहीं पाता कि क्यों।

यही पूरा कारण है कि यह पत्रिका अपने वर्तमान स्वरूप में मौजूद है। यहां हर कहानी को एक अध्ययन कार्ड (study card) में बदला गया है जो सोचने का काम आपके साथ करता है, आपके लिए नहीं: क्या हुआ, यह पाठ्यक्रम की किस पंक्ति पर बैठता है, परीक्षक बार-बार इस विषय पर क्यों लौटते हैं, वे मुट्ठी भर तथ्य जो वास्तव में प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) के किसी विकल्प का फैसला कर सकते हैं, नामित बिंदुओं में विभाजित एक विश्लेषण ताकि तर्क केवल शीर्षकों से ही पढ़ा जा सके, परीक्षा की अपनी भाषा में एक मुख्य परीक्षा (Mains) प्रश्न, उसके लिए एक आदर्श दृष्टिकोण (model approach) — और फिर वह प्रश्न जो एक ज़िला मजिस्ट्रेट (District Magistrate) या एक संयुक्त सचिव (Joint Secretary) को इसी मुद्दे पर वास्तव में हल करना पड़ेगा। यह अंतिम भाग वह है जिसे अधिकांश संकलन छोड़ देते हैं, और यही वह है जिसकी परीक्षा वास्तव में परख कर रही है।

दूसरा कारण सरल भी है और कठिन भी। बहुत से योग्य अभ्यर्थी ऐसे कारणों से पिछड़ जाते हैं जिनका क्षमता से कोई लेना-देना नहीं होता। उन्हें नहीं पता होता कि कौन-से स्रोत महत्वपूर्ण हैं। वे अच्छी सामग्री तक नहीं पहुंच पाते, या उसका भुगतान नहीं कर सकते। वे हिंदी में पढ़ते हैं और पाते हैं कि किसी विषय का ईमानदार, वर्तमान और सुव्यवस्थित संस्करण केवल अंग्रेज़ी में मौजूद है। हमने यह देखा है, और हम इसे चीज़ों की स्वाभाविक व्यवस्था के रूप में स्वीकार नहीं करते। यूपीएससी दर्पण (UPSC Darpan) में कुछ भी भुगतान के पीछे नहीं है, और कुछ भी कोचिंग कक्षा (coaching class) मानकर नहीं चलता। हम हर सुबह जो कुछ भी पढ़ते हैं — समाचार पत्र, पीआईबी (PIB), पीआरएस (PRS), न्यायालय का अपना रिकॉर्ड, शोध पत्रिकाएं — उसे एक बार, ठीक से पढ़ा जाता है, और पूरी तरह सौंप दिया जाता है। किसी भी अभ्यर्थी को इसलिए पीछे नहीं रह जाना चाहिए कि वह कहां पैदा हुआ, उसका परिवार कितना कमाता है, या वह किस भाषा में सोचता है।

तीसरा कारण वह है जिसे हम बहुत ज़ोर से नहीं कहते। इस परीक्षा से जिस प्रकार के अधिकारी को तैयार करना है, उसका वर्णन बहुत पहले मसूरी (Mussoorie) में किया गया था, और तब से यह वर्णन बेहतर नहीं हुआ है: एक कर्मयोगी (Karma Yogi), एक ऐसा सिविल सेवक जिसकी आत्मा क्षमता (Ability), गुमनामी (Anonymity) और सादगी (Austerity) के सिद्धांतों से ओतप्रोत हो। क्षमता, क्योंकि अक्षमता से लागू की गई अच्छी नीयत भी लोगों को नुकसान पहुंचाती है। गुमनामी, क्योंकि जिस अधिकारी का नाम हर हफ्ते अखबार में हो, वह अधिकारी आमतौर पर वह नहीं होता जिसका ज़िला काम कर रहा होता है। सादगी, क्योंकि अधिकारी के जीवन और नागरिक के जीवन के बीच की दूरी ठीक वही दूरी है जिस पर सहानुभूति (empathy) असफल हो जाती है। हम वहां नहीं हैं। लेकिन यही वह मानक है जिसके योग्य यह पत्रिका बनने का प्रयास कर रही है, और यही वह मानक है जिसके विरुद्ध हम आपसे तैयारी करने को कह रहे हैं — कट-ऑफ (cut-off) के विरुद्ध नहीं।

इसलिए इसे धीरे-धीरे पढ़ें। इसे खत्म करने की कोशिश न करें। तीन कार्ड लें, उन्हें इस हद तक समझें कि आप दोनों पक्षों में तर्क कर सकें, और एक उत्तर लिखें। यह पच्चीस कार्ड पढ़ने और किसी को भी याद न रखने से बेहतर सुबह है। और जब आप उस कमरे में बैठें, तो याद रखें कि वास्तव में आपका चयन किस लिए किया जा रहा है।

— संपादक (The Editor)
UPSC Darpan · 11 अक्टूबर 2026

हम मसूरी-वाला कर्मयोगी (Mussoorie-wala Karma Yogi) बनना चाहते हैं — एक ऐसा सिविल सेवक जिसकी आत्मा क्षमता (Ability), गुमनामी (Anonymity) और सादगी (Austerity) के सिद्धांतों से ओतप्रोत हो। और हम बनकर रहेंगे, मेरे दोस्त। (And we shall become, my man.)

हमारी प्रेरणा (Our Inspiration)

Our inspiration, and the reason this initiative exists



Rakesh Verma Sir

Indian Administrative Service, 1981 batch

Every initiative has a person standing behind it who never asked to be named. Ours is Rakesh Verma sir — an IAS officer of the 1981 batch, who spent a career inside the administration and then, after retiring from it, went back to the classroom to teach the next set of officers. What he gave us was not a strategy. It was a way of looking at the work.

उन्होंने हमें क्या सिखाया (WHAT HE TAUGHT US)

1. **सेवा परमो धर्मः — service is the highest duty, and it is a duty, not a favour** — He would not let the word 'service' stay decorative. A civil servant does not confer a benefit on a citizen; the citizen is entitled, and the officer is discharging an obligation. Once you accept that, the tone of an office changes — the file moves because someone is waiting on the other side of it, not because a note demanded it.
2. **The Mussoorie-wala Karma Yogi: Ability, Anonymity, Austerity** — Ability, because good intentions administered incompetently still hurt people. Anonymity, because the officer whose name is in the newspaper every week is usually not the officer whose district is working. Austerity, because the distance between the officer's life and the citizen's life is the distance at which empathy fails. He taught these three as one instruction, not three virtues to be picked from.
3. **Begin with the last person, not the average person** — His constant test for any scheme, any circular, any decision: what happens to the person at the end of the line — the one with no documentation, no connection, no way to complain, and no idea the scheme exists. A policy that works for the median citizen and fails the last one has not worked. It has only been measured generously.
4. **Reach the last mile, because the last mile is where the state actually is** — Delivery, he insisted, is not the boring part that follows policy; it is the policy. The budget line means nothing until the money reaches the panchayat, the entitlement means nothing until the beneficiary is on the list, and the list means nothing if the person who was left out has no way back onto it. He made us look at the exclusion errors, not the coverage numbers.
5. **Understand the system before you criticise it** — He had no patience for the easy cynicism aspirants pick up online. Learn how a file actually moves, who signs, where the discretion sits, what the officer on the spot is trading off. Criticism that comes after that understanding is worth something; criticism that replaces it is noise — and it writes a shallow answer, too.
6. **Karma yoga at the desk: do the work, stay with the work** — He taught the Gita's instruction as an administrator's working rule, not as a sermon. You control the effort and the honesty; you do not control the transfer order, the posting, the recognition or the result. An officer who needs the outcome to feel the work was worth it will not last a career. Nor will an aspirant who needs the result to justify the year.
7. **Teach what you know, to whoever cannot pay for it** — The clearest thing he did was the simplest: after a full career, he went back and taught. Not to a selected batch that could afford it — to whoever turned up. That is where this initiative came from. The idea that good preparation material should not be a function of what a family can spend is not our idea; it is his.

> *We are not his equals and this is not his page. It is the receipt for something we were given for free, by a man who spent forty years serving the country and then spent his retirement teaching other people how to do it properly. सेवा परमो धर्मः — and we shall become.*

आज के उद्धरण (Quotes of the Day)

निबंध (essay) की भूमिका में किसी एक उद्धरण को शामिल करें — हर अनुच्छेद में नहीं। प्रत्येक उद्धरण एक प्रलेखित स्रोत (documented source) से लिया गया है, ताकि इसे आत्मविश्वास से उद्धृत किया जा सके।

> *""अधिकार पाने के अधिकार का (और इसका अर्थ है ऐसे ढाँचे में जीना जहाँ व्यक्ति को उसके कर्मों और विचारों के आधार पर परखा जाए) तथा किसी संगठित समुदाय का सदस्य होने के अधिकार का अस्तित्व हमें तभी समझ में आया, जब ऐसे लाखों लोग सामने आए जिन्होंने ये अधिकार खो दिए थे और नई वैश्विक राजनीतिक परिस्थिति के कारण उन्हें लौटा नहीं पा रहे थे।""*

— **हैना आरेंट** · *द ओरिजिन्स ऑफ़ टोटैलिटेरियनिज़्म (1951; द्वितीय परिवर्धित संस्करण 1958), अध्याय 9, "द डिक्लाइन ऑफ़ द नेशन-स्टेट एंड द एंड ऑफ़ द राइट्स ऑफ़ मैन"*

उपयोग करें (Use in): आज का गौहाटी उच्च न्यायालय का जहाँआरा बेगम और मुमताज़ बेगम का मामला, जिन्हें 13-14 जून की रात बांग्लादेश में धकेल दिया गया, जबकि विदेशी अधिकरण में उनके प्रतिप्रेषित (remanded) मामलों की पुनः सुनवाई चल रही थी; और पिछली पीठ का यह निर्णय कि अनुच्छेद 21 "केवल भारत के नागरिकों ही नहीं, बल्कि विदेशियों" की भी रक्षा करता है। इसका उपयोग अनुच्छेद 21, राज्यविहीनता और विदेशियों की पहचान की प्रक्रिया पर GS2 के उत्तरों में, तथा अधिकारों और नागरिकता पर निबंधों में करें: जो व्यक्ति मान्य दर्जा खो देता है, वह उस ढाँचे को खो देता है जिसमें कोई भी अन्य अधिकार माँगा जा सकता है। संतुलन के लिए: विदेशियों की पहचान करने और उन्हें निष्कासित करने की भारत की शक्ति वास्तविक है और न्यायालयों ने उसे बनाए रखा है; मुद्दा यह है कि निष्कासन अंतिम, अभिलिखित आदेश के बाद ही हो, ताकि प्रशासनिक हड़बड़ी से कोई अधिकारहीन न हो जाए।

> *"अब समय आ गया है कि संसद इस पर पुनर्विचार करे कि क्या निरर्हता याचिकाएँ अर्ध-न्यायिक प्राधिकारी के रूप में किसी अध्यक्ष को सौंपी जानी चाहिए, जबकि वह अध्यक्ष विधिक रूप से (de jure) या वास्तविक रूप से (de facto) किसी राजनीतिक दल का सदस्य बना रहता है।"*

— **भारत का सर्वोच्च न्यायालय (आर.एफ़. नरीमन, अनिरुद्ध बोस और वी. रामसुब्रमण्यन न्यायमूर्तिगण)** · *Keisham Meghachandra Singh v Hon'ble Speaker, Manipur Legislative Assembly (21 जनवरी 2020), अनुच्छेद 30*

उपयोग करें (Use in): आज की ख़बर कि लोकसभा अध्यक्ष ने तृणमूल के 20 बाग़ी सांसदों को उनकी निरर्हता की याचिका पर जवाब देने के लिए 20 अक्टूबर तक का समय दिया है, जबकि उन्होंने तीसरी बार और समय माँगा था, हालाँकि सर्वोच्च न्यायालय ने 25 सितंबर को कहा था कि अध्यक्ष को शीघ्र निर्णय करना चाहिए। उसी निर्णय में कहा गया था कि असाधारण परिस्थितियों के अभाव में याचिका दायर होने से तीन महीने ऐसी याचिकाओं को तय करने की "बाहरी सीमा" है, और सुझाव दिया गया था कि सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक स्थायी अधिकरण बने। इसका उपयोग दसवीं अनुसूची, अध्यक्ष के पद और दल-बदल विरोधी कानून के सुधार पर GS2 के उत्तरों में करें। संतुलन के लिए: किहोतो होलोहन (1992) ने न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन अध्यक्ष को निर्णायक प्राधिकारी माना था, और अध्यक्ष को सदस्यों को निष्पक्ष सुनवाई भी देनी होती है; जिस उपाय पर बहस है, वह समय-सीमा और स्वतंत्र मंच है, न कि उचित प्रक्रिया का अंत।

> *"वे कहते हैं यह प्रेम है। हम कहते हैं यह अवैतनिक काम है।"*

— **सिल्विया फ़ेडेरिची** · *"वेजेज़ अगेंस्ट हाउसवर्क" (न्यूयॉर्क, 1974; पावर ऑफ़ वीमेन कलेक्टिव और फ़ॉलिंग वॉल प्रेस द्वारा प्रकाशित, 1975)*

उपयोग करें (Use in): प्रभा कोटिश्वरन की पुस्तक "वेजेज़ फ़ॉर हाउसवर्क" की आज की समीक्षा, जो इस माँग की जड़ें 1972 के पादुआ अभियान (जिसकी फ़ेडेरिची संस्थापक थीं) से लेकर अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की 1939 की रिपोर्ट तक खोजती है, और पूछती है कि 12 राज्यों में महिलाओं को दिए जा रहे बिना शर्त नक़द हस्तांतरण क्या उसे पूरा करते हैं; PIB की 25 फ़रवरी 2025 की विज्ञप्ति के अनुसार 2024 में 15-59 वर्ष की महिलाओं ने अवैतनिक घरेलू काम में रोज़ 305 मिनट बिताए। इसका उपयोग महिलाओं के काम पर GS1 के उत्तरों में, तथा कल्याणकारी योजनाओं और आशा एवं आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को स्वयंसेवक वर्गीकृत किए जाने पर GS2 के उत्तरों में करें। संतुलन के लिए: कई परिवार देखभाल को प्रेम और कर्तव्य मानते हैं, और नक़द भुगतान गृहकार्य को स्त्री का ही काम मानने की पुष्टि कर सकता है; अधिक मज़बूत मार्ग है इस काम की गणना करना (समय-उपयोग सर्वेक्षण), जिन्हें राज्य नियोजित करता है उन्हें वेतन देना, और पानी, रसोई गैस तथा शिशु-गृह के माध्यम से घंटे घटाना।

अनुक्रमणिका (Index)

आज के अंक में सब कुछ, कार्ड दर कार्ड · पढ़ने का समय: लगभग 2 घंटे 11 मिनट।

प्रारंभिक सामग्री (Front matter)

- संपादक की कलम से (A Letter from the Editor)
- हमारी प्रेरणा (Our Inspiration) — Rakesh Verma Sir
- आज के उद्धरण (Quotes of the Day)
- यहाँ से शुरू करें — आज की 5 सबसे ज़रूरी ख़बरें

1. राजव्यवस्था एवं शासन (Polity & Governance)

1.1 गुवाहाटी उच्च न्यायालय : असम की दो महिलाएँ न्यायाधिकरण की पुनः सुनवाई पूरी होने से पहले ही बांग्लादेश भेज दी गईं
1.2 अध्यक्ष ने 20 बागी TMC सांसदों को अयोग्यता याचिका का जवाब देने के लिए 20 अक्टूबर तक का समय दिया

2. अर्थव्यवस्था (Economy)

2.1 RBI ने बड़े विदेशी मुद्रा सौदों पर 20% का विदेशी मुद्रा जोखिम आरक्षित कोष लगाया और तेल विपणन कंपनियों के लिए डॉलर खिड़की खोली
2.2 AI डेटा केंद्र बिजली ग्रिड की लागत बढ़ा रहे हैं : पूर्वोत्तर ग्रिड के नियंत्रण उन्नयन का ख़र्च ₹521 करोड़ से बढ़कर ₹688 करोड़ हुआ
2.3 अमेरिकी व्यापार कार्यालय ने यूरोपीय संघ के कार्बन सीमा कर को निशाना बनाया, जबकि भारत ने EU के साथ अपने समझौते में “फ़ॉरवर्ड-MFN” खंड लिखवाया

3. कृषि एवं खाद्य (Agriculture & Food)

3.1 सिक्किम की काली इलायची की ज़मीन खिसकी, नेपाल अब विश्व की 68% फ़सल उगाता है

4. अंतरराष्ट्रीय संबंध (International Relations)

4.1 भारत-कनाडा CEPA वार्ता फिर शुरू होने के बीच कनाडा ने 300 सदस्यों का व्यापार मिशन भेजा
4.2 रूसी तेल के ख़रीदारों को धमकाने वाले कानून के कुछ ही सप्ताह बाद वाशिंगटन ने रूसी डीज़ल पर पाबंदियाँ ढीली कीं

5. पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी (Environment & Ecology)

5.1 असम–मेघालय के संयुक्त कुलसी बाँध को सीमावर्ती ग्रामीणों और खासी मुखियाओं ने सहमति देने से इनकार किया

7. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (Science & Technology)

6.1 वैज्ञानिकों ने पहली कार्यशील थोरियम-229 नाभिकीय घड़ियाँ बनाईं

8. समाज (Society)

7.1 NFHS-6 में तेलंगाना में बाल विवाह घटकर 17.9% रह गया, फिर भी परिवार बेटियों का जल्दी विवाह कर रहे हैं
7.2 गृहकार्य के लिए मज़दूरी : नई पुस्तक AIWC की 1939 की माँग को आज के नकद अंतरणों से जोड़ती है

9. नैतिकता एवं प्रशासक कोना — समन्वित केस स्टडी (Ethics & Administrator's Corner — Integrative Case Studies)

9.1 प्रकरण 1 — “मुझे अपनी भूल का एहसास हुआ” : बाल संरक्षण अधिकारी, पछतातीं माँ और 15 वर्ष की दुल्हन
9.2 प्रकरण 2 — 24 घंटे का आदेश : ज़िला आयुक्त और उपचार समाप्त होने से पहले निर्वासन

10. प्रारंभिक परीक्षा त्वरित-पुनरीक्षण तथ्य (Prelims Quick-Revision Facts)

10 20 परीक्षा-पैटर्न में एक-पंक्ति तथ्य (one-line facts in exam-pattern form)

11. उत्तर-लेखन, GS1, मानचित्र, नीतिशास्त्र और CSAT

11.1 आज का आदर्श उत्तर — कार्ड 1.1
11.2 GS1 कोना — Art & Culture: कोलकाता की दुर्गा पूजा और कुमारटुली के मिट्टी-प्रतिमा कारीगर
11.3 समाचार में स्थान — अपने एटलस पर चिह्नित करें (4)
11.4 आज का नीतिशास्त्र शब्द (GS4 खंड A) : प्रक्रियागत निष्पक्षता (प्राकृतिक न्याय) (Procedural fairness / natural justice)
11.5 CSAT अभ्यास (प्रश्नपत्र II)

12. आज के निबंध (Essays of the Day)

12.1 समय वह एकमात्र संपदा है जिसे कोई घड़ी रच नहीं सकती।

यहाँ से शुरू करें — आज की 5 सबसे ज़रूरी ख़बरें

पूरी पत्रिका लगभग दो घंटे की है। समय कम हो तो पहले ये पाँच कार्ड पढ़ें।

1.1	**गुवाहाटी उच्च न्यायालय : न्यायाधिकरण की पुनः सुनवाई पूरी होने से पहले असम की महिलाएँ निर्वासित** ***क्यों ज़रूरी:*** *GS2 मूल अधिकार: ग़ैर-नागरिकों के लिए अनुच्छेद 21, प्रारंभिक परीक्षा के लिए De Raedt; निर्वासन में विधिसम्मत प्रक्रिया मुख्य परीक्षा का तैयार विषय।*
2.1	**RBI ने 20% विदेशी मुद्रा जोखिम आरक्षित निधि और तेल के लिए डॉलर खिड़की तय की** ***क्यों ज़रूरी:*** *GS3 बाह्य क्षेत्र: प्रारंभिक परीक्षा के लिए FEMA, परिवर्तनीयता और NDF; मुख्य परीक्षा के लिए रुपये की कीमत तय किए बिना उसकी गिरावट थामना।*
5.1	**खासी मुखियाओं और ग्रामीणों का कुलसी बाँध का विरोध** ***क्यों ज़रूरी:*** *GS3 पर्यावरण और GS2 संघवाद: प्रारंभिक परीक्षा के लिए छठी अनुसूची, EIA और गंगा डॉल्फ़िन; मुख्य परीक्षा के लिए जनजातीय सहमति।*
7.1	**वैज्ञानिकों ने पहली कार्यशील थोरियम-229 नाभिकीय घड़ियाँ बनाईं** ***क्यों ज़रूरी:*** *GS3 विज्ञान: प्रारंभिक परीक्षा के लिए परमाणु बनाम नाभिकीय घड़ी, SI सेकंड और NavIC; समय-मापन एक सामरिक क्षमता के रूप में।*
8.1	**NFHS-6 में तेलंगाना में बाल विवाह घटकर 17.9%** ***क्यों ज़रूरी:*** *GS1 और GS2 महिला एवं बाल: प्रारंभिक परीक्षा के लिए PCMA 2006 और NFHS; मुख्य परीक्षा के लिए रोकथाम से निवारण की ओर बढ़ना।*

इस पत्रिका का उपयोग कैसे करें (How to use this magazine) — हर कहानी एक अध्ययन कार्ड (study card) है: क्या हुआ (समाचार / The News), यह पाठ्यक्रम के किस विषय पर बैठता है (स्थैतिक संबंध / Static Linkage), परीक्षक बार-बार इस विषय पर क्यों लौटते हैं (ट्रेंड / Trend), वे तथ्य जो प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) के किसी विकल्प का फैसला कर सकते हैं (प्रारंभिक मुख्य तथ्य / Prelims Nuggets), एक बिंदुवार विश्लेषण (Analysis), परीक्षा की अपनी भाषा में एक मुख्य परीक्षा (Mains) प्रश्न एक आदर्श दृष्टिकोण (Model Approach) के साथ, और वे प्रश्न जिनका सामना एक ज़िला मजिस्ट्रेट (District Magistrate) या संयुक्त सचिव (Joint Secretary) को वास्तव में करना पड़ेगा। हर लंबे क्षेत्र को क्रमांकित बिंदुओं में विभाजित किया गया है, जिनका अपना शीर्षक है, ताकि तर्क केवल शीर्षकों से ही पढ़ा जा सके। जहां कोई कहानी प्रभावों की एक श्रृंखला के माध्यम से आगे बढ़ती है, वहां पूरी श्रृंखला एक पंक्ति में दी जाती है इससे पहले कि बिंदु हर कड़ी को समझाएं।

1. राजव्यवस्था एवं शासन (Polity & Governance)

आज की दोनों राजव्यवस्था-ख़बरें निर्णय और उसमें लगने वाले समय के बीच की खाई की हैं। असम में राज्य ने इतनी जल्दबाज़ी दिखाई कि दो महिलाओं को न्यायाधिकरण की विधिसम्मत सुनवाई पूरी होने से पहले ही बांग्लादेश में धकेल दिया गया। लोकसभा में अध्यक्ष ने दल-बदल की एक याचिका को तीन बार समय-विस्तार लेने दिया है। प्रक्रिया के बिना गति और गति के बिना प्रक्रिया — दोनों एक ही विधि के शासन की विफलताएँ हैं।

1.1 गुवाहाटी उच्च न्यायालय: असम की दो महिलाएँ न्यायाधिकरण की पुनः सुनवाई पूरी होने से पहले ही बांग्लादेश भेज दी गईं

मुद्दा **विदेशी नागरिक, प्रवेश और 2025 का अधिनियम** (कड़ी 2) **दृष्टि (Lens)** स्वतंत्रता और व्यवस्था · स्वतंत्रता और जवाबदेही

> *अब तक की कहानी: आप्रवासन और विदेशी विषयक अधिनियम, 2025 (Immigration and Foreigners Act, 2025) ने विदेशी अधिनियम, 1946 की जगह ली। लुई डी रेड (1991) में विदेशियों के मूल अधिकार अनुच्छेद 21 तक सीमित माने गए; 30 सितंबर को दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि वीज़ा से देश में प्रवेश का अधिकार नहीं मिलता।*

समाचार (THE NEWS) गुवाहाटी। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, 7 अक्टूबर को गुवाहाटी उच्च न्यायालय की एक पीठ ने असम को चेतावनी दी कि यदि वह यह नहीं बताता कि नगाँव विदेशी न्यायाधिकरण (Foreigners Tribunal — FT) ने जहाँनारा बेगम (47) और मुमताज़ बेगम (43) पर अपनी राय कब तैयार की, तो न्यायालय यह मान लेगा कि राय "उचित समय के भीतर तैयार नहीं की गई थी"। अप्रैल में उच्च न्यायालय ने उन्हें विदेशी घोषित करने वाली FT की पूर्व राय को रद्द करके मामले पुनः सुनवाई के लिए लौटा दिए थे। 29 और 30 मई की पुनः सुनवाई के दौरान पुलिस उन्हें उठा ले गई; आप्रवासी (असम से निष्कासन) अधिनियम, 1950 के अंतर्गत ज़िला आयुक्त के आदेश ने उन्हें देश छोड़ने के लिए 24 घंटे दिए, और 13–14 जून की रात सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने उन्हें बांग्लादेश में धकेल दिया। 3 सितंबर को एक अन्य पीठ ने इन आदेशों को "प्रहसन" कहा, प्रत्येक परिवार को ₹2 लाख देने का आदेश दिया और माना कि अनुच्छेद 21 "केवल भारत के नागरिकों ही नहीं, बल्कि विदेशियों" की भी रक्षा करता है।

एक पंक्ति में पूरी श्रृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

FT की राय (2019) → उच्च न्यायालय द्वारा मामला वापस भेजा गया (अप्रैल 2026) → पुनः सुनवाई के समय हिरासत → BSF द्वारा धकेला जाना (13–14 जून) → न्यायालय ने FT से राय का समय-अंकन माँगा

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)	1. **अनुच्छेद 21 प्रत्येक व्यक्ति को मिलता है; अनुच्छेद 19 केवल नागरिकों को** — अनुच्छेद 14 और 21 किसी भी "व्यक्ति" की रक्षा करते हैं; अनुच्छेद 19 की स्वतंत्रताएँ केवल नागरिकों के लिए हैं। लुई डी रेड बनाम भारत संघ (Louis De Raedt v Union of India, 1991) में विदेशी का मूल अधिकार अनुच्छेद 21 तक सीमित माना गया, जबकि NHRC बनाम अरुणाचल प्रदेश राज्य (NHRC v State of Arunachal Pradesh, 1996) में राज्य को चकमा शरणार्थियों की, चाहे वे नागरिक हों या नहीं, रक्षा करने के लिए बाध्य किया गया। 2. **विदेशी न्यायाधिकरण अब 2025 के अधिनियम के अंतर्गत कार्य करते हैं** — PRS के अनुसार, आप्रवासन और विदेशी विषयक अधिनियम, 2025 ने विदेशी अधिनियम, 1946 को निरस्त कर दिया; बताया जाता है कि इसके अंतर्गत बना विदेशी न्यायाधिकरण आदेश 1964 के आदेश का स्थान लेता है। नागरिकता सिद्ध करने का भार व्यक्ति पर है, जिसे सर्बानंद सोनोवाल बनाम भारत संघ (Sarbananda Sonowal v Union of India, 2005) में बरकरार रखा गया था, जिसने IMDT अधिनियम, 1983 को असंवैधानिक ठहराया।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)	1. **गैर-नागरिकों के लिए नियत प्रक्रिया GS2 का जीवंत विषय है** — GS2 में संविधान के "महत्वपूर्ण प्रावधान" शामिल हैं; हिरासत और जबरन वापसी (पुशबैक) इन्हीं की कसौटी हैं।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● अनुच्छेद 14, 20 और 21 सभी व्यक्तियों पर लागू होते हैं; अनुच्छेद 15, 16 और 19 केवल नागरिकों तक सीमित हैं। ● लुई डी रेड बनाम भारत संघ (1991): विदेशी का मूल अधिकार अनुच्छेद 21 तक सीमित है। ● NHRC बनाम अरुणाचल प्रदेश राज्य (1996) का संबंध कप्ताई जलविद्युत परियोजना से विस्थापित चकमा शरणार्थियों से था। ● आप्रवासन और विदेशी विषयक अधिनियम, 2025 ने विदेशी अधिनियम, 1946 तथा तीन अन्य आप्रवासन कानूनों को निरस्त कर दिया।
विश्लेषण (ANALYSIS)	1. **यदि पुनः सुनवाई पूरी होने से पहले ही व्यक्ति को हटाया जा सकता है, तो मामला वापस भेजना खोखला है** — मामला लौटाने से जाँच फिर खुली; किंतु कुछ ही घंटों में निष्कासन ने नई सुनवाई को औपचारिकता बना दिया। इसीलिए न्यायालय का ध्यान समय-अंकन पर है: यदि पुलिस की कार्रवाई के समय कोई राय अस्तित्व में ही नहीं थी, तो हिरासत का कोई विधिक

	आधार नहीं था। 2. **लेंस — स्वतंत्रता और व्यवस्था : निष्कासन तभी वैध है जब प्रक्रिया पूरी हो चुकी हो** — डी रेड निष्कासन की व्यापक शक्ति स्वीकार करता है ; अनुच्छेद 21 केवल अनुचित प्रक्रिया से किए गए निष्कासन को रोकता है। एक विवेकशील अधिकारी हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को थमाए गए 24 घंटे के आदेश को प्रक्रिया नहीं, काग़ज़ी खानापूरी मानेगा, और अंतिम, सूचित आदेश की प्रतीक्षा करेगा। 3. **बँटी हुई एजेंसियाँ हर किसी को परिणाम से पल्ला झाड़ने देती हैं** — FT, सीमा पुलिस, ज़िला आयुक्त और BSF — हर एक ने केवल एक चरण निभाया, और BSF ने न्यायालय से कहा कि नागरिकता तय करने में उसकी "कोई भूमिका नहीं" थी। जब श्रृंखला का कोई स्वामी नहीं होता, तो उसकी जाँच भी कोई नहीं करता ; और जिस देश ने इन महिलाओं को स्वीकार ही नहीं किया, वहाँ धकेले जाने को मुआवज़ा पलट नहीं सकता।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	"अनुच्छेद 21 केवल नागरिकों की ही नहीं, विदेशियों की भी रक्षा करता है।" असम में विदेशियों की पहचान और उनके निर्वासन की राज्य की शक्ति को यह सिद्धांत किस हद तक सीमित करता है, परीक्षण कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. **निर्देश — परीक्षण कीजिए** — सिद्धांत, उसकी सीमाओं और व्यवहार की पड़ताल कीजिए ; अपना मत दीजिए। 2. **भूमिका — नगाँव की महिलाएँ पुनः सुनवाई पूरी होने से पहले ही हटा दी गईं** — सितंबर और अक्टूबर के आदेशों पर एक पंक्ति। 3. **मुख्य भाग — विदेशियों को अनुच्छेद 21 मिलता है, अनुच्छेद 19 नहीं** — मूल्य-वर्धन : डी रेड (1991), NHRC बनाम अरुणाचल प्रदेश (1996)। 4. **मुख्य भाग — निष्कासन की शक्ति व्यापक है, पर बँटी हुई एजेंसियाँ निष्पक्ष प्रक्रिया छोड़ देती हैं** — सबूत के भार पर सोनोवाल (2005)। आरेख : FT → सीमा पुलिस → हिरासत केंद्र → ज़िला आयुक्त का आदेश → BSF, हर तीर पर छूटी हुई जाँच। 5. **निष्कर्ष — अंतिम, अभिलिखित आदेश से पहले कोई निष्कासन नहीं** — समय-अंकित राय, अधिवक्ता को सूचना, न्यायिक निगरानी।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	**प्रश्न 1. आप ज़िला आयुक्त हैं और पुलिस आपसे एक ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध निष्कासन आदेश माँगती है जिसे अभी-अभी विदेशी घोषित किया गया है। आप क्या जाँचेंगे ?** ***दृष्टिकोण (Approach):*** मैं तारीख़ और समय सहित FT की हस्ताक्षरित राय देखूँगा, और यह भी कि उच्च न्यायालय का कोई वापसी-आदेश या स्थगन लंबित तो नहीं है। व्यक्ति और उसके अधिवक्ता को प्रति तथा अपील के लिए समय मिलना चाहिए। हर कदम अभिलेख पर रहेगा, क्योंकि आधारहीन आदेश किसी नागरिक के साथ अन्याय कर सकता है।

1.2 अध्यक्ष ने 20 बागी TMC सांसदों को अयोग्यता याचिका का जवाब देने के लिए 20 अक्टूबर तक का समय दिया

मुद्दा **दल-बदल और दसवीं अनुसूची** (कड़ी 3) **दृष्टि (Lens)** स्वतंत्रता और जवाबदेही · विधि का शासन और विवेकाधिकार

> *अब तक की कहानी: अध्यक्ष के कार्रवाई न करने पर तेलंगाना उच्च न्यायालय ने BRS विधायक दानम नागेंद्र को अयोग्य ठहराया, और सर्वोच्च न्यायालय ने इसे बरकरार रखा। ADR के अनुसार 2022 से अब तक 111 वर्तमान विधायकों/सांसदों ने दल बदला है, जिससे यह प्रश्न फिर उठा है कि दल-बदल के मामलों का निर्णय कौन करे।*

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली। द इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार, लोकसभा अध्यक्ष कार्यालय ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) के 20 बागी सांसदों को TMC नेता अभिषेक बनर्जी की अयोग्यता-याचिका का उत्तर देने के लिए 20 अक्टूबर तक का समय दिया है ; याचिका लोकसभा के सदस्य (दल-बदल के आधार पर निरर्हता) नियम, 1985 [Members of Lok Sabha (Disqualification on Ground of Defection) Rules, 1985] के नियम 6 के अंतर्गत है। अध्यक्ष ने 25 सितंबर को 8 अक्टूबर की तारीख़ तय की थी ; 8 अक्टूबर को सांसदों ने 22 अक्टूबर तक समय माँगा, जो समय-विस्तार का उनका तीसरा अनुरोध है। बागियों ने ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पार्टी छोड़ दी और "NCPI" में विलय कर लिया तथा अलग इकाई के रूप में मान्यता चाही। अध्यक्ष ने मानसून सत्र से पहले उन्हें अलग आसन दिए, पर उन्हें संसदीय दल के रूप में मान्यता नहीं दी है। 25 सितंबर को बनर्जी की याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की कि अध्यक्ष को शीघ्र निर्णय करना चाहिए। प्रश्न यह है कि क्या बागियों का "विलय" दसवीं अनुसूची के एकमात्र शेष अपवाद पर खरा उतरता है।

एक पंक्ति में पूरी श्रृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

TMC में फूट → 20 सांसदों का NCPI में विलय → बनर्जी की अध्यक्ष को याचिका → सर्वोच्च न्यायालय का शीघ्र निपटारे का निर्देश (25 सितंबर) → तीसरा समय-विस्तार, अब 20 अक्टूबर तक

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)	1. **दसवीं अनुसूची दल छोड़ने या उसकी अवहेलना करने पर अयोग्य ठहराती है** — 52वें संशोधन (1985) द्वारा जोड़ी गई इस अनुसूची का पैराग्राफ 2 उस सदस्य को अयोग्य ठहराता है जो स्वेच्छा से दल की सदस्यता छोड़ दे या उसके निर्देश के विरुद्ध मतदान करे। पैराग्राफ 3, जो एक-तिहाई के विभाजन को संरक्षण देता था, 91वें संशोधन (2003) द्वारा हटा दिया गया। पैराग्राफ 4 विलय को तभी बचाता है जब विधायक दल के कम-से-कम दो-तिहाई सदस्य उससे सहमत हों। 2. **निर्णय अध्यक्ष करता है, किंतु वह न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन है** — पैराग्राफ 6 अध्यक्ष या सभापति को निर्णायक प्राधिकारी बनाता है, और पैराग्राफ 8 उन्हें 1985 के लोकसभा नियमों जैसे नियम बनाने देता है। किहोतो होलोहन (Kihoto Hollohan, 1992) में अनुसूची को वैध ठहराया गया, पर पैराग्राफ 7 द्वारा न्यायालयों पर लगाया गया प्रतिबंध रद्द कर दिया गया; इस प्रकार अध्यक्ष एक अधिकरण के रूप में कार्य करता है जिसके निर्णय की समीक्षा हो सकती है।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)	1. **विलंब अब दल-बदल की मुख्य समस्या है** — GS2 में "संसद और राज्य विधानमंडल — संरचना, कार्यकरण, कार्य संचालन, शक्तियाँ एवं विशेषाधिकार" शामिल हैं; न्यायालय बार-बार समय-सीमा पर लौट रहे हैं, जिससे अध्यक्ष की भूमिका परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाती है।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● दसवीं अनुसूची का पैराग्राफ 3 (एक-तिहाई विभाजन) 91वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 द्वारा हटा दिया गया। ● पैराग्राफ 4: विलय तभी वैध है जब विधायक दल के कम-से-कम दो-तिहाई सदस्य सहमत हों। ● केशम मेघचंद्र सिंह (Keisham Meghachandra Singh, 2020): अध्यक्ष को असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर अयोग्यता याचिकाओं का निर्णय तीन महीने के भीतर करना चाहिए। ● सुभाष देसाई (Subhash Desai, 2023): सचेतक की नियुक्ति राजनीतिक दल करता है, विधायक दल नहीं।
विश्लेषण (ANALYSIS)	1. **लेंस — स्वतंत्रता और जवाबदेही: घड़ी ही अध्यक्ष की असली शक्ति है** — किसी एक पक्ष की मदद के लिए अध्यक्ष को ग़लत निर्णय देने की ज़रूरत नहीं; देर से निर्णय देना ही पर्याप्त है, क्योंकि याचिका लंबित रहने तक दल-बदलू सदस्य अपनी सीट बनाए रखता है। मेघचंद्र ने तीन महीने की सीमा तय की और 2025 के तेलंगाना निर्णय ने उसे दोहराया तथा देसाई के "उचित समय" को अस्पष्ट कहा। एक विवेकशील अधिकारी कहेगा कि एक बार समय-विस्तार उचित है, किंतु तीसरा विस्तार सर्वोच्च न्यायालय के सितंबर के शीघ्रता के अनुरोध पर बोझ डालता है। 2. **विलय को केवल संख्या से नहीं, दल की कसौटी पर परखना होगा** — बागियों को दिखाना होगा कि TMC के लोकसभा सदस्यों में से कम-से-कम दो-तिहाई सहमत थे। देसाई ने माना कि सचेतक पर नियंत्रण राजनीतिक दल का है, केवल विधायकों का नहीं, जिससे विधायी संख्या पर टिका दावा कमज़ोर पड़ता है। अलग आसन सदन के भीतर की व्यवस्था है, मान्यता नहीं। 3. **नियम अनुसूची की राजनीति से आगे नहीं निकल सकते** — 1985 के नियम अध्यक्ष को उत्तर माँगने देते हैं, इसलिए हर समय-विस्तार काग़ज़ पर वैध है। किंतु अनुसूची का उद्देश्य दल-बदल की कीमत को तत्काल बनाना है। जब तक कोई कानून समय-सीमा तय नहीं करता, परिणाम अध्यक्ष के न्यायसंगतता संबंधी विवेक पर निर्भर रहेगा।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	आकलन कीजिए कि क्या अध्यक्ष के लिए न्यायालयों द्वारा समय-सीमा तय करना दसवीं अनुसूची के अंतर्गत दल-बदल याचिकाओं के निर्णय में होने वाले विलंब का उपचार कर सकता है। (10 अंक, 150 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. **निर्देश — आकलन कीजिए** — आँकिए कि समय-सीमाएँ कितनी कारगर हैं; निष्कर्ष तक पहुँचिए। 2. **भूमिका — 20 TMC सांसदों को तीन समय-विस्तार मिले** — एक पंक्ति; पैराग्राफ 6 के अंतर्गत अध्यक्ष एक अधिकरण के रूप में। 3. **मुख्य भाग — समय-सीमाएँ सहायक हैं, पर उनमें दाँत नहीं** — मूल्य-वर्धन: मेघचंद्र (2020), तीन महीने; तेलंगाना (2025)। आरेख: याचिका → नोटिस → समय-विस्तार → निर्णय, विलंब चिह्नित। 4. **मुख्य भाग — गहरी खामी समय-सीमा नहीं, निर्णायक प्राधिकारी है** — मेघचंद्र ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता वाले अधिकरण का सुझाव दिया था।

	5. निष्कर्ष — वैधानिक समय-सीमा के साथ स्वतंत्र अधिकरण — न्यायालय केवल प्रेरित कर सकते हैं ; कानून संसद को बनाना होगा।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	**प्रश्न 1. साक्षात्कार मंडल पूछता है : क्या दल-बदल पर निर्णय का प्राधिकार अध्यक्ष के पास ही रहना चाहिए ?** ***दृष्टिकोण (Approach):*** अध्यक्ष सदन को जानता है, और किहोतो ने न्यायालयों को जाँच के रूप में बनाए रखा। किंतु अध्यक्ष किसी दल से आते हैं, और देरी उसी पक्ष को लाभ देती है जिससे अध्यक्ष संबद्ध हैं। मैं अध्यक्ष को निर्णायक प्राधिकारी तभी रखूँगा जब तीन महीने की बाध्यकारी सीमा हो, जिसके पूरा न होने पर याचिका स्वतंत्र अधिकरण के पास चली जाए, जैसा मेघचंद्र ने सुझाया था।

2. अर्थव्यवस्था (Economy)

आज की तीनों ख़बरें इस प्रश्न पर टिकी हैं कि विदेश से उठे झटके की क़ीमत कौन चुकाता है। युद्ध से बढ़े तेल के बिल ने रुपये पर दबाव डाला है, और भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) अब रुपये के ख़िलाफ़ दाँव लगाने वाले सट्टेबाज़ों और बड़े आयातकों से ज़्यादा क़ीमत वसूल रहा है। AI की तेज़ी से बिजली ग्रिड के उपकरण महँगे हो रहे हैं, और संचरण शुल्क के रास्ते इसका बोझ हर बिजली उपभोक्ता तक पहुँच सकता है। यूरोप का कार्बन कर भारतीय इस्पात की लागत बढ़ा रहा है, और भारत को आशा है कि वाशिंगटन का दबाव वह राहत दिला देगा जो वह स्वयं नहीं पा सका।

2.1 RBI ने बड़े विदेशी मुद्रा सौदों पर 20% का विदेशी मुद्रा जोखिम आरक्षित कोष लगाया और तेल विपणन कंपनियों के लिए डॉलर खिड़की खोली

मुद्रा विदेशी मुद्रा भंडार और रुपया (कड़ी 2) दृष्टि (Lens) बाज़ार और राज्य · रणनीतिक स्वायत्तता और साझेदारी

> *अब तक की कहानी: ईरान युद्ध के बाद से RBI रुपये की रक्षा में भंडार ख़र्च कर रहा है; ये 4 सितंबर को $785.71 अरब के शिखर पर पहुँचे थे और अपनी वायदा बही समेटने के साथ तब से घटे हैं।*

समाचार (THE NEWS) मुंबई, 10 अक्टूबर। 9 अक्टूबर को रुपया 96.73 प्रति डॉलर पर था, जो उसके रिकॉर्ड निचले स्तर के क़रीब है। इसी बीच RBI ने प्रेस विज्ञप्तियों में कहा कि बैंकों को विदेशी मुद्रा जोखिम आरक्षित कोष (Foreign Exchange Risk Reserve — FERR) रखना होगा, जो RBI के पास नक़द में जमा होगा। यह $2 मिलियन से ऊपर के ऐसे हर रुपया-विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव के रुपया-मूल्य का 20% होगा जो चालू खाते के उस भुगतान की बचाव-व्यवस्था (हेजिंग) करता है जिसमें उपयोगकर्ता विदेशी मुद्रा ख़रीदता है। द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार यह बैंकों पर लगा आरक्षित कोष है, ग्राहकों पर स्वत: लगने वाला शुल्क नहीं। अंतर्निहित जोखिम (underlying exposure) साबित किए बिना लिए जाने वाले सौदों की सीमा सभी बाज़ारों में $100 मिलियन से घटाकर $5 मिलियन कर दी गई है; रद्द किया गया सौदा दोबारा बुक नहीं हो सकता, हालाँकि परिपक्वता पर रोलओवर की अनुमति है। 12 अक्टूबर से RBI नामित बैंकों के माध्यम से डॉलर भी बेचेगा, ताकि IOCL, HPCL और BPCL की पूरी दैनिक ज़रूरत पूरी हो सके; द हिंदू के अनुमान से यह लगभग $300 मिलियन प्रतिदिन है।

एक पंक्ति में पूरी श्रृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

ईरान युद्ध से ब्रेंट $104.4 पर → तेल बिल और $26.3 अरब की FII निकासी से डॉलर की माँग बढ़ी → वायदा ख़रीद और दाँव रुपये की गिरावट को हवा देते हैं → 7 अक्टूबर की रेपो दर वृद्धि नाकाम → RBI बड़े हेज पर कर लगाता है और तेल की माँग को बाज़ार से हटा लेता है

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)	1. **विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA), 1999 RBI को विदेशी मुद्रा बाज़ार का नियामक बनाता है** — FEMA ने विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (FERA), 1973 का स्थान लिया और विदेशी मुद्रा के उल्लंघनों को दीवानी अपराध बना दिया। बैंक RBI से अनुज्ञप्त "प्राधिकृत विक्रेता" (authorised dealers) के रूप में कारोबार करते हैं और उन्हें A.P. (DIR Series) परिपत्रों से निर्देश मिलते हैं; ये नियम परिपत्र संख्या 25 और 26 के रूप में आए। 2. **रुपये की दर बाज़ार तय करता है, पर उतार-चढ़ाव को RBI सँभालता है** — 1992 की उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली (Liberalised Exchange Rate Management System) से दोहरी दर शुरू हुई, जो मार्च 1993 में एकीकृत होकर बाज़ार-निर्धारित दर बन गई। रुपया अगस्त 1994 से चालू खाते पर परिवर्तनीय है, पर पूँजी खाते पर केवल आंशिक रूप से। RBI का लक्ष्य उतार-चढ़ाव को थामना है, किसी स्तर की रक्षा करना नहीं।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)	1. **GS3: "भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, संवृद्धि, विकास तथा रोज़गार से संबंधित मुद्दे"** — विनिमय दर प्रबंधन और पूँजी नियंत्रण दोनों प्रश्नपत्रों में बार-बार आते हैं।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	• FEMA, 1999 ने FERA, 1973 का स्थान लिया; FEMA के अंतर्गत उल्लंघन दीवानी अपराध हैं, आपराधिक नहीं। • भारत मार्च 1993 में एकीकृत, बाज़ार-निर्धारित विनिमय दर पर आया। • रुपया अगस्त 1994 से चालू खाते पर परिवर्तनीय है, जब भारत ने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के संस्थापक करार के अनुच्छेद VIII को स्वीकार किया। • नॉन-डिलीवरेबल फ़ॉरवर्ड (NDF) का निपटान केवल अंतर का भुगतान करके, किसी परिवर्तनीय मुद्रा में, प्राय: विदेश में किया जाता है।
विश्लेषण (ANALYSIS)	1. **बचाव और सट्टा एक ही अनुबंध से होते हैं, इसलिए RBI मंशा नहीं, आकार और दोहराव को नियंत्रित करता है** — जो आयातक आज तीन महीने बाद देय भुगतान की दर तय कर लेता है, वह हानि से बीमा कर रहा है यानी हेजिंग; पर जो बिना किसी भुगतान के डॉलर वायदा में ख़रीदता है, वह रुपये के कमज़ोर होने पर दाँव लगा रहा है। बैंक मंशा नहीं पढ़ सकते, इसलिए RBI $5 मिलियन से ऊपर प्रमाण माँगता है और रद्द करके दोबारा बुक करने की अदला-बदली पर

	रोक लगाता है। असली आयातकों को भी क़ीमत चुकानी पड़ेगी: बैंकरों ने ET से कहा कि हेजिंग "लगभग असंभव" हो जाएगी। **2. दृष्टि — बाज़ार और राज्य: झुंड-प्रवृत्ति का सट्टा बाज़ार की विफलता है, पर इलाज मूल्य-संकेत को कुंद करता है** — जब सब मानकर चलते हैं कि रुपया गिरेगा, तो डॉलर जल्दी ख़रीदना स्वयं सच होने वाली भविष्यवाणी बन जाता है। कुछ बैंकरों की चेतावनी है कि ये बंदिशें रुपये के बाज़ार-निर्धारित मूल्य को विकृत कर सकती हैं। विवेकशील अधिकारी इन्हें समाप्ति-तिथि वाले परिपथ-विच्छेदक (सर्किट ब्रेकर) की तरह देखेगा, क्योंकि मूलभूत कारकों से दूर रखी गई क़ीमत नए दाँवों को न्योता देती है। **3. तेल खिड़की भारत के सबसे बड़े डॉलर बिल को बाज़ार से हटाकर भंडार पर डाल देती है** — सबसे बड़े नियमित ख़रीदार को हाज़िर बाज़ार से हटाने से दबाव तुरंत घटता है, जैसा 2013 में हुआ था। पर 2 अक्टूबर को समाप्त सप्ताह में भंडार $12.95 अरब घटकर $734.60 अरब रह गया, और इस खिड़की की कोई अंतिम तिथि नहीं है।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	RBI का विदेशी मुद्रा जोखिम आरक्षित कोष बचाव और सट्टे को अलग करने का प्रयास है। आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए कि क्या ऐसी बंदिशें बाज़ार-निर्धारित विनिमय दर के अनुकूल हैं। (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	**1. निर्देश — आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए** — दोनों पक्ष तौलिए, फिर निष्कर्ष दीजिए। **2. भूमिका — 96.73 पर रुपया और बड़े हेज पर 20% का आरक्षित कोष** — तीनों उपायों के नाम बताइए। **3. मुख्य भाग — एकतरफ़ा दाँव बाज़ार की विफलता हैं जिन्हें नियामक सुधार सकता है** — मूल्य-वर्धन: इस वर्ष $26.3 अरब की शुद्ध FII निकासी। **4. मुख्य भाग — बंदिशें असली आयातकों पर कर लगाती हैं, और तेल खिड़की भंडार घटाती है** — प्रवाह-आरेख: तेल की क़ीमत → डॉलर की माँग → वायदा ख़रीद → कमज़ोर रुपया। **5. निष्कर्ष — केवल अस्थायी परिपथ-विच्छेदक के रूप में अनुकूल** — बंदिशों की समाप्ति-तिथि तय कीजिए; चालू खाते को सुधारिए।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	**प्रश्न 1. RBI के कार्यकारी निदेशक के रूप में, आप उन आयातकों को क्या उत्तर देंगे जो कहते हैं कि FERR ने हेजिंग को वहन-योग्य नहीं रहने दिया?** ***दृष्टिकोण (Approach):*** मैं जाँचूँगा कि क्या बैंक पूरी लागत ग्राहकों पर डाल रहे हैं, क्योंकि यह आरक्षित कोष ग्राहक शुल्क नहीं है। मैं समीक्षा की तिथि प्रकाशित करूँगा, और यदि छोटे आयातक सबसे अधिक प्रभावित हों तो $2 मिलियन की सीमा बढ़ाने पर विचार करूँगा।

2.2 AI डेटा केंद्र बिजली ग्रिड की लागत बढ़ा रहे हैं: पूर्वोत्तर ग्रिड के नियंत्रण उन्नयन का ख़र्च ₹521 करोड़ से बढ़कर ₹688 करोड़ हुआ

मुद्दा Data centres and the grid (नया मुद्दा) **दृष्टि (Lens)** नवाचार और सुरक्षा उपाय · विकास और पर्यावरण

अब तक की कहानी: भारत AI डेटा केंद्रों को लुभा रहा है, जो चौबीसों घंटे भारी बिजली खींचते हैं और उपयोग के साथ जिनकी माँग तेज़ी से घट-बढ़ सकती है। ग्रिड योजनाकार अब कहीं जाकर आकलन कर रहे हैं कि उन्हें कितनी बिजली चाहिए होगी।

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली। द हिंदू के अनुसार जुलाई में पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विद्युत समिति (North Eastern Regional Power Committee — NERPC) ने ग्रिड संचालकों और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (PGCIL) के साथ बैठक की, क्योंकि क्षेत्र की ग्रिड-नियंत्रण प्रणालियों के रखरखाव अनुबंध समाप्ति के निकट थे। PGCIL ने बताया कि SCADA/EMS के उन्नयन की लागत, जिन प्रणालियों से राज्य भार प्रेषण केंद्र ग्रिड को वास्तविक समय में देखते और चलाते हैं, ₹521 करोड़ से बढ़कर लगभग ₹688 करोड़ हो गई है, क्योंकि AI-जनित माँग से उपकरण महँगे हो रहे थे। पिछले दिसंबर की पूर्वी क्षेत्रीय विद्युत समिति की बैठक में ओडिशा ने डेटा केंद्रों की थोक बिजली ख़रीद के "रैंपिंग प्रभाव" की ओर ध्यान दिलाया था। ग्रिड-इंडिया की एक समिति डेटा केंद्रों की माँग का अध्ययन कर रही है। आधिकारिक अनुमान अलग-अलग हैं: जुलाई में संसद में दिए गए एक लिखित उत्तर में, जैसा रिपोर्ट हुआ, 2031-32 तक डेटा केंद्रों की माँग 26.3 GW बताई गई, जबकि 1 अक्टूबर को रिपोर्ट किए गए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (Central Electricity Authority — CEA) के अनुमान में यह लगभग 17 GW है।

एक पंक्ति में पूरी श्रृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

AI मॉडलों को बड़े सर्वर-फ़ार्म चाहिए → चिप और नियंत्रण उपकरणों की माँग बढ़ती है → ग्रिड-नियंत्रण उन्नयन महँगा होता है, पूर्वोत्तर में ₹521 करोड़ से ₹688 करोड़ → डेटा केंद्र अचानक थोक बिजली खींचते हैं जिसका धीमे जनित्र पीछा नहीं कर पाते → लागत संचरण शुल्क के रास्ते उपभोक्ताओं तक पहुँचती है

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)	1. **विद्युत अधिनियम (Electricity Act), 2003 ग्रिड नियंत्रण की परतदार व्यवस्था बनाता है** — धारा 2(55) क्षेत्रीय विद्युत समिति को केंद्र सरकार द्वारा गठित ऐसी संस्था के रूप में परिभाषित करती है जो किसी क्षेत्र में ग्रिड के एकीकृत संचालन को सुगम बनाती है। धारा 28 के अंतर्गत क्षेत्रीय भार प्रेषण केंद्र अपने क्षेत्र के एकीकृत संचालन की शीर्ष संस्था है; उसके ऊपर राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र और नीचे राज्य केंद्र हैं। 2. **CERC नियम बनाता है और ग्रिड-इंडिया प्रेषण केंद्र चलाता है** — केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (CERC) अंतर-राज्यीय संचरण का विनियमन करता है और उसने विचलन निपटान तंत्र (Deviation Settlement Mechanism) बनाया है, जो उपयोगकर्ताओं से निर्धारित कार्यक्रम से भटकने पर शुल्क लेता है। ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड (ग्रिड-इंडिया), जो पहले POSOCO था, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय केंद्र चलाता है। CEA राष्ट्रीय विद्युत योजना तैयार करता है।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)	1. **GS3: "अवसंरचना : ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन, रेलवे आदि"** — ऊर्जा के प्रश्न क्षमता से हटकर ग्रिड स्थिरता और इस पर कि लागत कौन उठाए, की ओर बढ़ रहे हैं।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 28 के अंतर्गत क्षेत्रीय भार प्रेषण केंद्र अपने क्षेत्र में विद्युत प्रणाली के एकीकृत संचालन की शीर्ष संस्था है। ● SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) भार प्रेषण केंद्रों को ग्रिड की वास्तविक समय में निगरानी और नियंत्रण करने देता है। ● CERC द्वारा बनाया गया विचलन निपटान तंत्र ग्रिड उपयोगकर्ताओं से निर्धारित कार्यक्रम से अधिक बिजली लेने या डालने पर शुल्क वसूलता है। ● केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत राष्ट्रीय विद्युत योजना तैयार करता है।
विश्लेषण (ANALYSIS)	1. **AI की बिजली की लागत सभी उपभोक्ताओं में बाँटी जा रही है** — अखिल भारतीय बिजली वितरण कंपनी संघ (All-India Discoms Association) के आलोक कुमार का कहना है कि उन्नयन की लागत संचरण शुल्क से वसूली जाएगी, जिसे हर उपभोक्ता चुकाता है। साझा ग्रिड के लिए यह उचित है, पर जब चंद बड़े उपयोगकर्ता लागत बढ़ा रहे हों, तब "जो लागत पैदा करे वही चुकाए" का नियम, जैसे भारी उपयोगकर्ताओं पर कनेक्शन शुल्क, वज़न का हक़दार है। 2. **दृष्टि — नवाचार और सुरक्षा-उपाय : डेटा केंद्रों का स्वागत कीजिए, पर उन्हें बिजली संयंत्रों की तरह जोड़िए** — डेटा केंद्र निवेश लाते हैं, पर CEA समिति के कार्यवृत्त के अनुसार उनका भार वैश्विक समय-क्षेत्रों के साथ घट-बढ़ सकता है। उत्तरी समिति ने बिजली आपूर्ति से पहले ग्रिड-कनेक्शन अनुपालन जाँचने पर चर्चा की है। विवेकशील अधिकारी रैंप-सीमा और परिसर में भंडारण को कनेक्शन की शर्त बनाएगा, जैसा पवन और सौर ऊर्जा के लिए किया जाता है। 3. **वास्तविक तनाव राष्ट्रीय कुल से नहीं, संकेंद्रण से है** — कुमार कहते हैं कि प्रति वर्ष एक से दो गीगावाट राष्ट्रीय स्तर पर "कोई बड़ा अंतर नहीं डालेगा", पर यह हैदराबाद, मुंबई, चेन्नई, विशाखापत्तनम और दिल्ली-NCR में केंद्रित है। अनुमान 17 से 26.3 GW तक बिखरे हों तो योजनाकारों को ग़लत जगहों पर लाइनें बिछाने का जोखिम है, और कोई कमी जीवाश्म बिजली से भरी जा सकती है।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	AI डेटा केंद्र बिजली का एक नए प्रकार का भार हैं। भारत के बिजली ग्रिड के संचालन और वित्तपोषण के लिए उनसे उत्पन्न चुनौतियों का परीक्षण कीजिए। (10 अंक, 150 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. **निर्देश — परीक्षण कीजिए** — चुनौतियों को प्रमाण सहित रखिए। 2. **भूमिका — नियंत्रण उन्नयन ₹521 करोड़ से बढ़कर ₹688 करोड़** — इसे AI की माँग से जोड़िए। 3. **मुख्य भाग — अचानक रैंप धीमे जनित्रों पर दबाव डालते हैं** — आरेख बनाइए : भार में उतार-चढ़ाव → आवृत्ति विचलन → प्रेषण केंद्र की प्रतिक्रिया। 4. **मुख्य भाग — लागत संचरण शुल्क के रास्ते सभी उपभोक्ताओं तक पहुँचती है** — मूल्य-वर्धन : 2031-32 तक 17 GW बनाम 26.3 GW। 5. **निष्कर्ष — ग्रिड-कोड की शर्तें और लागत-अनुरूप शुल्क** — डेटा केंद्रों के समूहों के आसपास लाइनों की योजना बनाइए।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं	**प्रश्न 1. राज्य संचरण उपक्रम के प्रमुख के रूप में, तीन बड़े डेटा केंद्र दो वर्ष के भीतर राजधानी के**

दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	**निकट कनेक्शन माँग रहे हैं। आप क्या करेंगे?** ***दृष्टिकोण (Approach):*** मैं हर केंद्र से उसका भार-प्रोफ़ाइल और रैंप दर माँगूँगा तथा ग्रिड-कोड अनुपालन, जिसमें भंडारण या रैंप-सीमा शामिल है, को कनेक्शन की शर्त बनाऊँगा। मैं नियामक से समर्पित कनेक्शन शुल्क माँगूँगा ताकि पूरी लागत साधारण उपभोक्ताओं पर न पड़े।

2.3 अमेरिकी व्यापार कार्यालय ने यूरोपीय संघ के कार्बन सीमा कर को निशाना बनाया, जबकि भारत ने EU के साथ अपने समझौते में "फ़ॉरवर्ड-MFN" खंड लिखवाया

मुद्दा भारत-EU मुक्त व्यापार समझौता और CBAM (कड़ी 5) **दृष्टि (Lens)** राष्ट्रीय हित और वैश्विक साझा हित · रणनीतिक स्वायत्तता और साझेदारी

अब तक की कहानी: भारत ने EU का 28 लाख टन का इस्पात कोटा जीता, पर CBAM अब भी लागू है। FTA पर 16 दिसंबर को हस्ताक्षर होने हैं, और भारत CBAM के विरुद्ध रूस की WTO चुनौती में तृतीय पक्ष के रूप में शामिल हुआ है।

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली, 10 अक्टूबर। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (US Trade Representative — USTR) ने 8 अक्टूबर को एक अधिसूचना प्रकाशित कर टिप्पणियाँ माँगीं कि EU का कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (Carbon Border Adjustment Mechanism — CBAM) और उसे विस्तृत करने की योजनाएँ अमेरिकी व्यापार को कैसे प्रभावित करती हैं, जिसमें यह भी शामिल है कि "क्या प्रवर्तन कार्रवाई उचित हो सकती है"; टिप्पणियाँ 9 नवंबर तक देनी हैं (रिपोर्ट के अनुसार)। द इंडियन एक्सप्रेस इसे जाँच कहता है; पर अधिसूचना टिप्पणियाँ आमंत्रित करने का अनुरोध है और किसी क़ानून का हवाला नहीं देती। CBAM के अंतर्गत एल्युमीनियम, सीमेंट, बिजली, उर्वरक, हाइड्रोजन तथा लोहा-इस्पात के EU आयातकों को इन वस्तुओं में निहित उत्सर्जन घोषित करना होता है और वही कार्बन मूल्य चुकाना होता है जो EU के उत्पादक चुकाते हैं। USTR की आपत्ति है कि EU के डिफ़ॉल्ट उत्सर्जन मूल्यों में "दंडात्मक मार्क-अप" जुड़ा है। एक वरिष्ठ भारतीय अधिकारी ने IE को बताया कि भारत-EU समझौते में CBAM पर भारत ने "फ़ॉरवर्ड-MFN" (सर्वाधिक तरजीही राष्ट्र) खंड हासिल किया है: EU आगे अमेरिका को जो भी रियायत देगा, वह भारत को भी मिलेगी। GTRI का अनुमान है कि CBAM चुनिंदा भारतीय धातु निर्यातों पर 20–35% कर जैसा काम करता है।

एक पंक्ति में पूरी श्रृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

EU अपने यहाँ कार्बन का मूल्य तय करता है → आयात से सीमा पर वही वसूलता है → CBAM का निर्णायक चरण 2026 से भारतीय इस्पात पर पड़ता है → भारत को छूट नहीं मिलती, केवल फ़ॉरवर्ड-MFN → अमेरिकी दबाव से मिली राहत भारत को भी मिल सकती है

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)	1. **WTO विधि: MFN नियम है, अनुच्छेद XX बच निकलने का रास्ता** — GATT का अनुच्छेद I किसी सदस्य से अपेक्षा करता है कि वह किसी एक सदस्य को दिया गया सर्वश्रेष्ठ व्यवहार सभी सदस्यों को दे। अनुच्छेद XX जीवन या स्वास्थ्य की रक्षा (XX(b)) अथवा समाप्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण (XX(g)) के उपायों की अनुमति देता है, बशर्ते वे मनमाना भेदभाव या व्यापार पर छिपा प्रतिबंध न हों। CBAM की वैधता इसी कसौटी पर टिकी है। 2. **जलवायु संधियाँ विभेदित दायित्वों के पक्ष में हैं और एकतरफ़ा व्यापार उपायों को अनुचित मानती हैं** — संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC), 1992 साझा किंतु विभेदित उत्तरदायित्व और संबंधित क्षमताओं (अनुच्छेद 3.1) पर आधारित है। अनुच्छेद 3.5 कहता है कि जलवायु उपाय, एकतरफ़ा उपायों सहित, अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर छिपा प्रतिबंध नहीं होने चाहिए। CBAM का केवल रिपोर्टिंग वाला चरण 2023 से 2025 तक चला।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)	1. **GS2: "विकसित एवं विकासशील देशों की नीतियों तथा राजनीति का भारत के हितों पर प्रभाव"** — CBAM व्यापार, जलवायु और कूटनीति को जोड़ता है, जो UPSC को प्रिय है।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	• EU का CBAM सीमेंट, लोहा-इस्पात, एल्युमीनियम, उर्वरक, बिजली और हाइड्रोजन को कवर करता है; इसका निर्णायक चरण 1 जनवरी 2026 से लागू है। • GATT के अनुच्छेद I में सर्वाधिक तरजीही राष्ट्र (MFN) का दायित्व है; अनुच्छेद XX सामान्य अपवादों की सूची देता है। • UNFCCC का अनुच्छेद 3.5 कहता है कि जलवायु उपाय अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर छिपा प्रतिबंध नहीं होने चाहिए। • इस्पात निर्माण में उत्सर्जन ब्लास्ट फ़र्नेस-बेसिक ऑक्सीजन फ़र्नेस मार्ग पर सबसे अधिक और स्क्रैप-आधारित इलेक्ट्रिक आर्क फ़र्नेस मार्ग पर सबसे कम होता है।
विश्लेषण (ANALYSIS)	1. **फ़ॉरवर्ड-MFN अमेरिका को भारत की ओर से मोलभाव करने देता है, पर केवल अमेरिका के गढ़े रियायती दायरे में** — अमेरिका को संभावित लाभ, यानी पिछले अगस्त के EU–अमेरिका वक्तव्य में वादा किया गया ऊँचा डी मिनिमिस (de minimis) सीमा-स्तर और छोटी कंपनियों के लिए लचीलापन, अमेरिकी लघु-मध्यम उद्यमों के अनुकूल हैं। भारत का जोखिम बड़ी इस्पात और एल्युमीनियम मिलों पर है, इसलिए उनकी बराबरी से लाभ केवल सीमांत रह सकता है।

	2. **दृष्टि — रणनीतिक स्वायत्तता और साझेदारी : भारत अमेरिका–EU विवाद में शामिल हुए बिना उससे लाभ उठाता है** — भारत WTO में तर्क देता है कि CBAM विभेदित उत्तरदायित्वों की उपेक्षा करता है, फिर भी उसने EU से FTA किया है और वाशिंगटन के राहत दिलाने पर बिना किसी क़ीमत के लाभ पाएगा। सतर्क वार्ताकार CBDR का तर्क जीवित रखेगा, पर CBAM को स्थायी मानकर चलेगा, क्योंकि किसी सौदे में अमेरिकी दबाव ढीला पड़ सकता है। 3. **स्थायी उत्तर बेहतर खंड नहीं, स्वच्छ इस्पात है** — भारतीय मिलें अधिकतर कार्बन-भारी ब्लास्ट फ़र्नेस मार्ग अपनाती हैं, और ICRIER की मई 2025 की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के इस्पात कच्चे माल में स्क्रैप केवल 20% है। CBAM में देश में चुकाए गए कार्बन मूल्य की कटौती हो सकती है, इसलिए विश्वसनीय भारतीय कार्बन बाज़ार वह धन भारत में ही रखेगा।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	"जलवायु उपाय व्यापार पर छिपा प्रतिबंध नहीं बनने चाहिए।" इस दृष्टि से, EU के कार्बन सीमा समायोजन तंत्र के प्रति भारत के विकल्पों का परीक्षण कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. **निर्देश — परीक्षण कीजिए** — प्रत्येक विकल्प और उसकी सीमाओं की पड़ताल कीजिए। 2. **भूमिका — CBAM 2026 से EU की सीमा पर कार्बन शुल्क लगाता है** — GTRI: चुनिंदा भारतीय धातुओं पर 20–35% कर। 3. **मुख्य भाग — विधिक और कूटनीतिक रूप से CBDR और फ़ॉरवर्ड-MFN बल देते हैं** — मूल्य-वर्धन : UNFCCC अनुच्छेद 3.5 ; अमेरिकी राहत लघु-मध्यम उद्यमों के अनुकूल है, इस्पात के नहीं। 4. **मुख्य भाग — घरेलू स्तर पर स्वच्छ इस्पात और अपना कार्बन मूल्य बोझ घटाते हैं** — आरेख बनाइए : BF-BOF, गैस-DRI और स्क्रैप-EAF में उत्सर्जन। 5. **निष्कर्ष — CBAM की बनावट को चुनौती दीजिए, पर कार्बन-मुक्ति ऐसे कीजिए मानो वह बना रहेगा** — EU के हरित-परिवर्तन सहयोग का अच्छा उपयोग कीजिए।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	**प्रश्न 1. इस्पात सचिव के रूप में, निर्यातक चाहते हैं कि अमेरिकी दबाव से CBAM के नरम पड़ने की प्रतीक्षा की जाए। आप क्या सलाह देंगे ?** ***दृष्टिकोण (Approach):*** प्रतीक्षा न करने की, क्योंकि राहत शायद कभी न आए या भारतीय मिलों के अनुकूल न हो। मैं कंपनियों को संयंत्र-स्तर के सत्यापित उत्सर्जन की रिपोर्टिंग में मदद करूँगा, क्योंकि EU के डिफ़ॉल्ट मूल्यों में मार्क-अप जुड़ा है, और स्क्रैप आपूर्ति तथा ऐसे घरेलू कार्बन मूल्य को बढ़ावा दूँगा जिसे EU मान्य कर सके।

3. कृषि एवं खाद्य (Agriculture & Food)

कोई फ़सल बिना किसी नीतिगत चूक के भी विश्व में अपनी बढ़त खो सकती है, बस इसलिए कि उसकी जलवायु और उसका आनुवंशिक आधार किसानों की अनुकूलन-क्षमता से तेज़ी से बदल गए। सिक्किम की काली इलायची दिखाती है कि गर्म होता हिमालय, दशकों की क्लोनिंग और कमज़ोर सिंचाई कैसे एक ऊँचे मूल्य वाले मसाले को आजीविका के जोखिम में बदल देते हैं। उसका पुनरुद्धार इस बात की परीक्षा है कि क्या पहाड़ी कृषि को अनुदानों पर नहीं, विज्ञान पर खड़ा किया जा सकता है।

3.1 सिक्किम की काली इलायची की ज़मीन खिसकी, नेपाल अब विश्व की 68% फ़सल उगाता है

मुद्दा Hill cash crops and climate (नया मुद्दा) **दृष्टि (Lens)** विकास और पर्यावरण · विकास और समता

> *अब तक की कहानी: पूर्वी हिमालय में वन की छाया तले उगाई जाने वाली बड़ी (काली) इलायची लंबे समय से सिक्किम की मुख्य नकदी फ़सल रही है। भारत कभी विश्व के उत्पादन का लगभग 85% देता था।*

समाचार (THE NEWS) सिक्किम। द इकनॉमिक टाइम्स के अनुसार भारत ने बड़ी इलायची में अपनी बढ़त नेपाल के हाथों खो दी है। मसाला बोर्ड और नेपाल के व्यापार एवं निर्यात संवर्धन केंद्र का हवाला देते हुए वह बताता है कि अब विश्व उत्पादन का लगभग 68% नेपाल, 22% भारत और 8–10% भूटान उगाता है। नेपाल की फ़सल 2003-04 के 2,500–3,500 टन से बढ़कर 2024-25 में 8,000–10,000 टन हो गई; सिक्किम की फ़सल 5,600 टन से गिरकर 2010 में 2,500 टन रह गई और अब केवल 5,591 टन तक लौटी है। भारत का निर्यात, जो शिखर पर प्रतिवर्ष ₹1,200 करोड़ से अधिक था, अब लगभग 1,200 टन और ₹150–180 करोड़ का है, क्योंकि अधिक उपज घरेलू माँग में खप रही है। जिन पौधों को 25–30 वर्ष जीना चाहिए, वे पाँच-छह वर्ष में सूख जाते हैं। सिक्किम के लगभग 21% ग्रामीण परिवार यह फ़सल उगाते हैं। राज्य का "मेरो अलैंची, मेरो धन" (मेरी इलायची, मेरा धन) मिशन पौधों का जीवनकाल 12–15 वर्ष तक बढ़ाने का लक्ष्य रखता है।

एक पंक्ति में पूरी श्रृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

2000 के दशक के मध्य का सूखा बाग़ानों को कमज़ोर करता है → हानिरहित कवक आक्रामक हो उठते हैं, पत्ती झुलसा, चिरकी और फुरकी विषाणु तथा प्रकंद सड़न के रूप में → एक ही आनुवंशिक स्रोत से क्लोन किए पौधे प्रतिरोध नहीं कर पाते → उपज गिरती है जबकि नेपाल बेहतर रोपण सामग्री के साथ विस्तार करता है → भारत दूसरे स्थान पर खिसक जाता है

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)	**1. मसाला बोर्ड इलायची का विकास करता है और मसालों के निर्यात को बढ़ावा देता है** — मसाला बोर्ड, मसाला बोर्ड अधिनियम (Spices Board Act), 1986 के अंतर्गत गठित एक सांविधिक निकाय है, जो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन है और जिसका मुख्यालय कोच्चि में है। यह अनुसूचित मसालों के निर्यात को बढ़ावा देता है तथा छोटी (हरी) और बड़ी दोनों प्रकार की इलायची के विकास का उत्तरदायी है। **2. भौगोलिक संकेतक (GI) किसी स्थान से जुड़े उत्पाद की रक्षा करता है** — वस्तुओं के भौगोलिक संकेतक (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम (Geographical Indications of Goods (Registration and Protection) Act), 1999 उत्पादकों को ऐसा नाम पंजीकृत कराने देता है जिसकी गुणवत्ता या ख्याति किसी क्षेत्र से आती है, और दूसरों को उसके प्रयोग से रोकता है। प्रकाशित GI सूचियों के अनुसार सिक्किम लार्ज कार्डमम को मार्च 2015 में GI प्रमाणपत्र मिला।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)	**1. GS3: "देश के विभिन्न भागों में प्रमुख फ़सलें, फ़सल पद्धतियाँ, विभिन्न प्रकार की सिंचाई एवं सिंचाई प्रणालियाँ"** — पहाड़ी फ़सलों पर जलवायु का दबाव GS1 के भूगोल और GS3 की कृषि को जोड़ता है।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	• बड़ी इलायची (Amomum subulatum) पूर्वी हिमालय की छाया में उगने वाली फ़सल है; छोटी इलायची (Elettaria cardamomum) मुख्यतः पश्चिमी घाट में उगती है। • मसाला बोर्ड, मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 के अंतर्गत वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक निकाय है। • भारत में भौगोलिक संकेतक वस्तुओं के भौगोलिक संकेतक (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 के अंतर्गत पंजीकृत होते हैं। • सिक्किम को 2016 में भारत का पहला पूर्णतः जैविक राज्य घोषित किया गया।
विश्लेषण (ANALYSIS)	**1. क्लोनिंग ने सुविधा के बदले सहनशीलता गँवा दी, इसलिए इलाज आनुवंशिक होना चाहिए** — मौजूदा झाड़ियों के प्रकंद बाँटना तेज़ है और मूल पौधे की हू-ब-हू नक़ल देता है, इसलिए दशकों बाद पूरे बाग़ान एक ही आनुवंशिक बनावट साझा करते हैं और जो रोग एक पौधे को हराता है वह सबको हरा देता है। इसी से मिशन बीज-आधारित प्रवर्धन और संकरण पर बल देता है, हालाँकि नए पौधों को फलने में चार वर्ष लगते हैं और अनेक किसानों के पास अब भी प्रतिरोधी बीज नहीं है। **2. दृष्टि — विकास और पर्यावरण: इलायची का संकट केवल खेती की नहीं, वन और जलवायु की**

	चेतावनी है — गर्म होती सर्दियाँ, अनियमित वर्षा, घटती छाया और गिरता मृदा-स्वास्थ्य उस फ़सल को कमज़ोर कर चुके हैं जो वन-वितान के नीचे पनपती है, और आधे से अधिक खेत केवल वर्षा पर निर्भर हैं। इलायची हट जाए तो खड़ी ढलानों पर छायादार वृक्ष बचाए रखने का कारण ही समाप्त हो जाएगा। विवेकशील अधिकारी सिंचाई, छायादार वृक्षों के पुनर्जनन और रोग-निगरानी के लिए एक साथ धन देगा। 3. **ऊँचे दाम उन किसानों की खोई आय को ढक देते हैं जिन्हें उसकी सबसे अधिक ज़रूरत है** — दाम 2000 के दशक के मध्य के लगभग ₹400 से बढ़कर ₹2,300 प्रति किलो हो गए, पर लाभ केवल उन किसानों को है जिनके पौधे बचे हैं। लगभग 80% उत्पादक परिवारों के लिए खेती मुख्य आय है और इलायची से कमाई का 70% तक आ सकता है, इसलिए एक सूखा बाग़ान वर्षों की आयहीनता है।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	सिक्किम ने बड़ी इलायची में विश्व की अपनी बढ़त नेपाल के हाथों क्यों खो दी? जलवायु के दबाव और फ़सल-प्रबंधन के संदर्भ में चर्चा कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. **निर्देश — चर्चा कीजिए** — कारणों को कई पक्षों से समझाइए। 2. **भूमिका — विश्व आपूर्ति के लगभग 85% से 22% तक** — नेपाल अब लगभग 68% उगाता है। 3. **मुख्य भाग — जलवायु दबाव ने हानिरहित कवकों को महामारी बना दिया** — प्रवाह-आरेख बनाइए: सूखा → कमज़ोर पौधे → रोग → शीघ्र मृत्यु → पुनर्रोपण। 4. **मुख्य भाग — क्लोनिंग ने जीन-भंडार सँकरा किया और वर्षा-आश्रित खेतों के पास कोई सहारा नहीं था** — मूल्य-वर्धन: पौधे 25–30 वर्ष की जगह 5–6 वर्ष में मर रहे हैं। 5. **निष्कर्ष — आनुवंशिकी, छाया और जल को साथ-साथ फिर से खड़ा कीजिए** — मिशन को बीज आपूर्ति और GI-समर्थित विपणन से बल दीजिए।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	**प्रश्न 1. उत्तरी सिक्किम की इलायची पट्टी के कलेक्टर के रूप में, किसान कहते हैं कि रोग-प्रतिरोधी पौध उन तक नहीं पहुँची। आप क्या करेंगे?** ***दृष्टिकोण (Approach):*** मैं रोग के स्तर के अनुसार बाग़ानों का मानचित्र बनाऊँगा और सबसे अधिक प्रभावित, सबसे निर्धन परिवारों को पौध पर पहला हक़ दूँगा। मैं गाँव-स्तर की नर्सरियाँ बनवाऊँगा ताकि आपूर्ति किसी एक प्रयोगशाला पर निर्भर न रहे, और पुनर्रोपण को छायादार वृक्षों तथा जल-संचयन के काम से जोड़ूँगा ताकि नए पौधे पुराने की तरह विफल न हों।

4. अंतरराष्ट्रीय संबंध (International Relations)

दोनों ख़बरों में शिकायत पर हित भारी पड़ता दिखता है। अमेरिकी शुल्कों की मार झेल रहा कनाडा दो मंत्रियों और तीन दशकों के अपने सबसे बड़े व्यापार प्रतिनिधिमंडल के साथ भारत को रिझा रहा है। उधर चुनाव से पहले डीज़ल की कीमतों से परेशान वाशिंगटन ने उसी रूसी ईंधन को आने की छूट दे दी है, जिसे रोकने के लिए उसने अभी-अभी अपना नया कानून बनाया था। भारत को दोनों घटनाओं से यही समझना चाहिए कि प्रतिबंध और झगड़े, दोनों पर मोल-भाव हो सकता है, और उसी के अनुसार सौदेबाज़ी करनी चाहिए।

4.1 भारत-कनाडा CEPA वार्ता फिर शुरू होने के बीच कनाडा ने 300 सदस्यों का व्यापार मिशन भेजा

मुद्दा India–Canada reset (नया मुद्दा) **दृष्टि (Lens)** रणनीतिक स्वायत्तता और साझेदारी · राष्ट्रीय हित और वैश्विक साझा हित

> *अब तक की कहानी* सितंबर 2023 में कनाडा के प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि एक अलगाववादी की हत्या में भारतीय एजेंटों का हाथ था, जिसे भारत ने ख़ारिज कर दिया। इसके बाद संबंध टूट गए; अक्टूबर 2024 में दोनों देशों ने एक-दूसरे के राजनयिकों को निष्कासित किया और 2025 में उच्चायुक्त बहाल किए गए।

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली। द इंडियन एक्सप्रेस ने 10 अक्टूबर को बताया कि कनाडा अगले सप्ताह भारतीय मूल के दो मंत्रियों को भारत भेज रहा है। विदेश मंत्री अनीता आनंद विदेश मंत्री एस. जयशंकर से मिलेंगी, जबकि व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से मिलेंगे। कनाडा सरकार के अनुसार श्री सिद्धू 12 से 17 अक्टूबर तक मुंबई और बेंगलुरु में 'टीम कनाडा ट्रेड मिशन' का नेतृत्व करेंगे; IE द्वारा उद्धृत कनाडाई वक्तव्य में लगभग 300 प्रतिनिधि गिने गए हैं और इसे "30 से अधिक वर्षों में कनाडा द्वारा भारत भेजा गया सबसे बड़ा व्यापार प्रतिनिधिमंडल" कहा गया है। लक्ष्य वर्ष के अंत तक व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (Comprehensive Economic Partnership Agreement, CEPA) करना है, जो वस्तुओं, सेवाओं और निवेश को समेटने वाली संधि होती है; AIR के अनुसार इस माह ओटावा में इसका पाँचवाँ दौर हो चुका है। कनाडा 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 70 अरब डॉलर करना चाहता है। ख़बरों के अनुसार दिल्ली प्रधानमंत्री मार्क कार्नी को गणतंत्र दिवस 2027 का मुख्य अतिथि बनाने पर विचार कर रही है।

एक पंक्ति में पूरी श्रृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

कनाडा में एक अलगाववादी की हत्या (जून 2023) और ओटावा का आरोप → व्यापार वार्ता रुकी, राजनयिक निष्कासित (अक्टूबर 2024) → उच्चायुक्त बहाल (2025) → मोदी और कार्नी ने वर्ष के अंत तक CEPA का लक्ष्य रखा (मार्च 2026) → मंत्री और व्यापार मिशन भारत पहुँच रहे

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)	1. **CEPA का दायरा केवल वस्तुओं वाले FTA से गहरा होता है** — व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते में आम तौर पर वस्तुएँ, सेवाएँ, निवेश और बौद्धिक संपदा जैसे नियम शामिल होते हैं; जबकि साधारण मुक्त व्यापार समझौता (FTA) मुख्यतः वस्तुओं पर शुल्क घटाता है। भारत के CEPA दक्षिण कोरिया (2010), जापान (2011) और संयुक्त अरब अमीरात (2022) के साथ हैं। 2. **राजनयिकों का निष्कासन वियना अभिसमय के अनुसार होता है** — राजनयिक संबंधों पर वियना अभिसमय, 1961 के अनुच्छेद 9 के तहत मेज़बान राज्य बिना कारण बताए किसी भी राजनयिक को 'अवांछित व्यक्ति' (persona non grata) घोषित कर सकता है, और भेजने वाले राज्य को उसे वापस बुलाना पड़ता है। अनुच्छेद 31 राजनयिकों को मेज़बान देश की आपराधिक अदालतों से संरक्षण देता है, इसलिए 2024 जैसे विवादों में निष्कासन ही आम उपाय रहा है।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)	1. **टूटे संबंधों की मरम्मत GS2 का पसंदीदा विषय है** — पाठ्यक्रम में "भारत और/या भारत के हितों को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह एवं समझौते" तथा "भारतीय प्रवासी" शामिल हैं; यह नया सिलसिला दोनों को छूता है।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● राजनयिक संबंधों पर वियना अभिसमय, 1961 का अनुच्छेद 9 मेज़बान राज्य को बिना कारण बताए किसी राजनयिक को 'अवांछित व्यक्ति' घोषित करने देता है। ● भारत के व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते दक्षिण कोरिया (2010), जापान (2011) और संयुक्त अरब अमीरात (2022) के साथ हैं। ● कनाडा G7 और राष्ट्रमंडल का सदस्य है; 2025 में उसने कानानास्किस में G7 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की थी।
विश्लेषण (ANALYSIS)	1. **70 अरब डॉलर का लक्ष्य दरअसल सेवाओं और निवेश पर दाँव है** — AIR के अनुसार 2024-25 में वस्तु व्यापार केवल 8.66 अरब अमेरिकी डॉलर था। अकेले वस्तुओं पर शुल्क घटाने से 70 अरब डॉलर तक नहीं पहुँचा जा सकता; यह अंतर सेवाओं, विद्यार्थियों और पेशेवरों की आवाजाही तथा भारतीय बुनियादी ढाँचे में कनाडाई पेंशन-कोष के धन से पटना होगा। इसलिए CEPA के सेवा और निवेश अध्याय सबसे अहम हैं। 2. **लेंस — सामरिक स्वायत्तता एवं साझेदारी : व्यापार को सुरक्षा विवाद की बाड़ बनाया जा रहा है, उसका हल नहीं** — कनाडा अमेरिका से परे अपना निर्यात दोगुना करना चाहता है और भारत

	भी अमेरिकी शुल्कों का सामना कर रहा है, इसलिए दोनों को जोखिम-बचाव से लाभ है। पर 2023 का आरोप सुलझा नहीं, बस किनारे रखा गया है, और एक घटना उसे फिर खोल सकती है। भारत की समझदारी भरी नीति यह है कि वह मामलों को अलग-अलग खाँचों में रखे: समझौते पर उसकी अपनी योग्यता के आधार पर हस्ताक्षर करे और साथ ही हिंसक उग्रवाद पर स्थायी सुरक्षा संवाद पर ज़ोर दे। 3. **प्रवासी समुदाय पुल भी है और दरार भी** — भारतीय मूल के दो मंत्री दिखाते हैं कि प्रवासी समुदाय संबंधों को आगे ले जा सकता है, हालाँकि उसी के भीतर के एक छोटे अलगाववादी धड़े ने टूट की स्थिति पैदा की थी। यह तभी चल सकता है जब मेज़बान देश हिंसा को कानून-व्यवस्था का प्रश्न माने और भारत पूरे समुदाय पर संदेह न करे।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	"पहले व्यापार, भरोसा बाद में।" 2023-24 की राजनयिक दरार के बाद भारत-कनाडा संबंधों को पटरी पर लाने के इस दृष्टिकोण का परीक्षण कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. **निर्देश — परीक्षण कीजिए** — जाँचिए कि संबंधों की बहाली में व्यापार कितनी दूर तक सहारा दे सकता है। 2. **भूमिका — गहरी दरार के बाद 30 वर्षों में कनाडा का सबसे बड़ा व्यापार मिशन** — दो मंत्री; वर्ष के अंत तक CEPA। 3. **मुख्य भाग — व्यापार दोनों के अनुकूल है क्योंकि दोनों अमेरिकी शुल्कों से बचाव कर रहे हैं** — मूल्य-वृद्धि: वस्तु व्यापार 8.66 अरब अमेरिकी डॉलर बनाम 70 अरब डॉलर का लक्ष्य। 4. **मुख्य भाग — सुरक्षा संबंधी शिकायत फ़िलहाल किनारे है, और प्रवासी समुदाय संबंधों को थाम भी सकता है, बिगाड़ भी** — समय-रेखा बनाइए: 2023 का आरोप → 2024 के निष्कासन → 2025 की बहाली → 2026 का CEPA। 5. **निष्कर्ष — मामलों को अलग रखिए और साथ में सुरक्षा संवाद चलाइए** — व्यापार अगले झगड़े की कीमत बढ़ा देता है।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	**प्रश्न 1. कनाडा डेस्क के संयुक्त सचिव के रूप में आप कैसे सुनिश्चित करेंगे कि उग्रवाद की कोई नई घटना CEPA को पटरी से न उतार दे?** ***दृष्टिकोण (Approach):*** मैं सुरक्षा एजेंसियों के बीच एक शांत संवाद-माध्यम बनवाऊँगा ताकि घटनाओं को सार्वजनिक आरोप-प्रत्यारोप के बजाय कानून-व्यवस्था के मामले की तरह निपटाया जाए। वार्ताकारों को रोज़मर्रा की राजनीति से अलग रखूँगा और मंत्री को बताऊँगा कि वार्ता रोकने की क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। साक्ष्य निजी तौर पर साझा करूँगा और सार्वजनिक बयानों को उतने तक सीमित रखूँगा जितना तथ्य समर्थन करें।

4.2 रूसी तेल के ख़रीदारों को धमकाने वाले कानून के कुछ ही सप्ताह बाद वाशिंगटन ने रूसी डीज़ल पर पाबंदियाँ ढीली कीं

मुद्दा अमेरिकी प्रतिबंध कानून और रूसी तेल (कड़ी 7) **दृष्टि (Lens)** रणनीतिक स्वायत्तता और साझेदारी · बाज़ार और राज्य

अब तक की कहानी: ट्रम्प ने ग्राहम का 'रूस और ईरान पर प्रतिबंध अधिनियम' (Sanctioning Russia and Iran Act) हस्ताक्षरित किया, जो रूसी ऊर्जा के शीर्ष ख़रीदारों, भारत समेत, पर 100% तक शुल्क लगाने की अनुमति देता है। जयशंकर ने यह मुद्दा रुबियो के सामने उठाया और भारत पर अमेरिकी निर्धारण अब आने वाला है।

समाचार (THE NEWS) वाशिंगटन। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने 9 अक्टूबर को कहा कि व्लादिमीर पुतिन से बातचीत के बाद रूस "तुरंत" 3,00,000 टन से अधिक डीज़ल की आपूर्ति करेगा, नवंबर में 5,00,000 टन और "उसके तुरंत बाद" दस लाख टन। अमेरिकी वित्त विभाग के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (Office of Foreign Assets Control, OFAC) ने सामान्य लाइसेंस 135 (General License 135) जारी किया, जो रूसी मूल के डीज़ल की बिक्री और आयात को अधिकृत करता है; सामान्य लाइसेंस प्रतिबंधों से एक व्यापक छूट होती है, और OFAC के पाठ के अनुसार यह 7 अप्रैल 2027 तक चलेगा। 3 नवंबर के कांग्रेस चुनावों से पहले अमेरिका में डीज़ल की कीमतें रिकॉर्ड ऊँचाई के क़रीब हैं। यह क़दम 18 सितंबर को हस्ताक्षरित लिंडसे ओ. ग्राहम 'रूस और ईरान पर प्रतिबंध अधिनियम, 2026' से उलट है, जो वाशिंगटन को रूसी तेल या गैस के शीर्ष आयातकों पर 100% तक शुल्क लगाने देता है। ज़ेलेंस्की ने इसे "मज़बूत साझेदारों का कमज़ोर निर्णय" कहा।

एक पंक्ति में पूरी श्रृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

यूक्रेन में युद्ध (2022) → रूसी तेल कंपनियों पर मूल्य सीमा और अमेरिकी प्रतिबंध (अक्टूबर 2025) → ग्राहम अधिनियम शीर्ष ख़रीदारों पर शुल्क की धमकी देता है (सितंबर 2026) → मध्यावधि चुनाव से पहले अमेरिकी डीज़ल रिकॉर्ड के क़रीब → OFAC लाइसेंस रूसी डीज़ल को आने देता है

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)	1. **OFAC और उसके लाइसेंस तय करते हैं कि प्रतिबंधित देश से कौन व्यापार कर सकता है** — अमेरिकी वित्त विभाग का हिस्सा, विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय अमेरिकी आर्थिक प्रतिबंधों का संचालन करता है। सामान्य लाइसेंस सबके लिए एक पूरे वर्ग के अन्यथा निषिद्ध लेन-देन की अनुमति देता है, जबकि विशिष्ट लाइसेंस किसी नामित आवेदक को दिया जाता है। द्वितीयक प्रतिबंध, जो लक्षित देश से कारोबार करने वाली तीसरे देश की कंपनियों को दंडित करते हैं, वही रास्ता हैं जिससे अमेरिकी कानून भारत तक पहुँचता है। 2. **मूल्य सीमा और CAATSA इससे पहले के औज़ार हैं** — G7, यूरोपीय संघ और ऑस्ट्रेलिया ने दिसंबर 2022 से रूस के समुद्री मार्ग से आने वाले कच्चे तेल की कीमत 60 डॉलर प्रति बैरल पर सीमित कर दी: इस सीमा से कम पर बिके माल को पश्चिमी जहाज़रानी और बीमा सेवाएँ दी जा सकती हैं। 'प्रतिबंधों के माध्यम से अमेरिका के विरोधियों का मुक़ाबला अधिनियम' (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act, CAATSA), 2017 ने प्रमुख रूसी रक्षा उपकरणों के ख़रीदारों पर प्रतिबंध की धमकी दी थी, जिसका सामना भारत को S-400 के मामले में करना पड़ा।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)	1. **एकतरफ़ा प्रतिबंध GS2 में बार-बार आते हैं** — पाठ्यक्रम में "विकसित और विकासशील देशों की नीतियों तथा राजनीति का भारत के हितों पर प्रभाव" पूछा जाता है। ईरान, वेनेज़ुएला और रूस पर अमेरिकी प्रतिबंधों में से हर एक ने भारत की तेल-टोकरी को नया रूप दिया है।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	• विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (OFAC) अमेरिकी वित्त विभाग का हिस्सा है। • सामान्य लाइसेंस सभी व्यक्तियों के लिए अन्यथा निषिद्ध लेन-देन के एक वर्ग को अधिकृत करता है; विशिष्ट लाइसेंस किसी नामित आवेदक पर लागू होता है। • रूस के समुद्री मार्ग से आने वाले कच्चे तेल पर G7 की मूल्य सीमा दिसंबर 2022 में 60 डॉलर प्रति बैरल पर लागू हुई।
विश्लेषण (ANALYSIS)	1. **प्रतिबंध सबसे पहले वहीं झुकते हैं जहाँ प्रतिबंध लगाने वाले देश को चोट लगती है** — वाशिंगटन ने उसी उत्पाद पर पाबंदी ढीली की जिसके लिए उसके अपने मतदाता रिकॉर्ड कीमतें चुका रहे थे, और यह दूसरों की ख़रीद पर निशाना साधने वाले कानून के कुछ ही सप्ताह बाद हुआ। अधिनियम राष्ट्रपति को राष्ट्रीय हित में छूट देने का अधिकार भी देता है, यानी प्रवर्तन विवेकाधीन है। भारत के लिए इसका अर्थ है कि 100% शुल्क की धमकी सौदेबाज़ी का औज़ार है, कोई स्वतः चलने वाला ट्रिगर नहीं। 2. **लेंस — सामरिक स्वायत्तता एवं साझेदारी: भारत का पक्ष मज़बूत होता है, पर उसे इसे ज़्यादा नहीं खींचना चाहिए** — द हिंदू के अनुसार रूस अब भारत के कच्चे तेल का सबसे बड़ा स्रोत है। इस प्रकरण से अनुमान लगाकर भारत यह तर्क दे सकता है कि ऊर्जा सुरक्षा ऐसा राष्ट्रीय हित है जिसे अमेरिका स्वयं मानता है। पर शुल्क वाला प्रावधान क़ायम है और व्यापार समझौता लंबित है, इसलिए समझदारी इसी में है कि आपूर्तिकर्ताओं में चुपचाप विविधता लाई जाए और अंक बटोरने से बचा जाए। 3. **अटलांटिक में अधिक रूसी डीज़ल भारतीय रिफ़ाइनरों पर दबाव डाल सकता है** — भारतीय रिफ़ाइनर रियायती रूसी कच्चे तेल को निर्यात के लिए डीज़ल में बदलते हैं। यदि रूसी डीज़ल अब सीधे पश्चिमी बाज़ारों में बिकेगा, तो यह मुनाफ़ा घट सकता है, इसलिए सस्ते कच्चे तेल का लाभ सुनिश्चित नहीं है।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	रूसी डीज़ल पर अमेरिका की ढील दिखाती है कि प्रतिबंध घरेलू कीमतों के आगे झुकते हैं। भारत की ऊर्जा कूटनीति के संदर्भ में टिप्पणी कीजिए। (10 अंक, 150 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. **निर्देश — टिप्पणी कीजिए** — कथन पर तर्कसंगत मत प्रस्तुत कीजिए। 2. **भूमिका — ग्राहम अधिनियम के सप्ताहों बाद सामान्य लाइसेंस 135** — 3 नवंबर के चुनावों से पहले डीज़ल की रिकॉर्ड कीमतें। 3. **मुख्य भाग — छूट दिखाती है कि प्रतिबंध विवेकाधीन और मोल-भाव योग्य हैं** — मूल्य-वृद्धि: राष्ट्रपति की राष्ट्रीय-हित छूट। 4. **मुख्य भाग — भारत को जोखिम-बचाव करना चाहिए, इतराना नहीं** — प्रवाह-चित्र बनाइए: अमेरिकी पंपों की कीमतें → OFAC लाइसेंस → भारत को दंडित करने का कमज़ोर आधार। 5. **निष्कर्ष — आपूर्ति में विविधता लाइए और व्यापार समझौते पर तथ्यों के आधार पर बातचीत कीजिए** — ऊर्जा सुरक्षा को घोषित राष्ट्रीय हित मानिए।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं	**प्रश्न 1. साक्षात्कार बोर्ड पूछता है: यदि अमेरिका नए अधिनियम के तहत भारत को 'शीर्ष**

दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)

आयातक' घोषित कर दे, तो पेट्रोलियम सचिव को सबसे पहले क्या करना चाहिए?

दृष्टिकोण (Approach): पहला, 2022 से भारतीय ख़रीद, मूल्य-सीमा के अनुपालन और विविधीकरण के ठोस आँकड़े जुटाना, ताकि सरकार तथ्यों के आधार पर बातचीत करे। दूसरा, यदि रूसी मात्रा घटानी पड़े तो वैकल्पिक आपूर्तिकर्ताओं का ख़ाका बनाना। तीसरा, वाणिज्य और विदेश मंत्रालयों से समन्वय करना, ताकि तेल को अकेले छोड़ देने के बजाय व्यापक व्यापार समझौते के भीतर तौला जाए।

5. पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी (Environment & Ecology)

दो सरकारों का सहमत होना जनता की सहमति के बराबर नहीं है। कुलसी नदी पर असम और मेघालय को आख़िरकार साथ मिलकर बनाने लायक़ कुछ मिल गया है, और वह भी उस सीमा-पट्टी में जिसे वे अब तक सुलझा नहीं पाए हैं; और दोनों राज्यों के ग्रामीणों ने खासी मुखियाओं के साथ एक स्वर में जवाब दिया है: यहाँ नहीं, और हमारे बिना नहीं।

5.1 असम–मेघालय के संयुक्त कुलसी बाँध को सीमावर्ती ग्रामीणों और खासी मुखियाओं ने सहमति देने से इनकार किया

गहन अध्ययन — आज का बड़ा मुद्दा (DEEP READ — the day's big issue)

आरवी सर का फ़ॉर्मूला · श्रेणी 3 — आम नागरिक से जुड़ा विकास का मुद्दा: *सिंचाई, बिजली और 25 तक गाँवों के घर दाँव पर हैं; यह परखता है कि क्या दो राज्य जनजातीय सहमति के बिना अनसुलझे सीमा क्षेत्र में निर्माण कर सकते हैं।*

मुद्दा Dams in the North-East (नया मुद्दा) **दृष्टि (Lens)** विकास और पर्यावरण · केंद्र और राज्य

> *अब तक की कहानी: असम और मेघालय ने मार्च 2022 में सीमा के बारह विवादित खंडों में से छह का निपटारा किया। 2008 से राष्ट्रीय परियोजना (National Project) घोषित कुलसी बाँध को जून 2025 में दोनों राज्यों ने मिलकर फिर आगे बढ़ाया।*

समाचार (THE NEWS) गुवाहाटी। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार, गुरुवार 8 अक्टूबर को दोनों राज्यों के 2,000 से अधिक बोडो, गारो, खासी और राभा ग्रामीणों ने उकियाम में रैली निकालकर कुलसी नदी पर प्रस्तावित 55 मेगावाट की जलविद्युत-सह-सिंचाई परियोजना का विरोध किया, जिसकी घोषणा दोनों राज्य सरकारों ने जून 2025 में संयुक्त रूप से की थी। बाँध वहाँ प्रस्तावित है जहाँ द्रोन, श्री और डिलमा नदियाँ मिलकर कुलसी बनाती हैं; कुलसी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी और "संकटग्रस्त गंगा डॉल्फ़िन का प्राकृतिक आवास" है, जो गुवाहाटी से लगभग 80 किमी दक्षिण-पश्चिम में है। उकियाम, बोरदुआर और लांगपीह से लगभग बराबर दूरी पर है, जो अब तक अनसुलझे छह सीमा क्षेत्रों में से दो हैं। नोंगख्लाव, नोंगमिनसॉ और रामब्राई के सियेम (पारंपरिक खासी मुखिया) ने सहमति देने से इनकार करते हुए कहा: "मेघालय में भूमि से जुड़ी परियोजनाओं के लिए पारंपरिक मुखियाओं का अनापत्ति प्रमाणपत्र ज़रूरी है।" लैंड कॉन्फ़्लिक्ट वॉच के अनुसार 62 मीटर ऊँचा यह बाँध ₹1,454.95 करोड़ की लागत से लगभग 26,000 हेक्टेयर की सिंचाई करेगा और 25 तक गाँव विस्थापित हो सकते हैं; सरकार का कहना है कि अभी कुछ भी अंतिम नहीं है।

पहले समझें — पृष्ठभूमि (FIRST, UNDERSTAND (BACKGROUND))	**1. असम और मेघालय की सीमा पर विवाद क्यों है** — मेघालय को 1971 के एक अधिनियम द्वारा असम से अलग करके बनाया गया। तब खींची गई रेखा ने बारह ऐसे खंड छोड़ दिए जिन पर दोनों राज्य दावा करते हैं; इन्हें "मतभेद के क्षेत्र" (areas of difference) कहा जाता है। 2022 के समझौते ने इनमें से छह सुलझाए; बाक़ी, जिनमें बाँध स्थल के पास के लांगपीह और बोरदुआर भी हैं, अब भी खुले हैं, इसलिए भविष्य के जलाशय का स्वामित्व तक स्पष्ट नहीं है। **2. खासी पहाड़ियों में ज़मीन पर किसका अधिकार चलता है** — अधिकतर राज्यों में ज़मीन के उपयोग का फ़ैसला अकेले राज्य सरकार करती है। मेघालय के पहाड़ी ज़िलों में छठी अनुसूची (Sixth Schedule) निर्वाचित ज़िला परिषदों को ज़मीन पर और पारंपरिक मुखियाओं यानी सियेमों पर अधिकार देती है, और सियेम कहते हैं कि भूमि से जुड़ी हर परियोजना को उनका अनापत्ति प्रमाणपत्र चाहिए। **3. बहुउद्देशीय बाँध क्या देता है और क्या लेता है** — भंडारण बाँध मानसून का पानी रोककर बाद में छोड़ता है: टरबाइनों से होकर बिजली के लिए, नहरों में सिंचाई के लिए, और इतनी धीमी गति से कि बाढ़ की धार कुछ कम हो जाए। वही दीवार ऊपर की ज़मीन डुबो देती है और मछलियों तथा नदी डॉल्फ़िन का रास्ता रोक देती है।
कठिन शब्द (KEY TERMS)	● सियेम (Syiem) — खासी पारंपरिक राज्य (हिमा) का मुखिया, जिसके उत्तराधिकार का नियमन ज़िला परिषदें करती हैं। ● अनापत्ति प्रमाणपत्र (No-objection certificate, NOC) — किसी प्राधिकारी का लिखित कथन कि उसे प्रस्ताव पर आपत्ति नहीं है; यहाँ, मुखियाओं की पारंपरिक सहमति। ● श्रेणी 'क' परियोजना (Category A project) — पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 के तहत वह परियोजना जिसका मूल्यांकन केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय करता है और जिसके लिए जन-सुनवाई अनिवार्य है।

एक पंक्ति में पूरी श्रृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

1971 के पुनर्गठन से बारह विवादित खंड बचे → 2022 के समझौते में छह सुलझे, लांगपीह और बोरदुआर नहीं → दोनों राज्यों ने वहीं कुलसी बाँध को फिर आगे बढ़ाया (2025) → ग्रामीणों को ज़मीन, आर्द्रभूमि और डॉल्फ़िन खोने का डर → सियेमों ने सहमति से इनकार किया

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)	**1. छठी अनुसूची ज़िला परिषदों को ज़मीन और मुखियाओं पर अधिकार देती है** — छठी अनुसूची (अनुच्छेद 244(2) और 275(1)) असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। पैराग्राफ़ 3 के तहत ज़िला परिषदें आरक्षित वन को छोड़कर

	अन्य भूमि, गैर-आरक्षित वनों और मुखियाओं की नियुक्ति या उत्तराधिकार पर क़ानून बनाती हैं। पैराग्राफ़ 12A के तहत टकराव की स्थिति में मेघालय राज्य का क़ानून परिषद के क़ानून पर प्रभावी होता है। 2. **बड़ी जलविद्युत परियोजना का मूल्यांकन केंद्र करता है; राष्ट्रीय परियोजनाओं को केंद्र से धन मिलता है** — पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 के तहत 50 मेगावाट से अधिक की जलविद्युत परियोजनाएँ श्रेणी 'क' में आती हैं, जिनका मूल्यांकन केंद्र करता है; 25-50 मेगावाट की परियोजनाएँ श्रेणी 'ख' में आती हैं, जिनका मूल्यांकन राज्य करता है। केंद्रीय जल आयोग (Central Water Commission) के अनुसार कुलसी फ़रवरी 2008 में घोषित सोलह राष्ट्रीय परियोजनाओं में से एक है; पूर्वोत्तर राज्यों में इनके सिंचाई कार्यों का खर्च केंद्र और राज्य 90:10 के अनुपात में उठाते हैं।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)	1. **क्या विवादित, जनजातीय सीमा क्षेत्र में कोई परियोजना केवल सरकारों की सहमति से आगे बढ़ सकती है?** — सामान्य अध्ययन-2 में "संघीय ढाँचे से संबंधित विषय एवं चुनौतियाँ" और सामान्य अध्ययन-3 में "संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन" शामिल हैं। परीक्षक तीन आयाम चाहेगा: सीमा विवाद, छठी अनुसूची का स्वशासन और सहमति, तथा जलविद्युत बनाम पारिस्थितिकी का संतुलन।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● मेघालय पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 (North-Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971) के तहत राज्य बना; इसी अधिनियम ने मणिपुर और त्रिपुरा को भी राज्य बनाया। ● गंगा नदी डॉल्फ़िन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची I में शामिल है और IUCN रेड लिस्ट में संकटग्रस्त (Endangered) है। ● 25 मेगावाट या उससे कम क्षमता के जलविद्युत संयंत्र "लघु जलविद्युत" कहलाते हैं (MNRE); मार्च 2019 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बड़ी जलविद्युत को नवीकरणीय ऊर्जा मानने को मंज़ूरी दी।
विश्लेषण (ANALYSIS)	1. **लेंस — विकास एवं पर्यावरण: 55 मेगावाट भारत के लिए छोटा है, मेघालय के लिए नहीं, और बड़ा लाभ पानी है** — 7 दिसंबर 2023 के एक लोकसभा उत्तर के अनुसार भारत में 42,105 मेगावाट बड़ी जलविद्युत चालू थी और पूर्वोत्तर में केवल 2,027 मेगावाट, जो क्षेत्र की 55,930 मेगावाट क्षमता के 4% से भी कम है; मेघालय में 322 मेगावाट चालू थी। कुलसी इसमें लगभग छठा हिस्सा जोड़ेगा और करीब 26,000 हेक्टेयर की सिंचाई करेगा। दूसरा पक्ष क़ीमत का है: भारतीय वन्यजीव संस्थान बाँधों को नदी डॉल्फ़िन के लिए बड़ा ख़तरा मानता है क्योंकि वे आबादी को टुकड़ों में बाँट देते हैं, और लैंड कॉन्फ़्लिक्ट वॉच के अनुसार 2022 के सर्वेक्षण में कुलसी में लगभग 20 डॉल्फ़िन थीं। फ़ैसला नारे से नहीं, अध्ययन से होना चाहिए। 2. **अनसुलझे क्षेत्र में संयुक्त बाँध सीमा पर शांति को पक्का भी कर सकता है और विवाद को फिर भड़का भी सकता है** — जलाशय नक़्शे की रेखाओं को कठिन सवालों में बदल देता है: किसके गाँव डूबेंगे और मुआवज़ा कौन देगा। 2022 के समझौते ने बारह में से केवल छह क्षेत्र सुलझाए, और लांगपीह व बोरदुआर उकियाम के दोनों ओर हैं, इसलिए ये सब असल में छिपे हुए सीमा विवाद ही हैं। सबसे मज़बूत प्रतिवाद यह है कि साझा संपत्ति भरोसा बनाती है: दोनों मुख्यमंत्रियों ने बाँध की घोषणा साथ मिलकर की, और राष्ट्रीय परियोजना के तहत 90% केंद्रीय धन दोनों को सहयोग का कारण देता है। यह तर्क तभी टिकता है जब निर्माण शुरू होने से पहले लाभ-बँटवारे और पुनर्वास पर सहमति बन जाए। 3. **सियेमों का इनकार वैधानिक वीटो नहीं, पारंपरिक है, पर उसे दरकिनार करना ज़्यादा महँगा रास्ता है** — पैराग्राफ़ 12A मेघालय के क़ानून को परिषद के क़ानून पर प्रभावी बनाता है, इसलिए काग़ज़ पर राज्य आगे बढ़ सकता है। व्यवहार में सहमति ही परियोजनाओं को ज़िंदा रखती है: 18 अप्रैल 2013 को सर्वोच्च न्यायालय ने नियमगिरि का फ़ैसला ग्राम सभाओं पर छोड़ा, तो सभी बारह ने वेदांता की बॉक्साइट खदान को ठुकरा दिया और केंद्र ने मंज़ूरी देने से इनकार कर दिया। दूसरा पक्ष: कुछ गाँव असम के बहुत से लोगों के जल-प्रबंधन को नहीं रोक सकते, जहाँ राष्ट्रीय बाढ़ आयोग के अनुसार 39.58% भूमि बाढ़-प्रवण है। यह तर्क सहमति के लिए बातचीत की माँग करता है, उसे छोड़ देने की नहीं।
दोनों पक्ष (BOTH SIDES)	● + पक्ष में: दोनों सरकारें: 1997 में सोची गई (लैंड कॉन्फ़्लिक्ट वॉच) यह परियोजना 26,000 हेक्टेयर की सिंचाई करेगी और मेघालय की 322 मेगावाट जलविद्युत में इज़ाफ़ा करेगी, जबकि सिंचाई कार्यों का 90% खर्च केंद्र उठाएगा। ● + पक्ष में: संघीय और ऊर्जा तर्क: साझा बाँध दोनों राज्यों को सीमा पर शांति में हिस्सेदार बनाता है, और जमा पानी ज़रूरत पड़ने पर बिजली देता है, जो सौर ऊर्जा नहीं दे सकती।

	● – विपक्ष में : ग्रामीण और सियेम : 25 तक गाँव ऐसी ज़मीन से विस्थापित हो सकते हैं जिसका स्वामित्व ही विवादित है, और पारंपरिक सहमति देने से इनकार किया जा चुका है। ● – विपक्ष में : पारिस्थितिकीविद : डॉल्फ़िन वाली नदी पर बाँध उसकी आबादी को बाँट देता है और लैंड कॉन्फ़्लिक्ट वॉच के अनुसार कम-से-कम 12 आर्द्रभूमियों को प्रभावित करेगा।
आगे की राह (WAY FORWARD)	1. **पहले लांगपीह और बोरदुआर का निपटारा** — दोनों राज्य, केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ, कोई भी ज़मीन लेने से पहले इन क्षेत्रों का निपटारा करें, ताकि जलाशय एक नया दावा न बन जाए। 2. **सहमति और अध्ययन को शर्त बनाएँ, औपचारिकता नहीं** — आदिवासी लोगों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा (UNDRIP, 2007) का अनुच्छेद 32 राज्यों से अपेक्षा करता है कि वे आदिवासी भूमि पर जल-संसाधन विकसित करने वाली परियोजनाओं को मंज़ूरी देने से पहले स्वतंत्र, पूर्व और सूचित सहमति (Free, prior and informed consent) लें। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट से पहले डॉल्फ़िन और आर्द्रभूमि का सर्वेक्षण होना चाहिए।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	कुलसी बाँध के संदर्भ में, पूर्वोत्तर के जनजातीय और विवादित अंतर-राज्यीय सीमा क्षेत्रों में जलविद्युत परियोजनाएँ बनाने की चुनौतियों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. **निर्देश — आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए** — परियोजना के पक्ष को बाधाओं के सामने तौलिए और बताइए कि किन शर्तों पर वह आगे बढ़ सकती है। 2. **भूमिका — विवादित, जनजातीय सीमा पर एक बहुउद्देशीय बाँध** — नमूना : असम और मेघालय के संयुक्त 55 मेगावाट कुलसी बाँध को ग्रामीणों और तीन खासी सियेमों ने नकार दिया है, जो दिखाता है कि पूर्वोत्तर में सीमा, जनजातीय स्वशासन और पारिस्थितिकी किस तरह आपस में टकराते हैं। 3. **मुख्य भाग — पूर्वोत्तर ने अपनी जलविद्युत क्षमता का 4% से भी कम उपयोग किया है** — मूल्य संवर्धन : 55,930 मेगावाट क्षमता में से 2,027 मेगावाट चालू (लोकसभा उत्तर, 2023); 26,000 हेक्टेयर सिंचाई; 90% केंद्रीय धन। 4. **मुख्य भाग — अनसुलझी सीमा जलाशय को क्षेत्रीय दावा बना देती है** — 2022 में बारह में से छह क्षेत्र सुलझे। एक नक़्शा बनाइए : पश्चिम खासी हिल्स से कामरूप की ओर बहती कुलसी, उकियाम, और उसके दोनों ओर लांगपीह व बोरदुआर। 5. **मुख्य भाग — छठी अनुसूची का स्वशासन सहमति को व्यावहारिक पूर्व-शर्त बनाता है** — पैराग्राफ़ 3, सियेमों का प्रमाणपत्र और पैराग्राफ़ 12A; नियमगिरि (2013), जहाँ सभी बारह ग्राम सभाओं ने 'ना' कहा। 6. **मुख्य भाग — क़ीमत संकटग्रस्त डॉल्फ़िन और 12 आर्द्रभूमियाँ चुकाती हैं** — भारतीय वन्यजीव संस्थान बाँधों को प्रमुख ख़तरा मानता है। 7. **निष्कर्ष — पहले निपटारा, परामर्श और अध्ययन, फिर निर्माण** — नमूना : कुलसी सहकारी संघवाद का आदर्श तभी बन सकती है जब सीमा तय हो, सियेम स्वतंत्र रूप से सहमति दें और पूरा अध्ययन दिखाए कि डॉल्फ़िन को बचाया जा सकता है।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	**प्रश्न 1. पश्चिम खासी हिल्स के उपायुक्त के रूप में आपको कुलसी बाँध का सर्वेक्षण शुरू करना है, पर सियेम सहमति देने से इनकार कर रहे हैं। आप क्या करेंगे?** ***दृष्टिकोण (Approach):*** मेरे पास तीन विकल्प हैं : पुलिस सुरक्षा में सर्वे दल भेजूँ, रिपोर्ट करूँ कि काम शुरू नहीं हो सकता, या पहले परामर्श करूँ। बल प्रयोग सहमति के विवाद को एक संवेदनशील सीमा पर क़ानून-व्यवस्था की समस्या बना देगा; कुछ न करना एक वैध दायित्व से मुँह मोड़ना है। मैं परामर्श चुनूँगा : असम के अपने समकक्ष के साथ तीनों सियेमों, खासी हिल्स स्वायत्त ज़िला परिषद और गाँव के मुखियाओं से मिलूँगा, सर्वे की सीमाएँ समझाऊँगा और हर आपत्ति लिखित रूप में राज्य सरकार को भेजूँगा। हितधारक हैं दोनों राज्यों के ग्रामीण, मुखिया, दो सरकारें और नदी की डॉल्फ़िन। निर्णायक मूल्य वैधता (legitimacy) है : विकास तभी टिकता है जब वह क़ानूनी भी हो और स्वीकार्य भी।
कर्मयोगी की कसौटी (तीन A)	गुमनामी (Anonymity) — धीमा परामर्श चुनना, जिससे कोई सुर्ख़ी नहीं मिलती, बजाय ज़बरदस्ती के सर्वे के, जो निर्णायक दिखता पर वैधता गँवा देता।

7. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (Science & Technology)

दुनिया उन समय-संकेतों पर चलती है जिन पर हम शायद ही ध्यान देते हैं: हर GPS लोकेशन, बैंक हस्तांतरण और ग्रिड की आवृत्ति घड़ियों पर टिकी है। इस सप्ताह दो टीमों ने ऐसी घड़ी बनाई जो परमाणु के इलेक्ट्रॉनों के बजाय उसके नाभिक से टिक-टिक करती है। भारत के लिए सबक यह है कि सटीक समय एक सामरिक अवसंरचना है, और उसे बनाने की होड़ अब आगे बढ़ चुकी है।

6.1 वैज्ञानिकों ने पहली कार्यशील थोरियम-229 नाभिकीय घड़ियाँ बनाईं

मुद्दा अग्रणी विज्ञान और भारत (कड़ी 4) **दृष्टि (Lens)** नवाचार और सुरक्षा उपाय · राष्ट्रीय हित और वैश्विक साझा हित

अब तक की कहानी: दर्पण ने 2026 के विज्ञान नोबेल (प्रकाश-आनुवंशिकी, आइसक्यूब, असममित संश्लेषण) पर नज़र रखी है, ताकि भारतीय अनुसंधान लंबे और मूलभूत दाँवों से सीख ले सके।

समाचार (THE NEWS) वियना / बीजिंग। नेचर की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, 7 अक्टूबर को ऑनलाइन प्रकाशित नेचर के दो शोध-पत्रों में विश्व की पहली कार्यशील नाभिकीय घड़ियों की सूचना दी गई है। थॉर्स्टन शुम के नेतृत्व वाली वियना-ब्राउनश्वाइग टीम ने अपनी थोरियम-229 घड़ी को यटरबियम परमाणु घड़ी के साथ चलाकर अति-हल्के डार्क मैटर की खोज की, पर कोई संकेत नहीं मिला। शिकियान डिंग के नेतृत्व वाली बीजिंग टीम ने ऐसी घड़ी बनाई जो अल्पावधि में लगभग छह गुना अधिक स्थिर है। दोनों ने थोरियम-229 को कैल्शियम फ़्लोराइड क्रिस्टलों में जड़ा है और लगभग 148 नैनोमीटर की पराबैंगनी लेज़र से उसे चलाया है; एक फ़ीडबैक लूप लगातार लेज़र को नाभिकों से मिलाता रहता है और उसके विचलन को सुधारता है। घड़ी उस प्रकाश के दोलनों को गिनकर 'टिक' करती है जो ठीक एक संक्रमण, यानी दो ऊर्जा-अवस्थाओं के बीच की छलाँग, से मेल खाता हो। ये प्रोटोटाइप अभी सर्वश्रेष्ठ परमाणु घड़ियों जितने सटीक नहीं हैं; द हिंदू के अनुसार यटरबियम घड़ी 23 अरब वर्षों में एक सेकंड चूकती है।

एक पंक्ति में पूरी श्रृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

परमाणु घड़ियाँ इलेक्ट्रॉनों का उपयोग करती हैं, जिन्हें भटके क्षेत्र बिगाड़ते हैं → सुरक्षित नाभिक को उत्तेजित करने के लिए आम तौर पर X-किरणें चाहिए → थोरियम-229 का निम्न-ऊर्जा संक्रमण पराबैंगनी लेज़र के अनुकूल है → क्रिस्टल और स्थिर लेज़र इसे उपयोगी बनाते हैं → 2026 में पहली घड़ियाँ

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)	1. **सेकंड की परिभाषा आज भी सीज़ियम पर टिकी है** — SI सेकंड सीज़ियम-133 परमाणु के दो अतिसूक्ष्म स्तरों (hyperfine levels) के बीच संक्रमण से निकलने वाले विकिरण के 9,19,26,31,770 आवर्तकालों की अवधि है। यटरबियम और स्ट्रॉन्शियम जैसी प्रकाशिक घड़ियाँ कहीं तेज़ टिक करती हैं और अधिक सटीक हैं, इसलिए मापन-विज्ञानी सेकंड को उन्हीं के आधार पर पुनःपरिभाषित करने की तैयारी कर रहे हैं। 2. **भारत अपना समय NPL में और अंतरिक्ष में रखता है** — CSIR–राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला (NPL), नई दिल्ली भारतीय मानक समय का रखरखाव करती है, जो UTC + 5:30 है और 82.5° पूर्वी देशांतर पर आधारित है। ISRO की क्षेत्रीय नौवहन प्रणाली NavIC अपने उपग्रहों में लगी परमाणु घड़ियों पर निर्भर है; 2023 में प्रक्षेपित NVS-01 में भारत की पहली स्वदेशी रुबिडियम परमाणु घड़ी लगी थी।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)	1. **रोज़मर्रा के उपयोग वाली अग्रणी भौतिकी GS3 की पसंदीदा है** — पाठ्यक्रम में "विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी — विकास और उनके अनुप्रयोग तथा रोज़मर्रा के जीवन पर प्रभाव" पूछा जाता है; घड़ियाँ क्वांटम भौतिकी को GPS और वित्त से जोड़ती हैं।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	• SI सेकंड की परिभाषा सीज़ियम-133 परमाणु के अतिसूक्ष्म संक्रमण के 9,19,26,31,770 आवर्तकालों से की गई है। • नाभिकीय घड़ी परमाणु के नाभिक के संक्रमण का उपयोग करती है; परमाणु घड़ी परमाणु के इलेक्ट्रॉनों के संक्रमण का। • थोरियम-229 नाभिक का संक्रमण इतनी कम ऊर्जा का है कि उसे पराबैंगनी लेज़र से उत्तेजित किया जा सकता है, X-किरणों या गामा किरणों की आवश्यकता नहीं पड़ती। • भारतीय मानक समय (UTC + 5:30) 82.5° पूर्वी देशांतर पर आधारित है और CSIR–NPL, नई दिल्ली द्वारा रखा जाता है।
विश्लेषण (ANALYSIS)	1. **सटीक समय अवसंरचना है, प्रयोगशाला की जिज्ञासा नहीं** — उपग्रह नौवहन संकेतों के समय-मापन से स्थिति निकालता है; प्रकाश एक नैनोसेकंड में लगभग 30 सेमी चलता है, इसलिए घड़ी की छोटी-सी त्रुटि स्थिति की बड़ी त्रुटि बन जाती है। दूरसंचार, विद्युत ग्रिड और शेयर बाज़ारों को भी समकालिक समय चाहिए। एक मज़बूत क्रिस्टल घड़ी किसी दिन उपग्रह संकेतों के जाम होने पर जहाज़ों या पनडुब्बियों को सही समय पर रख सकती है। 2. **लेंस — राष्ट्रीय हित एवं वैश्विक साझा संपदा: समय संप्रभु है, पर विज्ञान साझा** — शोध खुले रूप से प्रकाशित होता है, पर ऐसी घड़ियाँ बनाने के लिए पराबैंगनी लेज़र, अति-शुद्ध क्रिस्टल

	और दुर्लभ समस्थानिक चाहिए, जिन क्षमताओं का प्रदर्शन चीन पहले ही कर चुका है। स्वतंत्र समय के लिए भारत NavIC और NPL पर निर्भर है, इसलिए उसे इन सक्षमकारी प्रौद्योगिकियों में धन लगाना चाहिए और तैयार घड़ियाँ ख़रीदने की प्रतीक्षा करने के बजाय यूरोपीय समूहों के साथ साझेदारी करनी चाहिए। 3. **शून्य परिणाम भी एक परिणाम है** — थोरियम-229 में प्रबल नाभिकीय बल और विद्युत-चुंबकीय बल लगभग एक-दूसरे को निरस्त कर देते हैं, इसलिए घड़ी प्रकृति के स्थिरांकों में किसी भी बदलाव पर तीखी प्रतिक्रिया देती है। डार्क मैटर का कोई संकेत न मिलना सिद्धांतों के एक दायरे को ख़ारिज करता है। विज्ञान ऐसे ही अपवर्जनों से आगे बढ़ता है, जिन्हें केवल 'खोजें' चाहने वाले वित्तपोषक अक्सर अनदेखा कर देते हैं।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	नाभिकीय घड़ियाँ क्या हैं? समझाइए कि सटीक समय-मापन भारत के लिए सामरिक क्षमता क्यों है। (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. **निर्देश — समझाइए** — पहले अवधारणा स्पष्ट कीजिए, फिर उसका महत्व। 2. **भूमिका — अक्टूबर 2026 की पहली थोरियम-229 घड़ियाँ** — नेचर के दो शोध-पत्र। 3. **मुख्य भाग — नाभिकीय घड़ी सुरक्षित है, जबकि परमाणु घड़ी खुली** — दो खाने बनाइए: इलेक्ट्रॉन कोश (परमाणु घड़ी) और नाभिक (नाभिकीय घड़ी), प्रत्येक अपनी लेज़र के साथ। 4. **मुख्य भाग — नौवहन, ग्रिड, दूरसंचार और वित्त, सब समय पर चलते हैं** — मूल्य-वृद्धि: यटरबियम घड़ी 23 अरब वर्षों में एक सेकंड चूकती है। 5. **मुख्य भाग — भारत का समय NPL और NavIC पर टिका है, जिन्हें स्वदेशी घड़ियाँ चाहिए** — NVS-01 का उल्लेख कीजिए। 6. **निष्कर्ष — लेज़र, क्रिस्टल और साझेदारियों में अभी निवेश कीजिए** — समय को सामरिक अवसंरचना मानिए।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	**प्रश्न 1. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव के रूप में, जब भारत के पास आवश्यक लेज़र ही नहीं हैं, तो आप नाभिकीय घड़ी के शोध को वित्त क्यों देंगे?** ***दृष्टिकोण (Approach):*** क्योंकि असली पुरस्कार लेज़र और क्रिस्टल हैं: वे क्वांटम संवेदन, अर्धचालक और अंतरिक्ष के भी काम आते हैं। कुछ समूहों को यूरोपीय साझेदारियों से जोड़कर दिया गया छोटा पर निरंतर अनुदान स्वतंत्र समय-मापन के लिए कौशल बनाता है। व्यावसायिक घड़ियों की प्रतीक्षा एक सामरिक क्षमता को विदेशी हाथों में छोड़ देगी।

8. समाज (Society)

दोनों ख़बरें उस काम और उस बचपन की हैं जिसे परिवार बेटियों और स्त्रियों से बिना गिने ले लेता है। तेलंगाना की 15 वर्ष में ब्याही गई एक लड़की स्कूल छोड़कर खाना पकाती और देखभाल करती है; एक गृहिणी के दिन भर का वही श्रम GDP से बाहर रह जाता है। कानून और नकद अंतरण दोनों समस्याओं तक पहुँचे हैं, पर परिवार की इस सोच को कोई नहीं बदल पाया है कि बेटी किसलिए है।

7.1 NFHS-6 में तेलंगाना में बाल विवाह घटकर 17.9% रह गया, फिर भी परिवार बेटियों का जल्दी विवाह कर रहे हैं

मुद्दा **Child marriage** (नया मुद्दा) **दृष्टि (Lens)** परंपरा और सामाजिक न्याय · विकास और समता

> *अब तक की कहानी: बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 (Prohibition of Child Marriage Act, 2006) महिलाओं के लिए 18 और पुरुषों के लिए 21 वर्ष की आयु तय करता है। 2024 में सर्वोच्च न्यायालय ने इसे लागू करने के दिशानिर्देश जारी किए, जिनमें अभियोजन से पहले रोकथाम को रखा गया, जबकि महिलाओं की आयु 21 करने वाला विधेयक व्यपगत हो गया।*

समाचार (THE NEWS) हैदराबाद। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार, तेलंगाना का महिला विकास एवं बाल कल्याण विभाग बताता है कि उसने 2014-15 से अगस्त 2026 के बीच 10,710 बाल विवाह रोके, जिनमें 2025-26 के 1,245 शामिल हैं; विकाराबाद ज़िले में सबसे अधिक, 878, दर्ज हुए। NFHS-5 (2019-21) में तेलंगाना की 20-24 वर्ष की 23.5% महिलाओं का विवाह 18 वर्ष से पहले हुआ पाया गया, जो दक्षिण भारत में दूसरा सबसे ऊँचा था; NFHS-6 (2023-24) में यह 17.9% है, यानी 5.6 प्रतिशत अंकों की गिरावट, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर गिरावट 3.2 अंकों की रही और वहाँ आँकड़ा 20.1% है। 2025-26 से ऐसे मामलों में पाए गए बच्चों में से 777 पहले ही स्कूल छोड़ चुके थे और 1,028 का पुनः नामांकन कराया गया। कई मामलों का पता आशा और आँगनवाड़ी कार्यकर्ता लगाते हैं। राज्य के पास यह जानने का कोई औपचारिक सर्वेक्षण नहीं है कि बाल विवाह क्यों होते हैं। जस्ट राइट्स फ़ॉर चिल्ड्रन के रवि कांत का कहना है कि अभियोजन के बिना कानून और बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी (Child Marriage Prohibition Officers — CMPOs) का कोई अर्थ नहीं।

एक पंक्ति में पूरी श्रृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

गरीबी और सम्मान की मान्यताएँ → लड़कियाँ स्कूल छोड़ती हैं → 14–15 वर्ष में विवाह तय → विवाह देर से रोके जाते हैं → कम अभियोजन, इसलिए मान्यता बनी रहती है

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)	**1. 2006 का अधिनियम बाल विवाह को शून्य नहीं, शून्यकरणीय बनाता है** — बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 बालक उसे मानता है जो 21 वर्ष से कम आयु का पुरुष या 18 वर्ष से कम आयु की महिला हो। धारा 3 के अनुसार, जो पक्ष विवाह के समय बालक था, वह वयस्क होने के दो वर्ष के भीतर याचिका देकर विवाह को शून्य करवा सकता है, और धारा 16 बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों का प्रावधान करती है। इसके अपराध संज्ञेय और अजमानतीय हैं। **2. सर्वोच्च न्यायालय के 2024 के दिशानिर्देश रोकथाम को पहले रखते हैं** — सोसाइटी फ़ॉर एनलाइटनमेंट एंड वॉलंटरी एक्शन बनाम भारत संघ (Society for Enlightenment and Voluntary Action v Union of India, 18 अक्टूबर 2024) में न्यायालय का सूत्र था "दंड से पहले संरक्षण और संरक्षण से पहले रोकथाम को प्राथमिकता दी जाए", और इसके साथ प्रवर्तन, प्रशिक्षण तथा निगरानी के दिशानिर्देश दिए गए। न्यायालय ने यह प्रश्न खुला छोड़ा कि क्या अधिनियम व्यक्तिगत कानूनों पर प्रभावी है, क्योंकि महिलाओं की आयु 21 करने वाला बाल विवाह प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, 2021 तब लंबित था।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)	**1. बाल विवाह लैंगिकता, स्वास्थ्य और शिक्षा को जोड़ता है** — GS1 में "महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन" तथा "सामाजिक सशक्तीकरण" शामिल हैं; GS2 में "इन असुरक्षित वर्गों की सुरक्षा और बेहतरी के लिए तंत्र …" शामिल है।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के अंतर्गत बाल विवाह उस पक्ष के विकल्प पर शून्यकरणीय है जो विवाह के समय बालक था। ● 2006 के अधिनियम की धारा 16 में राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों का प्रावधान है। ● इंडिपेंडेंट थॉट बनाम भारत संघ (Independent Thought v Union of India, 2017) में माना गया कि 15-18 वर्ष की पत्नी से यौन संबंध बलात्कार है; इस प्रकार वैवाहिक अपवाद को सीमित (read down) किया गया। ● सतत विकास लक्ष्य (SDG) का लक्ष्य 5.3 बाल, अल्पायु और जबरन विवाह को समाप्त करना चाहता है।
विश्लेषण (ANALYSIS)	**1. रोके गए विवाह निगरानी को मापते हैं, बदलाव को नहीं** — अधिक विवाह रुकने का अर्थ केवल यह भी हो सकता है कि जो परिवार अब भी कोशिश करते हैं, उनका पता बेहतर चलने लगा है। असली परिणाम NFHS की गिरावट है, जो दिखाती है कि तेलंगाना भारत से तेज़ी से सुधर रहा है। पर अंतिम क्षण में रुका विवाह उस गरीबी और पढ़ाई छूटने को वैसा ही छोड़ देता है जिसके

	कारण वह तय हुआ था, इसलिए वही लड़की जोखिम में बनी रहती है। 2. **लेंस — परंपरा और सामाजिक न्याय : मान्यता अभियोजन और स्कूली शिक्षा से झुकती है, नारों से नहीं** — परिवार जल्दी विवाह को बेटी के सम्मान की रक्षा बताकर उचित ठहराते हैं, और सबसे गरीब इसमें एक पेट कम होना देखते हैं। अधिकार-आधारित राज्य इसे स्वीकार नहीं कर सकता, लेकिन माता-पिता की थोक गिरफ़्तारियाँ विवाहों को छिपकर होने के लिए भी धकेलती हैं। एक विवेकशील अधिकारी वयस्क वर को और आयोजकों को अभियोजित करेगा, लड़कियों को स्कूल में रखेगा और साथ-साथ जागरूकता अभियान चलाएगा। 3. **स्वास्थ्य का प्रश्न दो पीढ़ियों तक फैला है** — चिकित्सकों के अनुसार रजोदर्शन का अर्थ यह नहीं कि शरीर गर्भधारण के लिए तैयार है, और किशोर गर्भावस्था का संबंध समय-पूर्व प्रसव और भ्रूण की वृद्धि में रुकावट से है। रक्ताल्पता से पीड़ित किशोर माँ अपना जोखिम अपने शिशु को सौंप देती है, जिससे बाल विवाह केवल कानूनी नहीं, मातृ-स्वास्थ्य की समस्या भी बन जाता है।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	कानूनी निषेध के बावजूद भारत में बाल विवाह बना हुआ है। इसके सामाजिक कारणों का विश्लेषण कीजिए और सुझाव दीजिए कि प्रवर्तन रोकथाम से आगे बढ़कर निवारण तक कैसे पहुँच सकता है। (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. **निर्देश — विश्लेषण कीजिए** — पहले कारणों में बाँटिए, फिर सुझाव दीजिए। 2. **भूमिका — NFHS-5 से NFHS-6 के बीच तेलंगाना 23.5% से घटकर 17.9% पर आया** — राष्ट्रीय स्तर पर 20.1% की तुलना में। 3. **मुख्य भाग — गरीबी, पढ़ाई छूटना, सम्मान और जाति इस प्रथा को टिकाए रखते हैं** — चिह्नित बच्चों में 777 ने पढ़ाई छोड़ी थी। आरेख : गरीबी → पढ़ाई छूटना → विवाह → शीघ्र गर्भावस्था → कम वज़न का शिशु। 4. **मुख्य भाग — अभियोजन के बिना रोकथाम संकेत देती है कि कोई कीमत नहीं चुकानी** — मूल्य-वर्धन : SEVA बनाम भारत संघ (2024) और उसका रोकथाम-प्रथम सूत्र ; धारा 16 के अंतर्गत CMPOs। 5. **निष्कर्ष — लड़कियों को स्कूल में रखिए और वयस्कों को अभियोजित कीजिए** — कारणों, पुनः नामांकन और त्वरित सुनवाई वाले मामलों के आँकड़े।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	**प्रश्न 1. विकाराबाद के ज़िलाधिकारी के रूप में आप बाल विवाह कैसे घटाएँगे ?** ***दृष्टिकोण (Approach):*** मैं स्कूल और आँगनवाड़ी के आँकड़ों से उन लड़कियों का मानचित्र बनाऊँगा जो स्कूल छोड़ देती हैं, क्योंकि विवाह से पहले पढ़ाई छूटती है। हर रोके गए विवाह के बाद पुनः नामांकन और परिवार के लिए किसी योजना से जुड़ाव कराया जाएगा। जहाँ विवाह हो चुका है, वहाँ वयस्क वर और आयोजकों के विरुद्ध अभियोजन चलेगा।

7.2 गृहकार्य के लिए मज़दूरी: नई पुस्तक AIWC की 1939 की माँग को आज के नकद अंतरणों से जोड़ती है

मुद्दा Unpaid care work (नया मुद्दा) **दृष्टि (Lens)** विकास और समता · तात्कालिक राहत और दीर्घकालिक सुधार

अब तक की कहानी: अवैतनिक घरेलू और देखभाल का काम GDP में नहीं गिना जाता। कई राज्य अब महिलाओं को बिना शर्त मासिक नकद राशि देते हैं, और 2021 में तमिलनाडु के चुनावी वादे ने गृहिणियों को भुगतान देने की बात से गृहकार्य की मज़दूरी पर बहस फिर जगा दी।

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली। द इंडियन एक्सप्रेस में प्रभा कोटिस्वरन की पुस्तक "वेजेज़ फ़ॉर हाउसवर्क" (ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस) की समीक्षा करते हुए शालिना सूसन मैथ्यू ध्यान दिलाती हैं कि गोवा ने कमल हासन के जनवरी 2021 के वादे से नौ वर्ष पहले गृह आधार योजना के अंतर्गत विवाहित महिलाओं को मासिक राशि देना शुरू कर दिया था, पर उसे मज़दूरी नहीं कहा। कोटिस्वरन इस विचार को सेल्मा जेम्स, सिल्विया फ़ेडेरिची और मारियारोज़ा डल्ला कोस्ता के 1972 के पादुआ अभियान से पीछे ले जाकर अखिल भारतीय महिला सम्मेलन (All India Women's Conference — AIWC) तक पहुँचाती हैं, जिसकी 1939 की रिपोर्ट और 1946 के भारतीय महिला घोषणा-पत्र ने गृहिणी के श्रम को कारखाने की मज़दूरी के बराबर माना ; संविधान सभा की सदस्य रेणुका राय ने गृहिणी को भी उतनी ही कामकाजी महिला कहा। पुस्तक पूछती है कि क्या 12 राज्यों के बिना शर्त अंतरण उस माँग को पूरा करते हैं, गृहिणी के खोए श्रम का मुआवज़ा देने वाले लगभग 300 निर्णयों की समीक्षा करती है और ध्यान दिलाती है कि आशा, आँगनवाड़ी और मध्याह्न भोजन कर्मियों को स्वयंसेवक माना जाता है। PIB की 25 फ़रवरी 2025 की विज्ञप्ति के अनुसार, 2024 में 15-59 वर्ष की महिलाओं ने अवैतनिक घरेलू काम पर प्रतिदिन 305 मिनट बिताए।

एक पंक्ति में पूरी श्रृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

AIWC गृहकार्य को मज़दूरी के समकक्ष मानती है (1939) → पादुआ अभियान (1972) → मुआवज़ा मामलों में अदालतें गृहिणी के काम का मूल्य आँकती हैं → राज्य बिना शर्त नकद अंतरण शुरू करते हैं → देखभाल को काम के रूप में मान्यता देने का प्रश्न

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)	1. **अनुच्छेद 39(d) समान वेतन का वचन देता है; देखभाल का काम अभी 'काम' नहीं माना जाता** — अनुच्छेद 39(d), जो एक नीति निदेशक तत्व है, राज्य से अपेक्षा करता है कि वह पुरुषों और स्त्रियों दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित करे। यह सवैतन काम को मानकर चलता है: अवैतनिक देखभाल GDP और श्रम कानून के बाहर है, इसीलिए स्वयंसेवक कहे जाने वाले योजना-कर्मियों को वेतन संरक्षण नहीं मिलता। 2. **समय उपयोग सर्वेक्षण वह मापता है जो GDP छोड़ देता है** — राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय का समय उपयोग सर्वेक्षण (Time Use Survey) दर्ज करता है कि लोग 24 घंटे कैसे बिताते हैं। PIB के अनुसार, TUS 2024 में छह वर्ष और उससे अधिक आयु की 81.5% महिलाओं और 27.1% पुरुषों ने अवैतनिक घरेलू काम किया, और 15-59 वर्ष की महिलाओं ने उस पर प्रतिदिन 305 मिनट बिताए, जो 2019 में 315 मिनट था। SDG का लक्ष्य 5.4 देशों से अवैतनिक देखभाल को मान्यता देने और उसका मूल्य आँकने को कहता है।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)	1. **महिलाओं के नकद अंतरण अब राजकोषीय प्रश्न हैं** — GS1 में "महिलाओं की भूमिका" और GS2 में "असुरक्षित वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ" शामिल हैं; कई राज्यों में महिलाओं को दिए जाने वाले अंतरण दोनों को जोड़ते हैं।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● अनुच्छेद 39(d) राज्य को निर्देश देता है कि वह पुरुषों और स्त्रियों दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित करे। ● समय उपयोग सर्वेक्षण MoSPI के अंतर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय कराता है; TUS 2024 पहले सर्वेक्षण (2019) के बाद का है। ● SDG का लक्ष्य 5.4 अवैतनिक देखभाल और घरेलू काम को मान्यता देने और उसका मूल्य आँकने से संबंधित है।
विश्लेषण (ANALYSIS)	1. **लेंस — तात्कालिक राहत और दीर्घकालिक सुधार: अंतरण महिला को भुगतान देता है, पर उसका समय मुक्त नहीं कर पाता** — मासिक राशि गृहिणी को तुरंत अपना पैसा और कुछ सौदेबाज़ी की ताक़त देती है। पर, जैसा पुस्तक स्वीकार करती है, वह इस धारणा को भी पुष्ट कर सकती है कि गृहकार्य उसी का काम है। एक विवेकशील अधिकारी अंतरणों के साथ वह भी जोड़ेगा जो कोटिस्वरन का "केयर मैनिफ़ेस्टो" माँगता है: पानी, रसोई गैस, शिशुगृह (क्रेच) और समय-उपयोग के आँकड़े, जो काम के घंटों को ही घटाते हैं। 2. **अदालतें उस काम का मूल्य पहले ही आँक लेती हैं जिसका राज्य नहीं आँकता** — जब किसी गृहिणी की मृत्यु होती है या वह घायल होती है, तो अदालतें उसकी काल्पनिक आय निर्धारित करके उसके परिवार को मुआवज़ा देती हैं, और पुस्तक पाती है कि वे उसकी सेवाओं की परिधि बढ़ा रही हैं और राशि भी। इस प्रकार कानून पहले ही मान चुका है कि उसके काम का मौद्रिक मूल्य है। कोटिस्वरन का प्रश्न है कि वह मूल्य मृत्यु या चोट के बाद ही क्यों पहचाना जाता है। 3. **देखभाल कर्मियों को स्वयंसेवक कहना लागत कम रखता है** — आशा और आँगनवाड़ी कार्यकर्ता अग्रिम पंक्ति का स्वास्थ्य और पोषण संभालती हैं, फिर भी स्वयंसेवक होने के कारण उन्हें मज़दूरी नहीं, मानदेय मिलता है। घर में देखभाल को मान्यता देना और राज्य की अपनी योजनाओं में उसे मान्यता न देना, दोनों बेमेल हैं।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	क्या अवैतनिक घरेलू काम का पारिश्रमिक राज्य को देना चाहिए? भारत में महिलाओं की नकद अंतरण योजनाओं के प्रकाश में टिप्पणी कीजिए। (10 अंक, 150 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. **निर्देश — टिप्पणी कीजिए** — दोनों पक्षों के साथ तर्कसंगत राय दीजिए। 2. **भूमिका — महिलाएँ अवैतनिक घरेलू काम पर प्रतिदिन 305 मिनट बिताती हैं (TUS 2024)** — AIWC ने यह माँग 1939 में की थी। 3. **मुख्य भाग — अंतरण मूल्य को मान्यता देते हैं और महिलाओं को पैसा देते हैं** — मूल्य-वर्धन: गोवा की गृह आधार; गृहिणी के मुआवज़े संबंधी न्यायिक निर्णय। 4. **मुख्य भाग — पर अकेली नकद राशि श्रम के लैंगिक विभाजन को जकड़ सकती है** — आरेख: दो स्तंभ, महिलाओं और पुरुषों के अवैतनिक घंटे, और अवसंरचना के तीर जो महिलाओं के स्तंभ को छोटा करते हैं। 5. **निष्कर्ष — भुगतान कीजिए और काम घटाइए** — अंतरण के साथ देखभाल अवसंरचना और योजना-कर्मियों को उचित मज़दूरी।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण	**प्रश्न 1. महिला एवं बाल विकास सचिव के रूप में आप कैसे आँकेंगे कि आपके राज्य का नकद**

(ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	**अंतरण कारगर है या नहीं?** ***दृष्टिकोण (Approach):*** केवल यह नहीं कि पैसा खातों में पहुँचा, मैं आधार-रेखा के सापेक्ष महिलाओं के समय-उपयोग, लड़कियों की स्कूल उपस्थिति और महिलाओं के सवैतन रोज़गार को देखूँगा। यदि अवैतनिक घंटे नहीं घटते, तो मैं निधि जल-संयोजनों, गैस रीफ़िल और शिशुगृहों में लगाऊँगा। पैमाना यह है कि महिला का काम गिना जाए, केवल उसका भुगतान न हो।

9. नैतिकता एवं प्रशासक कोना — समन्वित केस स्टडी (Ethics & Administrator's Corner — Integrative Case Studies)

ये तीन केस स्टडी आज के समाचार पत्रों की कहानियों को जीएस4-शैली (GS4-style) के परिदृश्यों में एक साथ पिरोती हैं। आदर्श दृष्टिकोण (Model Approach) पढ़ने से पहले प्रश्नों को कागज़ पर हल करें, जिसे नामित बिंदुओं के रूप में लिखा गया है ताकि आप केवल अपने निष्कर्षों की नहीं, बल्कि अपनी संरचना की भी इससे तुलना कर सकें।

प्रकरण 1 — "मुझे अपनी भूल का एहसास हुआ": बाल संरक्षण अधिकारी, पछताती माँ और 15 वर्ष की दुल्हन

परिदृश्य (SCENARIO) द हिंदू (11 अक्टूबर) की तेलंगाना से रिपोर्ट है कि एक दिहाड़ी मज़दूर माँ ने मकान-मालिक के यह समझाने पर कि यह "बहुत अच्छा रिश्ता" है, अपनी 15 वर्षीय बेटी का विवाह 40 वर्ष के एक पुरुष से कर दिया, और तीन दिन के भीतर ही बेटी को वापस ले आई। पति ने बच्ची का यौन उत्पीड़न किया था। पुलिस ने पति, माँ, मकान-मालिक और विवाह कराने वाले पुजारी के विरुद्ध मामला दर्ज किया। मान लीजिए आप ज़िला बाल संरक्षण अधिकारी हैं, जो बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी (Child Marriage Prohibition Officer) की भूमिका भी निभाते हैं। लड़की पढ़ाई जारी रखना चाहती है और अपनी माँ के साथ रहना चाहती है, जो परिवार की एकमात्र कमाने वाली सदस्य है। एक बाल-अधिकार कार्यकर्ता का आग्रह है कि सभी को "तार्किक परिणति तक" अभियोजित किया जाए, ताकि कानून दूसरों के लिए भय का काम करे। गाँव का मुखिया आपसे कहता है कि मामला "निपट चुका" है और अदालती कार्यवाही परिवार को बर्बाद कर देगी।

प्रश्न 1. किसके हित को सर्वोपरि रखा जाना चाहिए, और इस विशिष्ट बच्ची के कल्याण के सामने निवारण (भय पैदा करने) के उद्देश्य को आप कैसे तौलेंगे?

प्रश्न 2. माँ, पति, मकान-मालिक और पुजारी के संबंध में आप क्या कार्रवाई करेंगे?

प्रश्न 3. मुखिया और कार्यकर्ता, दोनों को आप क्या उत्तर देंगे?

आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH)

1. **बच्ची का सर्वोत्तम हित ही आधार है** — बाल विवाह कोई निजी पारिवारिक मामला नहीं है जिसे मुखिया "निपटा" दे। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 (Prohibition of Child Marriage Act, 2006) इसे अपराध बनाता है, और Society for Enlightenment and Voluntary Action v Union of India में सर्वोच्च न्यायालय के 2024 के दिशानिर्देश क्रम तय करते हैं: "दंडित करने से पहले संरक्षण और संरक्षण से पहले रोकथाम"। बच्ची की सुरक्षा, उसकी पढ़ाई और उसकी इच्छा सबसे पहले आती है, और उसकी बात सुनी जानी चाहिए।

2. **दुर्व्यवहार करने वाले और दबाव में आई अभिभावक को अलग-अलग देखें** — पति पर पूरी आपराधिक प्रक्रिया चलेगी: 18 वर्ष से कम आयु की पत्नी से शारीरिक संबंध बलात्कार है, जैसा सर्वोच्च न्यायालय ने Independent Thought (2017) में निर्णय दिया, और पॉक्सो (POCSO) अधिनियम भी लागू होता है। रिश्ता तय कराने वाले मकान-मालिक और विवाह संपन्न कराने वाले पुजारी पर भी मुकदमा चलना चाहिए, क्योंकि इसी प्रकार के लोग इस कुप्रथा को संभव बनाते हैं। माँ का मामला भिन्न है। उसने अपनी भूल मानी और उसे सुधार भी लिया। उसकी भूमिका को ईमानदारी से दर्ज कीजिए, किंतु बाल कल्याण समिति से आग्रह कीजिए कि बच्ची को किसी संस्था में भेजने के बजाय निगरानी में घर पर ही रहने दिया जाए।

3. **केवल विवाह नहीं, उसके कारण को हटाइए** — बच्ची का स्कूल में पुनः नामांकन कराइए और परिवार को उन कल्याणकारी योजनाओं तथा बालिका शिक्षा सहायता से जोड़िए जिनके वे पात्र हैं। आशा कार्यकर्ता, आँगनवाड़ी कार्यकर्ता और स्कूल के प्राचार्य से कहिए कि वे नए सिरे से किसी दबाव पर नज़र रखें।

4. **निष्कर्ष — शोषकों के प्रति कठोर, परिवार के प्रति न्यायसंगत** — भय का निर्माण उन्हें दंडित करने से होता है जो बाल विवाह से लाभ उठाते हैं या उसे संभव बनाते हैं; एक बच्ची की इकलौती देखभालकर्ता को दंडित करने से बच्ची और अधिक असुरक्षित हो सकती है। यहाँ न्याय की कसौटी यह है कि वह स्कूल में बनी रहती है या नहीं और उसका बचपन बचा रहता है या नहीं।

प्रकरण 2 — 24 घंटे का आदेश: ज़िला आयुक्त और उपचार समाप्त होने से पहले निर्वासन

परिदृश्य (SCENARIO) इंडियन एक्सप्रेस (11 अक्टूबर) की रिपोर्ट है कि असम के नगाँव की दो महिलाओं को, जिनके 2019 के "विदेशी" घोषित करने वाले मतों को गौहाटी उच्च न्यायालय ने रद्द करके विदेशी न्यायाधिकरण (Foreigners Tribunal) को वापस भेज दिया था, नई सुनवाई के दिन ही पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उन्हें एक हिरासत केंद्र में ले जाया गया। ज़िला आयुक्त ने असम से निष्कासन (Immigrants (Expulsion from Assam) Act, 1950) अधिनियम, 1950 के अंतर्गत दोनों को भारत छोड़ने के लिए 24 घंटे दिए, और परिवार अदालत से आदेश ला पाते उससे पहले ही दोनों को बांग्लादेश में धकेल दिया गया। उच्च न्यायालय ने निष्कासन के इन आदेशों को "प्रहसन" कहा, क्योंकि महिलाएँ पहले से हिरासत में थीं, और प्रत्येक परिवार को ₹2 लाख का मुआवज़ा दिया। मान लीजिए आप ज़िला आयुक्त हैं। ऐसी ही एक फ़ाइल आपके पास आती है: न्यायाधिकरण के नए मत की अभी प्रमाणित प्रति नहीं बनी है, परिवार का कहना है कि वह उच्च न्यायालय जाएगा, और सीमा पुलिस आज ही आपके हस्ताक्षर चाहती है।

प्रश्न 1. क्या आदेश पर हस्ताक्षर करना एक नियमित प्रशासनिक कदम है या एक नैतिक चुनाव? क्यों?

प्रश्न 2. फ़ाइल पर कार्रवाई करने से पहले आप क्या-क्या जाँचेंगे?

प्रश्न 3. निर्वासन के लक्ष्य पूरे करने के दबाव को आप कैसे सँभालेंगे?

आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH)

1. **विधि की उचित प्रक्रिया हर व्यक्ति की रक्षा करती है, केवल नागरिकों की नहीं** — अनुच्छेद 21 विदेशियों पर भी लागू होता है, जैसा सर्वोच्च न्यायालय ने Louis De Raedt (1991) और NHRC v State of Arunachal Pradesh (1996) में निर्णय दिया। जिस व्यक्ति को कानूनी उपचार का सहारा लेने से पहले ही निकाल दिया जाए, उससे वह उपचार वस्तुतः छीन लिया गया है, और एक बार वह सीमा पार पहुँच गया तो हुई हानि को पलटा नहीं जा सकता।

2. **हस्ताक्षर से पहले सत्यापन कीजिए** — जाँचिए कि न्यायाधिकरण का अंतिम मत मौजूद है या नहीं, वह कब दिया गया, और व्यक्ति को उसकी प्रमाणित प्रति मिल गई है या नहीं। उसे उच्च न्यायालय जाने के लिए उचित समय दीजिए। पहले से हिरासत में रखे गए व्यक्ति को "24 घंटे में चले जाओ" का आदेश देना एक विधिक कल्पना मात्र है। ऐसे आदेश पर हस्ताक्षर मत कीजिए जिसका पालन असंभव है, यह आप जानते हों।

3. **गति अपने आप में कोई मूल्य नहीं है** — सरकार को कारण सहित एक टिप्पणी लिखकर देरी स्पष्ट कीजिए और लिखित निर्देश माँगिए। परिवार और विधिक सहायता प्राधिकरण को सूचित कीजिए। हर कदम का दिनांक सहित अभिलेख रखिए, क्योंकि नगाँव मामले में उच्च न्यायालय को यह पूछना पड़ा कि मत वास्तव में कब तैयार किया गया था।

4. **निष्कर्ष — हस्ताक्षर के साथ कर्तव्य भी जुड़ा है** — प्रशासन में सत्यनिष्ठा का अर्थ है अपने हस्ताक्षर का दायित्व स्वयं उठाना। जो ज़िला आयुक्त विधिसम्मत प्रक्रिया का पूरा पालन करता है, वह विदेशियों को निकालने के राज्य के अधिकार और गलत व्यक्ति को न निकालने के उसके कर्तव्य, दोनों की पूरी तरह रक्षा करता है।

10. प्रारंभिक परीक्षा त्वरित-पुनरीक्षण तथ्य (Prelims Quick-Revision Facts)

ये तथ्य उसी पैटर्न पर लिखे गए हैं जिस पर यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा (UPSC Prelims) वास्तव में प्रश्न पूछती है — प्रावधान, मूल अधिनियम, नियुक्ति या प्रशासनिक प्राधिकारी, संरचना, परिभाषा, संधि का वर्ष और कानून में तय सीमा। समाचार केवल संदर्भ देता है; उसके पीछे का स्थायी तथ्य ही पूछा जाता है। जिन अस्थायी आँकड़ों पर कोई वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं बन सकता, उन्हें जानबूझकर छोड़ा गया है।

विषय (TOPIC)	परीक्षा-पैटर्न तथ्य (EXAM-PATTERN FACTS)
दिल्ली में हिरासतों पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय — भारत ने इसे “हस्तक्षेप” कहा	संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने कहा कि दिल्ली में 10 अक्टूबर के विरोध प्रदर्शनों के दौरान प्रदर्शनकारियों, आंदोलन के नेताओं, वकीलों और पत्रकारों की “सामूहिक हिरासत की रिपोर्टों” से वह चिंतित है। उसके प्रवक्ता ने कहा कि प्रतिबंधों को “आवश्यकता और आनुपातिकता की कठोर कसौटियों” पर खरा उतरना चाहिए। जिनेवा स्थित भारत के स्थायी मिशन ने उत्तर दिया कि शांतिपूर्ण सभा का अधिकार संविधान द्वारा सुनिश्चित है, किंतु लोक व्यवस्था के हित में उस पर युक्तियुक्त निर्बंधन लगाए जा सकते हैं। उसने इन चिंताओं को “अनुचित” और “भारत के आंतरिक मामलों में अनावश्यक हस्तक्षेप” बताया (द इंडियन एक्सप्रेस, पृ. 9)। शांतिपूर्ण सभा का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(b) से संरक्षित है, और अनुच्छेद 19(3) उस पर युक्तियुक्त निर्बंधनों की अनुमति देता है।
फ़्लाईदुबई कॉकपिट हमला — राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने मामला दर्ज किया	राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) ने 9 अक्टूबर को फ़्लाईदुबई की उड़ान 1073 (दुबई–तेल अवीव) के भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छर पर 30 सितंबर को हुए हमले की प्राथमिकी दर्ज की। आरोप है कि उनके ओमानी प्रथम अधिकारी ने सऊदी हवाई क्षेत्र के ऊपर विमान का अपहरण करने या उसे गिराने के प्रयास में उन पर चाकू से वार किया (द हिंदू पृ. 9; द इंडियन एक्सप्रेस पृ. 8; द इकोनॉमिक टाइम्स पृ. 4)। प्राथमिकी में विमान अपहरण निवारण अधिनियम, 2016 (Anti-Hijacking Act, 2016) की धारा 3 तथा विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (UAPA) की धारा 15(1)(a) के साथ पठित धारा 16 लगाई गई है; दोनों कानून राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (NIA Act, 2008) के अंतर्गत अनुसूचित अपराध हैं। NIA अधिनियम के 2019 के संशोधन से अभिकरण भारत के बाहर भारतीय नागरिकों के विरुद्ध किए गए या भारत के हितों को प्रभावित करने वाले अनुसूचित अपराधों की जाँच कर सकता है।
कामजोंग, मणिपुर — भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा	चस्साद के आसपास हुए हमलों के बाद कामजोंग ज़िला प्रशासन ने चस्साद थाने के 400 मीटर के भीतर पाँच या अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक लगा दी (द इंडियन एक्सप्रेस पृ. 7; द इकोनॉमिक टाइम्स पृ. 4)। सेना और असम राइफ़ल्स ने इससे पहले कामजोंग में म्यांमार सीमा के 8 किमी के हिस्से में 27 आईईडी निष्क्रिय किए थे (द हिंदू पृ. 1)। द इकोनॉमिक टाइम्स ने इस शक्ति का उल्लेख “बीएनएसएस की धारा 162” के रूप में छापा। तत्काल मामलों में निषेधाज्ञा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023) की धारा 163 के अंतर्गत आती है, जिसने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 का स्थान लिया है; ऐसा आदेश दो माह तक चल सकता है, जब तक कि राज्य उसे आगे न बढ़ा दे।
केरल उच्च न्यायालय — भ्रष्टाचार की प्राथमिकी से पहले प्रारंभिक जाँच आवश्यक नहीं	केरल उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को निर्देश दिया कि प्रवर्तन निदेशालय की रिपोर्ट के आधार पर पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और अन्य के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज करें। न्यायालय ने कहा कि प्राथमिकी से पहले प्रारंभिक जाँच, जिसका आदेश राज्य ने दिया था, “अनिवार्य नहीं” है। राज्य का कहना है कि वह अपील नहीं करेगा (द इंडियन एक्सप्रेस पृ. 7)। Lalita Kumari v Government of UP (2013) में संविधान पीठ ने कहा था कि जब सूचना से संज्ञेय अपराध का पता चलता है तो प्राथमिकी दर्ज करना अनिवार्य है। उसने भ्रष्टाचार के मामलों सहित कुछ श्रेणियों में सीमित प्रारंभिक जाँच की अनुमति दी थी, किंतु केवल यह देखने के लिए कि संज्ञेय अपराध बनता है या नहीं।
पेनिसिलिन जी — डीजीटीआर ने चीन से आयात पर पाटनरोधी जाँच शुरू की	वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन व्यापार उपचार महानिदेशालय (DGTR) ने चीन से आने वाले पेनिसिलिन जी और उसके लवणों की पाटनरोधी (anti-dumping) जाँच शुरू की है। उसने यह कदम अरबिंदो फ़ार्मा की सहायक कंपनी लाइफ़ियस फ़ार्मा की शिकायत पर उठाया, जिसका कहना है कि आयात से घरेलू उद्योग को “वास्तविक अवरोध” पहुँच रहा है (द हिंदू पृ. 10)। लाइफ़ियस ने उत्पादन-सहबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना के अंतर्गत लगभग तीन दशक बाद इस बीटा-लैक्टम प्रतिजैविक का भारतीय उत्पादन पुनः शुरू किया; यह दवा एक प्रमुख आरंभिक सामग्री और सक्रिय औषधीय घटक है। डीजीटीआर केवल अनुशंसा करता है। पाटनरोधी शुल्क वित्त मंत्रालय सीमा शुल्क टैरिफ़ अधिनियम, 1975 (Customs Tariff Act, 1975) की धारा 9A के अंतर्गत लगाता है, जो विश्व व्यापार संगठन (WTO) के पाटनरोधी समझौते के अनुरूप है।
राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण — बीज कंपनियों से मिली पहुँच एवं लाभ-साझाकरण राशि	राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) ने ईस्ट वेस्ट सीड्स इंडिया, सिनजेंटा इंडिया और बायर सहित बीज कंपनियों द्वारा चुकाई गई पहुँच एवं लाभ-साझाकरण (Access and Benefit-Sharing, ABS) की ₹2.02 करोड़ की राशि राज्य जैव विविधता बोर्डों और केंद्र शासित प्रदेश जैव विविधता परिषदों के माध्यम से 27 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों को वितरित की। मध्य प्रदेश को सबसे बड़ा हिस्सा मिला (पीआईबी, 10 अक्टूबर)। ABS का अर्थ है कि भारत के जैविक संसाधनों का उपयोग करने वाली कंपनियाँ उनका संरक्षण करने वाले समुदायों के साथ लाभ बाँटती हैं। यह व्यवस्था जैव विविधता अधिनियम, 2002 (Biological Diversity Act, 2002) पर आधारित है, जिसे 2023 में संशोधित किया गया। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ABS का

विषय (TOPIC)	परीक्षा-पैटर्न तथ्य (EXAM-PATTERN FACTS)
	नियमन जैव विविधता पर अभिसमय (Convention on Biological Diversity) के अंतर्गत नागोया प्रोटोकॉल करता है।
प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना — एक वर्ष पूरा	कृषि मंत्रालय की प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना 16 जुलाई 2025 को मंत्रिमंडल की स्वीकृति के बाद 11 अक्टूबर 2025 को शुरू की गई थी (पीआईबी बैकग्राउंडर, 10 अक्टूबर)। यह 2025-26 से छह वर्ष की योजना है, जो 100 आकांक्षी कृषि ज़िलों के लिए है, जिनमें प्रत्येक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का कम से कम एक ज़िला शामिल है। ज़िलों का चयन कम उत्पादकता, कम फ़सल गहनता और कम ऋण वितरण के आधार पर किया गया। योजना 11 मंत्रालयों और विभागों की 36 केंद्रीय योजनाओं को राज्य योजनाओं और निजी भागीदारी के साथ जोड़ती है, ताकि कम उत्पादकता तथा सिंचाई, ऋण और फ़सल-कटाई के बाद की सुविधाओं में कमियों से निपटा जा सके।
एनजीओपीवी 'श्रेयस' — अगली पीढ़ी का अपतटीय गश्ती पोत	भारतीय नौसेना के लिए अगली पीढ़ी के अपतटीय गश्ती पोत (Next Generation Offshore Patrol Vessel, NGOPV) यार्ड 3040 "श्रेयस" को 10 अक्टूबर को कोलकाता में गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (GRSE) में जलावतरित किया गया। अन्य NGOPV गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (GSL) में बनाए जा रहे हैं। रक्षा मंत्रालय के अनुसार वे स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और निर्मित हैं (पीआईबी)। अपतटीय गश्ती पोत अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अपतटीय परिसंपत्तियों की रक्षा करते हैं तथा समुद्री डकैती-रोधी और खोज एवं बचाव कार्य भी करते हैं। GRSE और GSL रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के पोतनिर्माण यार्ड हैं।
अभ्यास तरंग शक्ति 2026 — जोधपुर	भारतीय वायु सेना (IAF) द्वारा आयोजित बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2026 का यह दूसरा संस्करण है (पहला 2024 में हुआ था)। यह 26 सितंबर से 12 अक्टूबर तक वायु सेना स्टेशन जोधपुर में चल रहा है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, फ़्रांस, जर्मनी, श्रीलंका, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका की वायु सेनाएँ तथा 32 पर्यवेक्षक देश भाग ले रहे हैं (पीआईबी; द हिंदू पृ. 9)। तेजस और प्रचंड हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर जैसे स्वदेशी मंचों ने भाग लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भविष्य की सैन्य शक्ति संवेदन, निर्णय और कार्रवाई की गति पर निर्भर करेगी।
वन अधिकार अधिनियम — राष्ट्रीय तस्वीर	कोलकाता में जनजातीय कार्य मंत्रालय की वन अधिकार अधिनियम, 2006 (Forest Rights Act, 2006) की दूसरी क्षेत्रीय समीक्षा में 31 अगस्त 2026 तक के राष्ट्रीय आँकड़े ये थे: 54 लाख से अधिक दावे, लगभग 25 लाख अधिकार-पत्र, 18 लाख से अधिक अस्वीकृतियाँ और लगभग 11 लाख दावे लंबित (पीआईबी)। सम्मेलन में ग्राम सभाओं के माध्यम से तैयार सामुदायिक वन संसाधन (CFR) प्रबंधन योजनाओं, विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों (PVTGs) के लिए पर्यावास अधिकारों की रूपरेखा और भूमि अभिलेखों के अद्यतन पर बल दिया गया। अधिनियम के अंतर्गत व्यक्तिगत और सामुदायिक अधिकारों को मान्यता देने की प्रक्रिया ग्राम सभा आरंभ करती है।
205 प्रकाश-स्तंभ — दिशा-सूचक संकेत से पर्यटन स्थल तक	10 अक्टूबर के पीआईबी बैकग्राउंडर के अनुसार भारत की 11,000 किमी से अधिक लंबी तटरेखा पर 205 प्रकाश-स्तंभ हैं। आगंतुकों की संख्या 2014 में लगभग 4 लाख से बढ़कर 2024-25 में 18.63 लाख हो गई, और प्रकाश-स्तंभ एवं प्रकाश-पोत महानिदेशालय (DGLL) ने डिजिटल टिकटिंग शुरू की है। नामित विरासत प्रकाश-स्तंभों में मांडवी और द्वारका (गुजरात), तदड़ी (कर्नाटक), पंबन और महाबलिपुरम (तमिलनाडु) तथा विझिंजम (केरल) शामिल हैं। समुद्री नौवहन सहायता अधिनियम, 2021 (Marine Aids to Navigation Act, 2021) ने प्रकाश-स्तंभ अधिनियम, 1927 का स्थान लिया है और प्रकाश-स्तंभों को विरासत प्रकाश-स्तंभ के रूप में चिह्नित करने का प्रावधान करता है।
जीआई-एआई4एफ़एस — खाद्य प्रणालियों के लिए एआई पर संयुक्त राष्ट्र की पहल	कृषि-खाद्य प्रणालियों के लिए एआई पर वैश्विक पहल (Global Initiative on AI for Agri-Food Systems, GI-AI4FS) की दूसरी बैठक नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 में आयोजित हुई (पीआईबी, दूरसंचार विभाग)। इस पहल का समन्वय अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU) करता है, जिसके साथ खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO), अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास कोष (IFAD) और विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) जुड़े हैं। बैठक में इसकी शासन संरचना, कार्य-समूहों के अध्यक्षों और कार्य-शर्तों तथा एक एआई हैकाथॉन पर चर्चा हुई।
ओपीटी शुल्क — अमेरिकी विश्वविद्यालयों में भारतीय आवेदन घटे	अमेरिकी आंतरिक सुरक्षा विभाग द्वारा प्रारंभिक वैकल्पिक व्यावहारिक प्रशिक्षण (Optional Practical Training, OPT) कार्य-अनुमतियों पर $70,000 का शुल्क प्रस्तावित किए जाने के बाद (8 अक्टूबर की प्रविष्टि), विदेश में पढ़ाई कराने वाले मंच भारत से माँग घटने की सूचना दे रहे हैं। करियर मोज़ेक के अनुसार अमेरिका के लिए आवेदन पिछले वर्ष से लगभग 40% कम हैं, जबकि एमएसएम यूनिफ़ाई और अपग्रेड लगभग 20% और 19% की गिरावट बताते हैं (द इकोनॉमिक टाइम्स पृ. 5)।
सुजान सिंह पार्क — 1945 की आवासीय बस्ती अदालत में	नई दिल्ली में खान मार्केट के सामने स्थित सुजान सिंह पार्क 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सैन्य अधिकारियों को ठहराने के लिए बनाया गया था। इसका डिज़ाइन वॉल्टर साइक्स जॉर्ज ने तैयार किया था, जो हर्बर्ट बेकर के सहायक के रूप में भारत आए थे। इसका नाम ठेकेदार सोभा सिंह के पिता के नाम पर है, जो खुशवंत सिंह के पिता थे। एक विरासत संरक्षण विशेषज्ञ इसे "स्वतंत्रता-पूर्व सामूहिक आवास की एक युगांतकारी परियोजना" कहते हैं; 7.85 एकड़ में इसके सात खंड हैं, प्रत्येक में 12 टाउनहाउस। केंद्र ने बेदखली की कार्यवाही शुरू की, यह तर्क देते हुए कि पट्टा 1960 में समाप्त हो गया था; दिल्ली उच्च न्यायालय ने अगस्त में उस पर रोक लगा दी (द इंडियन एक्सप्रेस पृ. 15)।
मानव बाल — भारत के कच्चे बाल म्यांमार के रास्ते चीन	भारत के कच्चे मानव बालों के निर्यात का लगभग 98% आधिकारिक रूप से म्यांमार भेजा जाता है, जहाँ बालों का प्रसंस्करण होता है और फिर वे चीन के हेनान प्रांत के शुचांग पहुँचते हैं, जो दुनिया के लगभग

विषय (TOPIC)	परीक्षा-पैटर्न तथ्य (EXAM-PATTERN FACTS)
जाते हैं	60% तैयार बाल-उत्पाद बनाता है। भारत ने वित्त वर्ष 2026 में लगभग $940 मिलियन के मानव बाल निर्यात किए, जो अधिकतर कच्चे और अर्ध-संसाधित थे, जबकि विग और एक्सटेंशन का निर्यात केवल $1.35 मिलियन का रहा (द इकोनॉमिक टाइम्स पृ. 6)। निर्यातक कच्चे बालों के निर्यात पर प्रतिबंध चाहते हैं ताकि प्रसंस्करण, जिसमें अधिकतर महिलाएँ काम करती हैं, भारत में ही हो। उद्योग के एक नेता का कहना है कि $65 प्रति किग्रा का न्यूनतम निर्यात मूल्य बहुत कम है।
उप निर्वाचन आयुक्त — प्रकाश राजपुरोहित	राजस्थान कैडर के 2010 बैच के आईएएस अधिकारी प्रकाश राजपुरोहित को संजय कुमार के स्थान पर 8 अप्रैल 2030 तक की अवधि के लिए उप निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने संयुक्त सचिव स्तर के 27 पदों को भी मंज़ूरी दी, जिनमें विवेक खरे को राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में संयुक्त सचिव बनाया जाना शामिल है (द हिंदू पृ. 9; द इंडियन एक्सप्रेस पृ. 9)। उप निर्वाचन आयुक्त निर्वाचन आयोग के सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारी होते हैं। वे अनुच्छेद 324 के अंतर्गत निर्वाचन आयुक्त नहीं हैं, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों का प्रावधान करता है।
फ़ॉर्म 6 — ओडिशा का विशेष नामांकन अभियान	निर्वाचन आयोग के निर्देश पर 7–9 अक्टूबर को चले तीन दिवसीय विशेष नामांकन अभियान में ओडिशा में 26,446 विशेष शिविरों में 33,515 लोगों ने फ़ॉर्म 6 जमा किया (द हिंदू पृ. 5)। यह अभियान विशेष गहन पुनरीक्षण में छूट गए मतदाताओं और 1 अक्टूबर को 18 वर्ष के हुए लोगों के लिए था। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 (Registration of Electors Rules, 1960) के अंतर्गत फ़ॉर्म 6 सूची में नाम जुड़वाने के लिए, फ़ॉर्म 7 किसी नाम पर आपत्ति करने या उसे हटवाने के लिए, और फ़ॉर्म 8 सुधार तथा स्थानांतरण के लिए प्रयुक्त होता है। 2022 से कानून में वर्ष में चार अर्हता तिथियाँ हैं: 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर।
स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र — महाराष्ट्र विधान परिषद	महाराष्ट्र में 23 अक्टूबर को विधान परिषद के चुनाव होंगे, जिनमें तीन स्नातक निर्वाचन क्षेत्र (पुणे, नागपुर और मराठवाड़ा) और दो शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र (पुणे और अमरावती) शामिल हैं (द इंडियन एक्सप्रेस पृ. 8)। अनुच्छेद 171(3) के अंतर्गत परिषद के लगभग बारहवें भाग सदस्य राज्य में कम से कम तीन वर्ष पूर्व स्नातक हो चुके लोगों द्वारा और बारहवें भाग सदस्य माध्यमिक विद्यालय या उससे ऊपर के स्तर पर कम से कम तीन वर्ष से पढ़ा रहे शिक्षकों द्वारा निर्वाचित होते हैं। लगभग एक-तिहाई सदस्य स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा और एक-तिहाई विधायकों द्वारा चुने जाते हैं, और शेष को राज्यपाल नामनिर्दिष्ट करता है।
संयुक्त राष्ट्र महासभा की चौथी समिति — पाकिस्तान को भारत का उत्तर देने का अधिकार	भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की चौथी समिति में "उपनिवेशवाद की समाप्ति" कार्यसूची मद के अंतर्गत पाकिस्तान के विरुद्ध उत्तर देने के अधिकार (Right of Reply) का प्रयोग किया और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर पर पाकिस्तान की टिप्पणियों को "झूठ और असत्य" कहा (द हिंदू पृ. 9)। चौथी समिति, जिसे विशेष राजनीतिक एवं उपनिवेशवाद-समाप्ति समिति भी कहा जाता है, महासभा की छह मुख्य समितियों में से एक है। उत्तर देने का अधिकार किसी राज्य को बहस के दौरान अपने विषय में की गई टिप्पणियों का जवाब देने देता है।
आईएईए आईपीपीएएस — पाकिस्तान में पहला परमाणु-सुरक्षा मिशन	अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के सात सदस्यीय दल ने पाकिस्तान में पहला अंतरराष्ट्रीय भौतिक संरक्षण सलाहकार सेवा (International Physical Protection Advisory Service, IPPAS) मिशन (28 सितंबर–9 अक्टूबर) पूरा किया, जिसकी मेज़बानी पाकिस्तान परमाणु नियामक प्राधिकरण ने की। दल ने कहा कि परमाणु सामग्री और प्रतिष्ठानों के भौतिक संरक्षण के लिए पाकिस्तान के पास "सुदृढ़ परमाणु सुरक्षा व्यवस्था" है (द हिंदू पृ. 14)। दल ने कराची में कानूप (KANUPP) की सेवामुक्ति परियोजना का दौरा किया; पाकिस्तान का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कानूप कनाडाई कैंडू (CANDU) रिएक्टर था, जो 1971 से 2021 तक चला। IPPAS मिशन तभी होते हैं जब कोई देश स्वयं इसका अनुरोध करे।

स्रोत टिप्पणी (Source note): सभी सामग्री द हिंदू (मुंबई), द इंडियन एक्सप्रेस (मुंबई) और द इकोनॉमिक टाइम्स (मुंबई) — 11 अक्टूबर 2026 से ली गई है; जहां संकेतित है वहां आधिकारिक विज्ञप्तियों (official releases) और पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च (PRS Legislative Research) से पूरक। तथ्य, आंकड़े और उद्धरण उसी तारीख को रिपोर्ट किए गए अनुसार पुनरुत्पादित हैं; उत्तर में उपयोग करने से पहले उनकी वर्तमानता (चल रही कानूनी कार्यवाही, बदलते आंकड़े) सत्यापित करें।

11. उत्तर-लेखन, GS1, मानचित्र, नीतिशास्त्र और CSAT

रोज़ का वह हिस्सा जो अख़बार नहीं देते: एक पूरा लिखा आदर्श उत्तर, GS1 का एक स्थायी विषय, मानचित्र अभ्यास, GS4 का एक सैद्धांतिक शब्द और CSAT का अभ्यास।

11.1 आज का आदर्श उत्तर — कार्ड 1.1 (15 अंक, 250 शब्द)

> ***"अनुच्छेद 21 केवल नागरिकों की ही नहीं, विदेशियों की भी रक्षा करता है।" परीक्षण कीजिए कि असम में विदेशियों की पहचान और निर्वासन की राज्य की शक्ति पर यह सिद्धांत कितना अंकुश लगाता है। (15 अंक, 250 शब्द)***

भूमिका — अनुच्छेद 21 हर "व्यक्ति" को संरक्षण देता है; अनुच्छेद 19 की स्वतंत्रताएँ केवल नागरिकों की हैं। Louis De Raedt (1991) ने विदेशी का मूल अधिकार अनुच्छेद 21 तक सीमित रखा; NHRC v State of Arunachal Pradesh (1996) ने चकमा शरणार्थियों को बचाया। 3 सितंबर को गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने इसे नगाँव की दो निर्वासित महिलाओं पर लागू किया।

1. **यह निष्कासन की शक्ति नहीं छीनता** — De Raedt निष्कासन की व्यापक शक्ति मानता है, जो अब आप्रवासन और विदेशी अधिनियम, 2025 (Immigration and Foreigners Act, 2025) से शासित है। अनुच्छेद 21 ठहरने का अधिकार नहीं देता।

2. **यह अनुचित प्रक्रिया से निष्कासन रोकता है** — अप्रैल में मामले वापस भेजे गए थे। पुनः सुनवाई में पुलिस उन्हें ले गई, ज़िला आयुक्त ने 1950 के अधिनियम से 24 घंटे में जाने का आदेश दिया और BSF ने 13–14 जून को उन्हें बांग्लादेश में धकेल दिया। न्यायालय ने आदेशों को "प्रहसन" कहा और हर परिवार को ₹2 लाख दिलाए।

3. **प्रक्रिया पूर्ण और अभिलेख पर होनी चाहिए** — 7 अक्टूबर को न्यायालय ने न्यायाधिकरण का समय-अंकन माँगा: कार्रवाई के समय राय न थी, तो हिरासत अवैध। अंतिम राय, सूचना और अपील का समय न्यूनतम है।

4. **फिर भी अंकुश घटना के बाद ही काम करता है** — न स्वीकारने वाले देश में धकेले जाने को मुआवज़ा पलट नहीं सकता। चारों एजेंसियाँ एक-एक कदम निभाती हैं; परिणाम की ज़िम्मेदारी किसी की नहीं।

निष्कर्ष — अनुच्छेद 21 तय करता है कि राज्य निर्वासन कैसे करे, यह नहीं कि कर सकता है या नहीं। आगे की राह: अपील-अवधि बीतने तक निष्कासन नहीं, समय-अंकित डिजिटल अभिलेख, हर मामले में एक जवाबदेह अधिकारी और बांग्लादेश से वापसी-प्रक्रिया। तब पहचान दृढ़ भी होगी, न्यायसंगत भी।

यह बनाइए: *दूसरे और तीसरे बिंदु के पास एक प्रवाह-चित्र: न्यायाधिकरण की राय → प्रमाणित प्रति की तामील → अपील की अवधि → अंतिम आदेश → निष्कासन, और लाल निशान जो दिखाए कि नगाँव मामला कहाँ हिरासत से सीधे धकेलने पर कूद गया।*

(267 शब्द)

11.2 GS1 कोना — कला एवं संस्कृति: कोलकाता की दुर्गा पूजा और कुमारटुली के मिट्टी-प्रतिमा कारीगर

आज का संदर्भ: *TH pp17–18*

1. **कोलकाता की दुर्गा पूजा UNESCO की अमूर्त विरासत सूची में है** — इसे 2021 में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में अंकित किया गया। UNESCO की सूची में उन कार्यशालाओं का उल्लेख है जो बिना पकी गंगा की मिट्टी से दुर्गा और उनके परिवार की मूर्तियाँ गढ़ती हैं, और उस उत्सव का भी जिसमें वर्ग, धर्म और जातीयता की दीवारें ढह जाती हैं।

2. **कुमारटुली कुम्हारों का वह मोहल्ला है जो प्रतिमाएँ बनाता है** — हुगली के किनारे कोलकाता के कुमारटुली में कारीगर बाँस के ढाँचे पर पुआल और मिट्टी की परतों से प्रतिमाएँ गढ़ते हैं, फिर उन्हें रंगते हैं। The Hindu इस मोहल्ले को लगभग 300 साल पुराना बताता है, जब नदिया ज़िले के कृष्णनगर से कुम्हार यहाँ आ बसे थे।

3. **एक पुरानी कला अब पर्यटन और नई शैलियों से जुड़ रही है** — कुछ कार्यशालाएँ पारंपरिक साबेकी शैली बनाए रखती हैं, तो कुछ समकालीन माँग पर काम करती हैं। यह कला अब भी मुख्यतः पुरुषों के हाथ में है।

प्रारंभिक परीक्षा के तथ्य

- "कोलकाता की दुर्गा पूजा" को 2021 में UNESCO की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में अंकित किया गया।
- अमूर्त सांस्कृतिक विरासत UNESCO के 2003 के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण संबंधी अभिसमय (Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage) के तहत सूचीबद्ध होती है।
- कुमारटुली गंगा की वितरिका हुगली के किनारे बसा कोलकाता का पारंपरिक कुम्हारों का मोहल्ला है।

11.3 समाचार में स्थान — अपने एटलस पर चिह्नित करें

स्थान	कहाँ है	समाचार में क्यों	प्रारंभिक तथ्य
उकियाम और कुलसी नदी	असम–मेघालय सीमा पर, गुवाहाटी से लगभग 80 किमी दक्षिण-पश्चिम में, जहाँ	2,000 से अधिक ग्रामीणों ने अनसुलझे लंगपिह और	कुलसी ब्रह्मपुत्र की दक्षिणी तट की सहायक नदी है और गंगा

स्थान	कहाँ है	समाचार में क्यों	प्रारंभिक तथ्य
(Ukiam and the Kulsi river)	द्रोण, श्री और दिलमा मिलकर कुलसी बनाती हैं।	बोरदुआर के निकट प्रस्तावित 55-MW कुलसी बाँध के विरुद्ध रैली की (5.1)।	नदी डॉल्फ़िन का आवास है।
नगाँव (Nagaon)	मध्य असम में, ब्रह्मपुत्र के दक्षिणी तट पर, गुवाहाटी के पूर्व में।	नगाँव की दो महिलाओं को उनकी न्यायाधिकरण पुन: सुनवाई के दौरान बांग्लादेश में धकेल दिया गया (1.1)।	काज़ीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का एक भाग नगाँव ज़िले में पड़ता है।
विकाराबाद (Vikarabad)	पश्चिमी तेलंगाना में, हैदराबाद के पश्चिम में, दक्कन पठार पर।	इस ज़िले में तेलंगाना में सबसे अधिक, 878, बाल विवाह रोके गए (8.1)।	मूसी नदी विकाराबाद ज़िले की अनंतगिरि पहाड़ियों से निकलती है।
सिक्किम (Sikkim)	पूर्वी हिमालय में, पश्चिम में नेपाल, उत्तर और पूर्व में तिब्बत (चीन), पूर्व में भूटान और दक्षिण में पश्चिम बंगाल के बीच।	इसकी बड़ी इलायची की फ़सल नेपाल से पिछड़ गई है, जो अब विश्व उत्पादन का लगभग 68% उगाता है (3.1)।	सिक्किम का खांगचेंदज़ोंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला 'मिश्रित' विश्व धरोहर स्थल है।

11.4 आज का नीतिशास्त्र शब्द (GS4 खंड A): प्रक्रियागत निष्पक्षता (प्राकृतिक न्याय) (Procedural fairness / natural justice)

अर्थ — किसी व्यक्ति को हानि पहुँचाने वाला निर्णय तभी निष्पक्ष है जब उसकी बात सुनी जाए, उसे कारण बताए जाएँ और निर्णय लागू होने से पहले उसे चुनौती देने का वास्तविक अवसर मिले। गति या अंतिम परिणाम का सही होना अनुचित प्रक्रिया की भरपाई नहीं करता।

आज के समाचार में — केस 2 और 1.1: हिरासत में बंद महिलाओं को 24 घंटे में जाने का आदेश दिया गया और उनकी पुन: सुनवाई पूरी होने से पहले उन्हें धकेल दिया गया; उच्च न्यायालय ने आदेशों को "प्रहसन" कहा।

उत्तर में उपयोग — प्रवर्तन, बेदखली या निर्वासन के केस स्टडी में विकल्प-विश्लेषण के समय सबसे तेज़ विकल्प को ख़ारिज करने और 'पहले जाँचो, फिर कार्रवाई करो' को उचित ठहराने में इसका प्रयोग करें।

11.5 CSAT अभ्यास (प्रश्नपत्र II)

नीचे का अनुच्छेद मौलिक है, आज के एक संपादकीय के विषय पर। पहले उत्तर स्वयं चुनें, फिर अंत में उत्तर-कुंजी देखें।

हम अक्सर क्लासिक को एक पूरी तरह तैयार वस्तु मान लेते हैं, यानी ऐसी किताब जो बहुत पहले बंद कर दी गई और बिना बदले हम तक पहुँची। फिर भी अधिकांश महान कथाएँ इसलिए टिकी रहीं कि वे कभी बंद नहीं की गईं। उन्हें गाया गया, खेला गया, अनूदित किया गया और दोहराया गया, और हर कहने वाले ने उन्हें नए श्रोताओं के अनुरूप ढाला।

सोचिए कि कोई महाकाव्य कैसे यात्रा करता है। दादी उसे सोते समय सुनाती हैं और युद्ध के प्रसंग छोटे कर देती हैं। गाँव की मंडली उसे खेलती है और स्थानीय चुटकुले जोड़ देती है। दूसरी भाषा का कवि उसे फिर से कहता है और किसी गौण पात्र को बोलने देता है। इनमें से कोई भी रूप बाकी रूपों की जगह नहीं लेता। मिलकर वे कथा को उपयोग में बनाए रखते हैं, और जो कथा उपयोग में है, वही जीवित है।

इसका अर्थ यह नहीं कि हर पुनर्कथन समान रूप से अच्छा है या कुछ भी चल सकता है। जो पुनर्कथन मूल की आत्मा की उपेक्षा करता है, वह चतुर तो हो सकता है, पर खोखला होता है। सर्वश्रेष्ठ पुनर्कथन उन लोगों से आते हैं जो पुराने पाठ को गहराई से, प्राय: उसकी अपनी भाषा में, जानते हैं और फिर सावधानी से छूट लेते हैं। ज्ञान के बिना स्वतंत्रता शोर पैदा करती है; स्वतंत्रता के बिना ज्ञान संग्रहालय बनाता है।

क्लासिक की इतनी कड़ी रखवाली में भी ख़तरा है कि कोई उसे छू तक न सके। सम्मान के लिए की गई सुरक्षा दूरी में बदल सकती है। तब युवा पाठक पाठ से केवल इस रूप में मिलते हैं कि उसे दूर से सराहा जाए, इस रूप में नहीं कि वह उनके अपने जीवन से बात करे। समय के साथ कथा प्रसिद्ध तो रहती है, पर पढ़ी नहीं जाती।

इसलिए किसी साहित्यिक परंपरा का स्वास्थ्य इससे कम आँका जाना चाहिए कि उसके पाठों की कितनी कड़ाई से रक्षा होती है, और इससे अधिक कि कितने लोग अब भी उनसे बहस करते हैं, उन्हें ढालते हैं और आगे बढ़ाते हैं। जो समाज प्राचीन भाषाओं के अध्ययन में निवेश करते हैं, वे भावी कथावाचकों को अच्छा पुनर्कथन करने के लिए ज़रूरी गहराई देते हैं।

Q1. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन गद्यांश के केंद्रीय विचार को सबसे अच्छी तरह व्यक्त करता है?

(a) क्लासिक रचनाओं को हर प्रकार के परिवर्तन से बचाया जाना चाहिए।
(b) क्लासिक रचनाएँ बंद कर देने से नहीं, सुविज्ञ पुनर्कथन और उपयोग से जीवित रहती हैं।
(c) किसी क्लासिक के सभी पुनर्कथन समान रूप से मूल्यवान हैं।
(d) प्राचीन भाषाओं का अध्ययन अब आवश्यक नहीं रहा।

Q2. प्राचीन भाषाओं के अध्ययन में निवेश की लेखक की अपील इस धारणा पर आधारित है कि

(a) अच्छे पुनर्कथन के लिए मूल पाठ का गहरा ज्ञान आवश्यक है।
(b) प्राचीन भाषाएँ सीखना आसान है।
(c) केवल विद्वानों को ही क्लासिक रचनाओं का पुनर्कथन करने दिया जाना चाहिए।
(d) अनुवाद सदैव अशुद्ध होते हैं।

Q3. गद्यांश से निम्नलिखित में से कौन-सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है?

(a) व्यापक रूप से सराही जाने वाली रचना भी कम पढ़ी जा सकती है।
(b) गाँव की मंडलियाँ जिन महाकाव्यों का मंचन करती हैं, उन्हें विकृत कर देती हैं।
(c) अच्छा पुनर्कथन मूल रचना का स्थान ले लेता है।
(d) सोते समय की कहानियाँ पुनर्कथन का सर्वोत्तम रूप हैं।

तर्कशक्ति और गणित

Q4. एक बैंक को वायदा अनुबंध के रुपया-मूल्य का 20% आरक्षित रखना है। अनुबंध ₹96 प्रति डॉलर की दर से $5 मिलियन का है। आरक्षित राशि कितनी होगी?

(a) ₹4.8 करोड़
(b) ₹9.6 करोड़
(c) ₹48 करोड़
(d) ₹96 करोड़

Q5. 4:20 बजे घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयों के बीच छोटा कोण कितना होता है?

(a) 0°
(b) 10°
(c) 20°
(d) 5°

उत्तर-कुंजी और व्याख्या

Q1: (b) गद्यांश का तर्क है कि कथाएँ ज्ञान और सावधानी के साथ दोहराए जाने से बची रहती हैं; विकल्प 2 का खंडन तीसरे अनुच्छेद में होता है।

Q2: (a) लेखक के अनुसार सर्वश्रेष्ठ पुनर्कथन वे हैं जो पुराने पाठ को गहराई से जानने वालों से आते हैं; विकल्प 2 अतिशयोक्ति है, क्योंकि दादी और मंडलियाँ भी मूल्यवान कथावाचक मानी गई हैं।

Q3: (a) चौथे अनुच्छेद के अनुसार अत्यधिक सुरक्षित कथा 'प्रसिद्ध पर अपठित' हो जाती है; विकल्प 2 'इनमें से कोई भी रूप बाकी रूपों की जगह नहीं लेता' कथन के विपरीत है।

Q4: (b) रुपया-मूल्य = 50,00,000 × 96 = ₹48 करोड़। ₹48 करोड़ का 20% = ₹9.6 करोड़।

Q5: (b) घंटे की सुई: 4 × 30 + 20 × 0.5 = 130°। मिनट की सुई: 20 × 6 = 120°। अंतर = 10°।

12. आज के निबंध (Essays of the Day)

दो निबंध, ऐसे प्रश्नों पर जिनकी भाषा निबंध (Essay) प्रश्नपत्र वास्तव में जिस तरह तय करता है, और एक शीर्ष रैंक वाले अभ्यर्थी के समयबद्ध लेखन की शैली में लिखे गए। इन्हें संरचना और उदाहरणों के दायरे के लिए पढ़ें — याद करने के लिए नहीं।

निबंध (ESSAY) 1 · निबंध · खंड ख · 7 मिनट पठन (min read)

समय वह एकमात्र संपदा है जिसे कोई घड़ी रच नहीं सकती।

विषय (Themes): घड़ियाँ समय को और भी बारीकी से माप सकती हैं; पर कोई घड़ी, कानून या बाज़ार किसी के दिन में एक घंटा नहीं जोड़ सकता · समय बनाया नहीं जा सकता, इसलिए असली प्रश्न यह है कि कौन किसका समय ले रहा है — घर में, बचपन में और राज्य की अपनी देरी में · अच्छा समाज समय रच तो नहीं सकता, पर दूसरों का समय बर्बाद करना बंद कर सकता है और उसे लौटा सकता है

इस सप्ताह भौतिकविदों की दो टोलियों ने पहली कार्यशील नाभिकीय घड़ियों की घोषणा की। आने वाले दिनों में ये श्रेष्ठतम परमाणु घड़ियों को भी पीछे छोड़ सकती हैं, जिनमें से एक 23 अरब वर्षों में केवल एक सेकंड चूकती है। उसी सप्ताह एक समाचार-पत्र ने याद दिलाया कि भारत में 15 से 59 वर्ष की महिलाएँ घर के अवैतनिक कामों में रोज़ लगभग 305 मिनट लगाती हैं। तेलंगाना में लड़कियों का विवाह आज भी 14-15 वर्ष की उम्र में कर दिया जाता है और वे पढ़ाई छोड़कर चूल्हा-चौका और देखभाल सँभालती हैं। तीनों ख़बरों को साथ रखें तो एक सीधी-सी सच्चाई उभरती है। मनुष्य ने समय को नापने में अद्भुत दक्षता पा ली है, फिर भी उसमें से रत्ती भर और समय बना पाने में वह आज भी असमर्थ है। हर व्यक्ति को, चाहे अमीर हो या ग़रीब, चौबीस घंटे ही मिलते हैं। इस निबंध का तर्क है कि समय रचा नहीं जा सकता, इसलिए असली नैतिक प्रश्न यह है कि कौन किसका समय ले रहा है। अच्छा समाज किसी के दिन में एक घंटा नहीं जोड़ सकता, पर दूसरों के घंटे बर्बाद करना बंद कर सकता है और उन्हें लौटा सकता है।

स्टोइक दार्शनिक सेनेका ने यह बात दो हज़ार वर्ष पहले देख ली थी। उन्होंने अपने मित्र को लिखा, "लूसिलियस, समय के सिवा हमारा अपना कुछ भी नहीं है।" प्रकृति ने हमें इसी एक वस्तु का स्वामी बनाया है, जो "इतनी क्षणभंगुर और फिसलनी है कि जो चाहे हमें उसके क़ब्ज़े से बेदख़ल कर दे।" भौतिकी इसमें एक मोड़ जोड़ती है: 2010 में अमेरिकी वैज्ञानिकों ने पाया कि केवल 33 सेंटीमीटर ऊपर उठाई गई घड़ी, आइंस्टाइन की भविष्यवाणी के अनुसार, ज़रा तेज़ चलती है। परंतु नागरिक के लिए जो असमानताएँ मायने रखती हैं, वे गुरुत्वाकर्षण से नहीं बनतीं; वे परिवारों, बाज़ारों और सरकारों से बनती हैं, जो तय करते हैं कि किसके घंटे ख़र्च हों ताकि दूसरों के घंटे बच सकें।

शुरुआत घर से करें। रोज़ पाँच घंटे खाना पकाने, सफ़ाई, पानी भरने और देखभाल में लगने का मतलब साल में सत्तर दिन से अधिक है, और इसका लगभग कुछ भी सकल घरेलू उत्पाद में नहीं गिना जाता। इस श्रम को मान्यता देने की माँग जितना लोग सोचते हैं उससे कहीं पुरानी है। 1939 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन ने गृहिणी के काम को कारख़ाने की मज़दूरी के बराबर माना था, और संविधान सभा की सदस्य रेणुका रे ने कहा था कि गृहिणी भी उतनी ही कामकाजी महिला है। 1970 के दशक में सिल्विया फ़ेडेरिची ने साफ़ शब्दों में कहा: "वे कहते हैं यह प्रेम है। हम कहते हैं यह अवैतनिक काम है।" 2010 के एक व्याख्यान में हैंस रोज़्लिंग ने इससे कोमल कहानी सुनाई। जिस दिन उनके परिवार में पहली कपड़े धोने की मशीन आई, उनकी माँ ने कहा: "हमने कपड़े डाल दिए हैं। अब काम मशीन करेगी। और अब हम पुस्तकालय जा सकते हैं।" मशीन ने समय रचा नहीं था। उसने एक स्त्री को उसका समय लौटाया, जिसे उसने अपने बेटे को पढ़कर सुनाने और स्वयं अंग्रेज़ी सीखने में लगाया। आँगन का नल, रसोई का गैस सिलेंडर और खेत के पास की शिशु-गृह (क्रेश) आज भारत की करोड़ों महिलाओं के लिए यही काम करते हैं।

बचपन सबसे बहुमूल्य समय है, क्योंकि उसे कभी वापस नहीं ख़रीदा जा सकता। पंद्रह वर्ष में ब्याही गई लड़की उन्हीं वर्षों को खो देती है जिनमें कोई व्यक्ति यह जान पाता है कि वह क्या बन सकती थी। भारत ने इन वर्षों के लिए कानूनों की एक शृंखला के सहारे लड़ाई लड़ी है। ग्यारह वर्ष की उम्र में ब्याही गई रुक्माबाई ने 1880 के दशक में पति के साथ रहने से इनकार कर दिया और झुकने के बजाय अदालत में मुक़दमा लड़ा। उनके मामले से उठी बहस ने 1891 के सम्मति आयु अधिनियम (Age of Consent Act) को जन्म देने में मदद की, और वे आगे चलकर 1894 में लंदन से डॉक्टर बनीं। बाल विवाह निरोधक अधिनियम, 1929 (Child Marriage Restraint Act) ने लड़कियों के लिए न्यूनतम आयु 14 वर्ष तय की; 1978 में इसे बढ़ाकर 18 वर्ष किया गया। हर कानून ने लड़कियों को कुछ और वर्ष दिलाए। तेलंगाना में 20-24 वर्ष की जिन महिलाओं का विवाह 18 से पहले हुआ, उनका अनुपात 23.5% से घटकर 17.9% रह गया है, जो राष्ट्रीय गिरावट से तेज़ है; फिर भी भारत में 20.1% युवतियाँ तब भी बचपन में ब्याही जा रही थीं। 2025-26 से तेलंगाना में ऐसे मामलों में चिह्नित बच्चों में से 777 पहले ही स्कूल छोड़ चुके थे। स्कूल में बीता एक वर्ष वह संपदा है जिसे बाद की कोई योजना नहीं चुका सकती।

राज्य भी नागरिकों का समय ख़र्च करता है, और अधिकतर देरी के रूप में। 1979 के हुसैनारा खातून मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि स्त्री-पुरुष तीन से दस वर्ष तक बंद पड़े थे और उनका मुक़दमा शुरू तक नहीं हुआ था, जबकि उन अपराधों में शायद ही एक-दो वर्ष से

अधिक की सज़ा मिलती। न्यायालय ने कहा कि शीघ्र विचारण अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का "अभिन्न और अनिवार्य अंग" है। 2020 में उसने अध्यक्षों से कहा कि दल-बदल की याचिका तय करने की "बाहरी सीमा" तीन महीने है, "असाधारण परिस्थितियों के अभाव में"। इसी सप्ताह ऐसी ही याचिका का सामना कर रहे बीस सांसदों को तीसरी बार मोहलत मिली। समय जल्दबाज़ी से भी चुराया जा सकता है। असम की दो महिलाओं को बांग्लादेश भेज दिया गया, जबकि उनके प्रतिप्रेषित (remanded) मामलों की पुनः सुनवाई चल ही रही थी। गौहाटी उच्च न्यायालय अब पूछ रहा है कि अधिकरण की राय वास्तव में कब तैयार हुई थी : स्वतंत्रता किसी समय-मुहर पर भी टिक सकती है। देरी और हड़बड़ी, दोनों किसी और के समय के बारे में लिए गए निर्णय हैं।

इसके विरुद्ध एक गंभीर प्रतिवाद भी है। क्या मानवता वास्तव में समय नहीं रचती ? विश्व भर में जीवन-प्रत्याशा बढ़ी है, और ट्रैक्टर से कंप्यूटर तक हर मशीन हमें एक घंटे में अधिक करने देती है। कुछ देरी तो गुण है, चोरी नहीं। अध्यक्ष को दोनों पक्ष सुनने होते हैं ; हड़बड़ी में किया गया न्याय स्वयं एक अन्याय हो सकता है। थोरियम घड़ी के पीछे के भौतिकविदों ने वर्षों एक ऐसे नाभिक पर लगाए जो वश में आने लायक़ नहीं लगता था, और उनके पहले प्रयोगों में से एक को उस श्याम पदार्थ (डार्क मैटर) का कोई निशान नहीं मिला जिसे वह खोज रहा था। और कार्य-दिवस स्वयं संघर्ष से बदला है : अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के 1919 के पहले अभिसमय ने औद्योगिक काम को दिन में आठ और सप्ताह में अड़तालीस घंटे तक सीमित किया, जबकि ब्रिटिश भारत को सप्ताह में साठ घंटे की छूट दी।

फिर भी ये सभी उदाहरण तर्क को काटने के बजाय उसकी पुष्टि करते हैं। लंबी आयु और तेज़ मशीनें समय रचती नहीं, उसे मुक्त करती हैं, और मुक्त हुआ समय उसी के हाथ जाता है जिसके पास उस पर दावा करने की शक्ति है। धुलाई की मशीन ने रोज़लिंग की माँ को उनकी दोपहरें दीं ; कई घरों में कोई सुविधा उसी स्त्री के लिए बस और काम बढ़ा देती है। ILO के अभिसमय ने दिन को लंबा नहीं किया ; उसने तय किया कि दिन के घंटों का स्वामी कौन होगा, और ब्रिटिश भारत के लिए दोहरे मानदंड ने दिखा दिया कि यह स्वामित्व कितनी असमानता से बँटा था। धैर्यपूर्वक विचार-विमर्श तब मूल्यवान है जब प्रतीक्षा करने वाले को ही उसका लाभ मिले। जब देरी से शक्तिशाली को लाभ हो और प्रतीक्षा का बोझ कमज़ोर पर पड़े, तब वह धैर्य नहीं, लागत का हस्तांतरण है। दोनों में भेद करने की एक सरल कसौटी है : किसका समय ख़र्च हो रहा है, और किसके लाभ के लिए ?

इस कसौटी से एक कार्यक्रम निकलता है। पहला, समय की गणना कीजिए : समय-उपयोग सर्वेक्षण वह दिखाता है जो सकल घरेलू उत्पाद छिपा लेता है, और नीति को इस पर परखा जाना चाहिए कि महिलाओं के अवैतनिक घंटे घटे या नहीं। दूसरा, समय लौटाइए : पानी, रसोई गैस, बिजली, शिशु-गृह और पास के स्कूल समय बचाने वाला बुनियादी ढाँचा हैं, जो वे घंटे देते हैं जो अकेला नक़द नहीं दे सकता। तीसरा, बचपन की रक्षा कीजिए : लड़कियों को स्कूल में बनाए रखिए और बाल विवाह रचाने वाले वयस्कों पर मुक़दमा चलाइए, क्योंकि रुका हुआ विवाह एक दिन बचाता है, पर शिक्षा वर्षों को बचाती है। चौथा, सरकारी देरी की क़ीमत तय कीजिए : निश्चित समय-सीमाएँ, दर्ज की गई समय-मुहरें, और उन लोगों के लिए परिणाम जो किसी की स्वतंत्रता या आजीविका वाली फ़ाइलों पर बैठे रहते हैं।

थोरियम घड़ी एक दिन इतिहास के किसी भी उपकरण से अधिक बारीकी से एक सेकंड को नापेगी, जो मानव मस्तिष्क की सच्ची जीत होगी। पर समाज की कसौटी कुछ और है। वह यह है कि वह विकाराबाद की एक लड़की को, अवैतनिक काम के लंबे दिन के अंत में खड़ी एक स्त्री को, और ऐसे निर्णय की प्रतीक्षा में खड़े नागरिक को, जिसे वह जल्दी नहीं करा सकता, कितने घंटे लौटाता है। समय कोई नहीं रच सकता ; इसीलिए दूसरे का समय बर्बाद करना एक चुपचाप की गई चोरी है, और उसे लौटाना लोकसेवा के सर्वोच्च रूपों में से एक है।

आज के कार्ड्स से निर्मित (Built from today's cards):

आज का आईना — पत्रिका बंद करने से पहले दो मिनट

दर्पण का अर्थ है आईना। आज की पत्रिका बंद करने से पहले उसे अपने सामने रखिए। उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए — तीन पंक्तियाँ काफ़ी हैं।

1. अगर आज की सबसे बड़ी ख़बर — "असम–मेघालय के संयुक्त कुलसी बाँध को सीमावर्ती ग्रामीणों और खासी मुखियाओं ने सहमति देने से इनकार किया" — में आप ज़िलाधिकारी होते, तो आपका पहला क़दम क्या होता, और आप सबसे पहले किससे मिलते ?

2. आज किस ख़बर को आपने पहली बार दूसरे पक्ष से देखा ? जिस तर्क से आप असहमत थे, उसका सबसे मज़बूत रूप लिखिए।

3. सादगी समय की भी होती है। आज आपने समय कहाँ बचाया, और कहाँ गँवाया ?

क्षमता, गुमनामी, सादगी — हर दिन एक छोटा क़दम। And we shall become, my man.